इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखक के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक-मंडल

संपादक

सी. आर. गोपालसुंदरम
प्रधानाचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा
मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी
सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

प्रेम सेठी
महा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

पी. डी. लखनपाल
मुख्य (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

बसुनायक द्विवेदी
मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, मुंबई

के. के. गुप्ता
उप महा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वि. अ. कर्णिक
उप प्रधानाचार्य और महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

जसबीर सिंह
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

आशा वशिष्ठ
सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग
दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 1

अनुचिंतन 3

लेख

- वित्तीय मानकों एवं संहिताओं का कार्यान्वयन भारतीय परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण – डॉ. वाई. वी. रेड्डी 4
- वित्तीय स्थिरता और बैंकों की भूमिका – श्री एस. पी. तलवार 7
- कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण – श्री बी. एम. नंदवाना 11
- राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर का आपस में संबंध – श्री प्रह्लाद सबनानी 15
- बीमा क्षेत्र और बैंक – डॉ. रामप्रकाश सिंहल 18
- भारतीय पूंजी बाजार - वटवृक्ष से वी-सैट तक का सफर – डॉ. रमाकान्त गुप्ता 23
- मानवीय सम्बन्ध अवधारणा – श्री पी. आर. पोरवाल 30

बैंकिंग परिदृश्य 33

- कंप्यूटर परिभाषा कोश 37
- 2001-2002 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति 41
- गुजरात भूकंप के संबंध में राहत उपाय 46
- पूंजी लेखों पर रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाएँ 48

महत्वपूर्ण परिपत्र 49

लेखकों से 64

मूल्य : रु. 15/-

वार्षिक शुल्क : रु. 60.00

संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मौज प्रिंटिंग ब्यूरो, मुंबई - 400 004 में मुद्रित।

email : bca-rajbhasha@hotmail.com

महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के लिए मुद्दे

(1) बैंकों की नीतियों/दीर्घावधि योजनाओं को पुनर्परिभाषित करना। बैंकों के पास महिलाओं के लिए घोषणापत्र (चार्टर) होना चाहिए जो प्रकाशित किया जाए। शुरुआत के तौर पर, बैंकों को चाहिए कि वे अपने निवल बैंक ऋण के कम से कम 2 प्रतिशत महिलाओं के लिए अलग रखें और पांच वर्ष की अवधि में उसे 5 प्रतिशत तक बढ़ायें ।

(2) महिला कक्षों का गठन और महिलाओं को किये जाने वाले ऋण वितरण का ही कार्य देखने के लिए हर शाखा में अधिकारी नामित करना।

(3) मौजूदा क्रियाविधिगत औपचारिकताएं सरल बनाना ।

(4) बैंक के अधिकारियों/स्टाफ को इस बात के लिए तैयार करना कि वे महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को समझें ।

(5) ऋण सुविधाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान ।

(6) महिलाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण सुविधाएं ।

(7) महिलाओं के लिए विशेषीकृत शाखा ।

(8) बैंक के अधिकारियों/स्टाफ में उत्साह लाने के लिए अभिप्रेरक रणनीतियां ।

(9) महिलाओं को किये जाने वाले ऋण वितरण पर नियमित रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए निगरानी प्रणाली ।

(10) आंकड़े एकत्रित करना ।

(11) मौजूदा योजनाएँ मज़बूत बनाना ।

(12) संपार्श्विक जमानत लागू न करने के लिए सीमा बढ़ाना ।

(13) गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता समूहों/महिलाओं की सहकारी समितियों को शामिल करना ।

(14) महिला ग्रामीण सहकारी बैंकों का गठन ।

स्रोत : बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार विशेष रूप से लघुतर और लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं हेतु ऋण सुपुर्दगी तंत्र को मजबूत करने संबंधी रिपोर्ट।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के फरवरी 2001 अंक से साभार)

बजट और ऋण बाजार

- भारतीय रिज़र्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के अधीन, जिसका भारतीय स्टेट बैंक मुख्य प्रवर्तक होगा, एक क्लीयरिंग कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी और इसके जून 2001 तक स्थापित होने की आशा है। यह विदेशी मुद्रा लेन-देनों के व्यवस्थापन में भी मददगार होगा।
- आदेश-संचालित स्क्रीन आधारित प्रणाली के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जायेगी।
- नीलामियों में पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक बोलियों और वास्तविक समय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2001 तक एक इलेक्ट्रॉनिक बातचीत-शुदा लेनदेन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- निधियों की सुलभ और शीघ्र गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अगले वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और आरटीजीएस शुरू कर रहा है।
- स्ट्रिप्स, जीरो कूपन बाण्ड, डीप-डिस्काउंट बाण्ड और इसी तरह के बाण्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी किये जा रहे हैं।
- पुराने लोक ऋण अधिनियम के स्थान पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- प्रतिभूतिकरण पर व्यापक कानून बनाया जाएगा।
- इन क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, शेयर बाजारों और वित्त मंत्रालय को शामिल करके एक छोटा ग्रुप स्थापित किया जाए और इन गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाए ताकि ऋण बाजार अगले वर्ष सक्रिय हो सके।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के मार्च 2001 अंक से साभार)

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2001 को संपन्न हुई । इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री अमरेन्द्र मोहन, शरदकुमार, डी. जी. काले और एस. मौर्य का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध सावित्री सिंह, स्मिता आपटे, गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और रुपाली आंबेकर का सहयोग प्राप्त हुआ । बैं प्र म का फैक्स नंबर 4303882

पंजीकरण सं. 470 43/88

आलमारियों में बंद वेदांत पुस्तकों से
काम नहीं चलता, जब तक उन्हें
आचरण में न लाया जाए।

–स्वामी रामतीर्थ

संपादकीय

मैंने सोचा कि इस अंक में क्यों न मैं आपसे कारपोरेट प्रशासन के बारे में बात करूँ जो बदलते व्यापारिक परिवेश सहित अन्य कई घटकों के कारण एक महत्वपूर्ण संकल्पना के रूप में उभर रहा है। अच्छे कारपोरेट प्रशासन की आवश्यकता केवल हमारे देश या अर्थव्यवस्था के लिए ही विशेष बात नहीं है अपितु यह उन सभी देशों पर भी समान रूप से लागू है जिनके विनियामक तंत्र काफी कठोर हैं। गैट और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी कारपोरेट प्रशासन संबंधी जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है। कारपोरेट प्रशासन का मूल तत्व है कंपनी में धन लगानेवाले सभी व्यक्तियों के प्रति प्रभावी उत्तरदायित्व का निर्वाह।

यूके की कॅडबरी कमिटी रिपोर्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित कुमार मंगलम बिड़ला समिति की रिपोर्ट सहित कई अन्य रिपोर्टों में कारपोरेट प्रशासन के मुद्दे को उठाया गया है। कुमार मंगलम समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि कारपोरेट प्रशासन का मूलभूत उद्देश्य ``कंपनी में धन लगानेवाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हुए दीर्घावधि शेयरधारकों के मूल्य में वृध्दि करना'' है।

प्रभावी कारपोरेट प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रकटीकरण, पारदर्शिता, सामूहिक उत्तरदायित्व, निदेशकों की भूमिका, शेयरधारकों, उधारकर्ता और आम जनता के प्रति उत्तरदायित्व के स्तर से संबंधित कारपोरेट प्रथाएं महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन के शब्दों में, ``भारत में मुख्यत: आर्थिक उदारीकरण तथा उद्योग और कारोबार के अविनियमन के साथ-साथ नये कारपोरेट मूल्यों और प्रचलित कानून के कड़े अनुपालन की मांग के कारण कारपोरेट प्रशासन का मुद्दा उभरकर आया है। भारत की विशिष्ट स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जहां वित्तीय संस्थाएं कंपनियों में भारी मात्रा में धन लगाती हैं, गैर-कार्यपालक एवं नामितियों सहित निदेशकों का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है।''

कॅडबरी कमिटी रिपोर्ट के कारण भारत में कारपोरेट प्रशासन पर चर्चा को प्रोत्साहन मिला है। फाइनेन्शियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लंदन शेयर बाजार और लेखाविधि उद्यम ने कारपोरेट प्रशासन के वित्तीय पहलुओं पर ध्यान देने के लिए मई 1991 में कॅडबरी कमिटी की स्थापना की।

कारपोरेट प्रशासन से संबंधित चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं :

1. निदेशक मंडल की भूमिका
2. कंपनी लेखा परीक्षा
3. कारपोरेट प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण
4. कारपोरेट प्रशासन और उत्तरदायित्व

आइए, हम इन मुद्दों पर जरा विस्तार से गौर करें-

कारपोरेट प्रशासन और निदेशक मंडल की भूमिका - कंपनी निदेशक और प्रबंधक इतने सक्षम होने चाहिए कि वे प्रभावी कारपोरेट प्रशासन के द्वारा कंपनी को उत्कृष्ट दर्जा दिला सकें। कॅडबरी कमिटी रिपोर्ट के अनुसार : ``निदेशक मंडल अपनी कंपनी के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रशासन में शेयरधारकों की भूमिका इतनी ही होती है कि वे निदेशकों और लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करें और अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लें कि कंपनी सही ढंग से संचालित होती है। बोर्ड के उत्तरदायित्वों में कंपनी के लक्ष्यों का निर्धारण, उन्हें लागू करने के लिए नेतृत्व प्रदान करना, व्यापार व्यवस्था का पर्यवेक्षण और शेयरधारकों को अपने कार्य की सूचना देना शामिल है। बोर्ड द्वारा की जानेवाली कार्रवाई कानून, विनियम और आमसभा में शेयरधारकों के अनुमोदन को ध्यान में रखकर की जाती है।'' कॅडबरी कमिटी का मानना है कि कंपनी की स्थिति का संतुलित और समझने योग्य मूल्यांकन प्रस्तुत करना यह बोर्ड का दायित्व है। बोर्ड का आकार उसके सदस्यों की संख्या, पूर्णकालिक/अंशकालिक निदेशकों का अनुपात, बोर्ड के अध्यक्ष जो पूर्णकालिक/अंशकालिक हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार और हैसियत के साथ ही वैयक्तिक निदेशकों, नामित निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों की गुणवत्ता और योग्यता जैसे तत्व बोर्ड के गुणात्मक स्तर को निर्धारित करते हैं। संगठनात्मक और प्रबंधकीय प्रभावात्मकता के लिए उपयुक्त प्रक्रिया शुरू करने का उत्तरदायित्व बोर्ड का होता है। बोर्ड की भूमिका पर विचार करते समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यबोध, समूह निर्माण, समय प्रबंधन, कार्य की तात्कालिकता की समझ एवं विनोदबुध्दि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो हर प्रभावी मुख्य कार्यपालक अधिकारी में होने चाहिए।

कारपोरेट प्रशासन और कंपनी लेखा परीक्षा - कंपनी की वार्षिक लेखा परीक्षा यह कारपोरेट प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। लेखा परीक्षकों को कार्य करने के दौरान प्रबंधन के साथ-साथ

अपने कार्य में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कॅडबरी कमिटी ने यह उल्लेख किया है कि लेखा परीक्षकों को प्रबंधन के साथ कार्य करना चाहिए न कि उनके खिलाफ और इसके बावजूद उन्हें व्यावसायिक रूख ही अख्तियार करना चाहिए। लेखा परीक्षकों को चाहिए कि वे ''औपचारिक रूप से उन्हें नियुक्त करनेवालों के प्रति तटस्थ रहने के साथ ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें।''

निदेशक मंडल और लेखा परीक्षक दोनों का यह उत्तरदायित्व है कि वे व्यावसायिक और वस्तुनिष्ठ संबंध को बनाये रखें। लेखा परीक्षक मूलतः शेयरधारकों का एजेंट है जिसे उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। मोटे तौर पर लेखा परीक्षकों के महत्वपूर्ण कार्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

* यह सत्यापित करना कि लेखा विवरणियां कारोबार की बहियों के आधार पर तैयार की गयी हैं।
* यह सत्यापित करना कि बहियों के आधार पर तैयार की गयी लेखा विवरणियां वास्तविक हैं।
* यह सत्यापित करना कि प्रबंधन ने अंतर्नियमों/शेयरधारकों के संकल्पों द्वारा प्रदत्त वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों का पालन किया है।
* कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किये गये संदेहास्पद कार्य की छानबीन करना।
* अपने कार्य को कौशल और सजगतापूर्वक संपन्न करना।

कॅडबरी कमिटी ने सिफारिश की है कि सभी सूचीबध्द कंपनियों द्वारा उचित रूप से गठित लेखा परीक्षा समितियों की स्थापना की जाए। इन लेखा परीक्षा समितियों को अपने दायरे में मामलों की जांच-पड़ताल करने के प्राधिकार दिये जाने चाहिए। उन्हें कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की भी समीक्षा करनी चाहिए। कारपोरेट प्रशासन के स्तर को उन्नत करने में लेखा परीक्षा समितियों की नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

कारपोरेट प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण - कंपनियों द्वारा वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह वर्तमान और भावी निवेशकों, ऋणदाताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए निर्णयन प्रक्रिया में सुविधाजनक हो। कंपनी प्रकटीकरण का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान और भावी निवेशकों को पर्याप्त, पूर्ण एवं उचित सूचना उपलब्ध कराना। शेयर जारी करने के लिए सेबी द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिध्दांत, जिन्हें ''प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण के मार्गदर्शी सिध्दांत'' के नाम से जाना जाता है, विभिन्न कंपनियों के सार्वजनिक निर्गमों, प्रवर्तकों के अंशदान, डिबेंचर निर्गम, अधिमान्य आबंटन आदि को नियंत्रित करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने तथा उसे विनियमित करने एवं उससे सम्बध्द बातों के लिए एक बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। सांविधिक अधिकारों और कार्यों सहित सेबी की स्थापना के द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा की गई है। सेबी द्वारा ''क्रिसिल, केयर और इक्रा (CRISIL, CARE & ICRA)'' जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (जो अलग-अलग कंपनियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करती हैं) के विनियमन की योजना है। इससे सामान्य निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

कारपोरेट प्रशासन और उत्तरदायित्व - प्रभावी कारपोरेट प्रशासन में कारोबार की समृध्दि और अधिक उत्तरदायित्व निहित हैं। कारपोरेट प्रशासन पर गठित कुमार मंगलम समिति का अनुभव है कि, ''कारपोरेट प्रशासन की एक अच्छी प्रणाली में यथार्थ वित्तीय सूचना देनेवाले मुख्य घटकों–बोर्ड, प्रबंधन और लेखा परीक्षक के बीच उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है। ऐसी प्रणाली में प्रबंधन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है और बोर्ड शेयरधारकों के प्रति।'' प्रभावी उत्तरदायित्व के लिए निर्धारित कतिपय सामान्य मापदंड निम्नानुसार हैं :

* पर्याप्त संख्या में गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति जो स्वतंत्र रूप से कार्य करें
* आवधिक समीक्षा के अधीन प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आरंभ
* निगरानी रखने के साधन के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रयोग
* आवधिक वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रभावी समीक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन
* रिपोर्ट में प्रकटीकरण और पारदर्शिता के लिए पर्याप्त मानदंड लागू करना
* स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान करना, एवं
* बोर्ड की स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति की स्थापना करना।

उत्तरदायित्व प्रभावी कारपोरेट प्रशासन का महत्वपूर्ण घटक है।

इस तरह से यह स्पष्ट है कि प्रभावी कारपोरेट प्रशासन एक उभरती हुई वैश्विक सच्चाई है जिसमें ''बोर्ड की भूमिका'', ''कंपनी लेखा परीक्षा की भूमिका और लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व'', ''कारपोरेट प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण की आवश्यकता'' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और ''उत्तरदायित्व'' के मानदंड शामिल हैं। वस्तुतः कारपोरेट प्रशासन आचार संहिता से जुड़ा हुआ पहलू है।

आपका

सी. आर. गोपालसुंदरम

अनुचिंतन

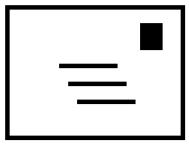

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-जून 2001 अंक प्राप्त हुआ। बैंकिंग के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालता यह अंक अत्यंत उत्कृष्ट बन पड़ा है। राजभाषा हिंदी के माध्यम से बैंकिंग संबंधी उच्चस्तरीय पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराने के इस महायज्ञ से जुड़े सभी महानुभावों को मेरा साधुवाद। आगामी अंकों में `संबंध परक बैंकिंग' (रिलेशनशिप बैंकिंग) `ग्राहक सेवा एवं कुशल संप्रेषण के अंतर्संबंध' आदि विषयों पर कुछ लेख प्रकाशित करवाएं ताकि इन क्षेत्रों में ज्ञानवर्धन हो।

- प्रेम सेठी
महा प्रबंधक (अंतर्राष्ट्रीय परिचालन)
बैंक ऑफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय
मेकेनान मॅकेन्झी बिल्डिंग
बेलार्ड पियर, मुंबई 400 001

``बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' का अभी हाल में ही वार्षिक सदस्य बना हूँ। आज ही प्राप्त आपकी पत्रिका को पढ़ने के बाद कुछ कहना चाहता हूँ। हिन्दी माध्यम द्वारा बैंकिंग की विभागीय परीक्षा तथा सी.ए.आई.आई.बी. की तैयारी करनेवालों के लिए यह काफी उपयोगी है। इसमें शामिल लेख, बैंकिंग परिदृश्य और महत्वपूर्ण परिपत्र काफी उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक हैं। पहली बार इतने कम दाम में इतनी उपयोगी पत्रिका वह भी हिन्दी में देख रहा हूँ। एक सुझाव है कि आप अपनी पत्रिका में बैंकिंग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का कॉलम शुरू करें ताकि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाए।

- रीतेश कुमार
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
शाखा चौके
जिला-भटिण्डा (पंजाब)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका अब गैर हिन्दी भाषी लोगों के बीच भी लोकप्रिय होती जा रही है। इस पत्रिका के जनवरी-मार्च 2001 अंक में दिनेश मित्तल द्वारा `फैक्टरिंग' पर दी गयी जानकारी बहुत अच्छी थी। संपादक और लेखक दोनों को ही बहुत बधाई।

- एस. क्लेमेन्ट
संकाय
एस.पी.बी.टी., मुंबई

नये कलेवर में छप रही अपनी पत्रिका में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन हेतु बैंक के मशीनीकरण / कम्प्यूटरीकरण में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग पर लेख दें और महत्वपूर्ण बैंकिंग मुकदमों के लिए भी एक कॉलम दें। बंगला देश ग्रामीण बैंक को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिये जाने की पृष्ठभूमि में, मैं चाहूँगा कि आप अपनी पत्रिका में इस ग्रामीण बैंक के संगठनात्मक ढांचे और बैंक द्वारा किये गये कार्य पर खोजपरक लेख प्रकाशित करें।

- लक्ष्मीकान्त साहू
दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक
शाखा नवागढ़
जिला दुर्ग 491337
(छत्तीसगढ़)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी-मार्च 2001 अंक प्राप्त हुआ। इस पत्रिका में समाविष्ट जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सामयिक विषयों पर तथा बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों और उत्पन्न हो रही नवीन संकल्पनाओं पर ऐसे ही लेख भविष्य में भी प्रकाशित करते रहें। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन की दो-तीन प्रतियां हमारे विभाग को प्राप्त होती रहेंगी ताकि विभाग के पाठक इससे लाभान्वित हो सकें।

- आर. डी. दहिया
उप महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, सेन्टर 1
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई 400 005

मैं एक बैंक कर्मी हूँ। आपकी पत्रिका के अप्रैल-जून 2000 अंक में एक लेख ``अगले दशक में बैंकिंग : `कतार' बैंकिंग से `क्लिक' बैंकिंग की ओर'' पढ़ा, अच्छा लगा। अधिकारी वर्ग में शामिल होने हेतु मैं पदोन्नति परीक्षा दे रहा हूँ। काश कि उक्त लेख के अंग्रेजी रूपांतरण की प्रति भी उपलब्ध होती।

- अशोक टोंग्या
208, सुखदेव नगर, इंदौर-5

आर्थिक मामलों की जानकारी में मुझे बहुत रुचि है। रेलगाड़ी से सफर के दौरान आपके संस्थान से निकलनेवाली पत्रिका `बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' की एक झलक मैंने देखी थी। मुझे यह बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी।

- रतनेश कुमार `टुनटुन'
आदर्श नगर, अखाराघाट रोड, शेखपुर
जिला-मुजफ्फरपुर 842002

आपकी पत्रिका मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह निरंतर रूप से घर पर ही प्राप्त होती रहे।

- निरंकार अभिनाश
27, अभिनन्दन पार्क, नजदीक
गांव नन्दनपुर, डॉ. वस्ती गुजां, जलंधर (पंजाब)

`बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' पत्रिका में प्रकाशित होनेवाली पाठ्यसामग्री काफी अच्छी तथा उच्चस्तरीय होती है। इस पत्रिका की आजीवन सदस्यता लेने के लिए क्या करना होगा वह बताइये। मेरा सुझाव है कि इस पत्रिका के `महत्वपूर्ण परिपत्र' कॉलम में वर्णित शब्द संक्षेप जैसे सबैंलेवि, जी.ए.डी. संख्या, पीईएम, जी.एस.आर., डीआईआर, बैंपविवि...आदि को यदि हिन्दी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में पूर्ण रूप से दिया जाए तो पढ़ने और समझने में काफी सहूलियत होगी।

- सुधीर मिश्रा
केनरा बैंक, चेतक सर्किल
मधुवन, उदयपुर 313001 (राजस्थान)

वित्तीय मानकों एवं संहिताओं का कार्यान्वयन भारतीय परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण*

डॉ. वाई. वी. रेड्डी
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता कायम रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम सार्वभौमिक मान्य मानकों के पालन करने की आवश्यकता का पूरी तरह से समर्थन करता है। इसमें मौद्रिक और वित्तीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में बढ़ती पारदर्शिता तथा संबंधित आँकड़ों के सम्प्रेषण में सुधार शामिल हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और संहिताओं (स्थायी समिति) पर एक उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति की स्थापना इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास के प्रति भारत की प्रतिबद्धिता को रेखांकित करती है। इसके साथ ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर संहिताओं और मानकों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्व के तरीके पर भी अपनी कुछ चिन्ताएँ प्रकट करता आ रहा है। भारत विभिन्न देशों की संस्थागत और विधिक संरचना और विकास के चरण को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक दृष्टिकोण तथा न्याय सम्मत, साम्यमूलक और निरंतर प्रक्रिया का समर्थन करता है।

यद्यपि अच्छी पद्धतियों की संहिता सहज रूप से आकर्षक है, तथापि सार्वभौमिक रूप से मान्य आदर्श संहिताओं को संस्थागत विकास, वैधानिक ढाँचा और विकास के विभिन्न चरणों के अंतर को ध्यान में रखे बिना निर्धारित करने के प्रलोभन से बचना चाहिए। कभी कभी यह प्रवृत्ति रहती है कि देश के विकास की अवस्था और उसकी आधारभूत वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना प्रमुख औद्योगिक देशों की पद्धतियों को विकासशील देश के वातावरण के लिए सिफारिश की जाती है।

इसके अलावा, यह तर्कसंगत लगता है कि इन पद्धतियों को स्वैच्छिक और क्रमिक रूप से अपनाया जाए, न कि एकदम अचानक। वस्तुत: यह प्रक्रिया मध्यावधिक होगी और अविलंब अनुपालन की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासले मूल सिद्धान्त इस बात का एक रोचक उदाहरण पेश करते हैं कि किस प्रकार कोई मानक स्वैच्छिक भागीदारी और देशी स्वामित्व के आधार पर लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त करता है। यह भी आवश्यक है कि

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मानक

- वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) के अनुरोध पर सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के मानकों के कार्यान्वयन के लिए कार्य-दल की सहायता और समूह समिति दल की बैठक में सहभाग।
- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासले समिति के साथ घनिष्ठता पूर्वक कार्य। वर्ष 1997 में भारत सहित कुछ गैर-जी-10 देशों के पर्यवेक्षीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर, बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासले समिति ने प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के 25 मूल सिद्धान्त निर्धारित किये।
- भुगतान और निपटान प्रणाली और प्रतिभूति आयोग के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गठित प्रतिभूति निपटान प्रणालियों पर संयुक्त कार्य-दल का प्रतिनिधित्व।
- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति द्वारा गठित सीपीएलजी की चर्चाओं में सक्रिय सहभाग।
- सम्पर्क समूह द्वारा गठित पूंजी संबंधी कार्य समूह में भी प्रतिनिधित्व ।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संयुक्त वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भागीदारी ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेषज्ञों की सेवा अन्य देशों के वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष / विश्व बैंक को उपलब्ध।

* डॉ. वाई. वी. रेड्डी, उप गर्वनर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 7-8 मार्च 2001 को वॉशिंग्टन डीसी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा संहिताओं पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख।

इन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की निगरानी का तरीका केवल देशों को `अनुपालन' और `अननुपालन' के रूप में वर्गीकृत करने तक ही सीमित न रह जाए। दूसरे शब्दों में सर्वोत्तम पद्धतियों का लक्ष्य कोष से भुगतान संतुलन समर्थन प्राप्त करने के इच्छुक देशों के लिए एक अनुचित शर्त न बन जाए।

कार्यान्वयन की गति और क्रमनिर्धारण देशी प्राधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस भावना के अनुरूप यह विचार व्यक्त किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों की विनिर्दिष्ट अनुमति के बाद ही सम्बन्धित देशों के सम्बन्ध में मानकों और संहिताओं के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अनुच्छेद IV की रिपोर्टों का निर्गम भी सम्बन्धित सरकारों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारदर्शिता का लक्ष्य केवल प्राधिकारियों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच आँकड़ों के संतुलित और साम्यमूलक विकास से ही पूरा किया जा सकता है।

यह भी कहा जा सकता है कि संहिताओं, मानकों और सिद्धान्तों की प्रचुरता अभिभूत करनेवाली है तथा इससे जनशक्ति और वित्तीय संसाधन पर काफी दबाव पड़ेगा। इनसे राष्ट्रीय प्राधिकारियों के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप की भी संभावना रहती है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, प्रत्येक देश को कार्यान्वयन के लिए संहिताओं का प्राथमिकता-निर्धारण करना पड़ेगा। मानकों के कार्यान्वयन और समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के बीच के सम्बन्ध पर अधिक गहन अनुसंधान करने या प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मानकों और संहिताओं से संबंधित कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित हो रहा है तथा उनके कार्यान्वयन की प्राथमिकता हर देश में अलग-अलग होगी। इस संबंध में अलग-अलग देशों की स्वमूल्यांकन क्षमता की खोज करनी होगी। सस्ती होने के साथ-साथ यह कार्यविधि देशी स्वामित्व को आसान बनायेगी।

इस संबंध में कुछ अन्य गम्भीर चिन्ताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो वित्तीय कठिनाइयों की विशिष्टता और स्रोत से संबंधित हैं। इन पर अलग-अलग मामलों में पर्याप्त रूप से विचार करना होगा। चूँकि वित्तीय संकट अनेक कारणों से हो सकते हैं, अतः वित्तीय मानकों को अत्यधिक महत्व देने से नीतिगत प्राथमिकताओं से ध्यान हट भी सकता है। संकट के बचाव में वित्तीय मानकों की सापेक्षिक भूमिका का निर्णय अर्थव्यवस्था के पूंजी लेखा के सापेक्षिक खुलेपन के आधार पर भी किया जाना चाहिए तथा हर मामले में समाधान की नीति से बचना चाहिए।

चूंकि मानकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए व्यवस्थित पूंजी प्रवाह को प्रेरित करना है, अतः मूल मानकों के विकास और प्राथमिकता निर्धारण में निजी क्षेत्र से अधिकाधिक परामर्श अत्यन्त आवश्यक है। सभी मानक और संहिताएँ निजी क्षेत्र के सभी घटकों के लिए समान रूप से प्रासंगिक नहीं हैं तथा वे एक दीर्घ अवधि के दौरान सार्वजनिक नीति और बाजार प्रतिभागियों की चिन्ता प्रतिबिम्बित करते हुए विकसित होती हैं।

यह एक सुखद तथ्य है कि अतीत की तुलना में आज अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय दृष्टिकोण को अधिक अच्छी तरह समझा जा रहा है।

भारतीय दृष्टिकोण

वित्तीय मानकों और संहिताओं के कार्यान्वयन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण मानकों और संहिताओं के दक्षता वर्धक तत्व तथा देश में संस्थागत विकास की प्रकिया के एक अंग के रूप में उन पर विचार करने की आवश्यकता पर आधारित है। इसके साथ-साथ देशी और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता में इन मानकों और संहिताओं के महत्व की भी उपेक्षा नहीं की जा रही है। अतः, इन मानकों और संहिताओं को आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का एक अंग माना जा रहा है तथा इन्हें देश की आवश्यकताओं के सर्वथा उपयुक्त माना जा रहा है। किसी केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा अनुपालन निर्धारित करने के बजाय सम्बन्धित सरकारी एजेन्सियों, स्वविनियामक निकायों और बाजार प्रतिभागियों द्वारा इन मानकों और संहिताओं को अपनाने के लिए चेतना जागृत करने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

मानकों और संहिताओं के कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। इस प्रक्रिया में सम्बन्धित क्षेत्रों में मानकों और संहिताओं की आरम्भिक मान्यता, पहचान और अभिलेख शामिल है। इसके बाद स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इन मानकों और संहिताओं की प्रयोज्यता की वर्तमान स्थिति, महत्व और अनुपालन के विद्यमान स्तर, वर्तमान कानूनी और संस्थागत पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए संक्रान्ति में लगनेवाला संभावित समय और अनुपालन की संभावना का गहराई से अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में अनुपालन स्तर का भी अध्ययन किया जाता है ताकि भारत की स्थिति को समझा जा सके तथा कुछ अधिक महत्वपूर्ण संहिताओं और मानकों पर कार्रवाई की

प्राथमिकता निर्धारित की जा सके। यह प्रक्रिया सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाने के लिए संभावित कार्रवाइयों की एक सम्पूर्ण रूपरेखा बनाने का प्रयास करती है। प्रत्येक चुनिंदा मानक और संहिता पर रिपोर्ट के प्रकाशन के माध्यम से यह प्रक्रिया सार्वजनिक बनायी जाती है।

अगले चरण में इस विषय पर विशेषज्ञों की राय को उल्लिखित रिपोर्ट के रूप में और सेमिनार और कार्यशाला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से यथासंभव व्यापक प्रसारण किया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकारियों और अन्य पणधारकों के बीच इस वादविवाद के प्रति रुचि जागृत करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है तथा इस विषय पर सामान्य जागरूकता का उच्चतर स्तर प्राप्त करना है। इसके बाद सम्बन्धित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे जिनपर विचार किया जाएगा ताकि उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़े। इस प्रकार का प्रतिभागिता मूलक और परामर्शी दृष्टिकोण इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रकार के विचारों में साम्य खोजा जा सके और परिवर्तन की आवश्यकता के प्रति जनता में अनुकूल रुख उत्पन्न किया जा सके।

अद्यतन स्थिति

अब तक निम्नलिखित विषयों पर स्थायी समिति को रिपोर्ट / रिपोर्टों के अंश प्राप्त हो चुके हैं : मौद्रिक और वित्तीय नीतियों की पारदर्शिता (अंतिम), भुगतान और निपटान प्रणाली (भाग I और II), बीमा विनियमन (अंतिम भाग I और II), बैंकिंग पर्यवेक्षण (भाग I), लेखांकन और लेखा-परीक्षण (अंतिम), दिवालियापन कानून (अंतरिम)/ सभी रिपोर्टें रिज़र्व बैंक वेब साइट (www.rbi.org.in) पर डाली जा चुकी हैं और व्यापक प्रसार एवं चर्चा हेतु ये प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं।

अनुवर्ती कार्रवाई हेतु योजनाएं

परामर्शी समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई 20 सितंबर 2000 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।

स्थायी समिति सभी परामर्शी समूहों की इन रिपोर्टों को समेकित करेगी और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें सभी रिपोर्टों का कार्य पालक सारांश/प्रमुख विशेषताएं तथा अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित नियामक प्राधिकारियों/ एजेन्सियों द्वारा अपेक्षित ध्यान दिये जानेवाले कार्यबिन्दु होंगे। स्थायी समिति की यह रिपोर्ट भी जन सामान्य के बीच परामर्शी समूहों की रिपोर्टों की भांति व्यापक रूप से प्रसारित की जाएगी।

परामर्शी समूह से अनुरोध किया जायेगा कि वह जागरूकता पैदा करने के लिए किसी उचित संस्था/केन्द्र में एक दिन का एक सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने में सहायता करे और इससे स्थायी समिति को सिफारिशों संबंधी अपने दृष्टिकोणों को पुख्ता करने में मदद मिलेगी।

प्रत्येक रिपोर्ट के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की पहचान करके एक डाक सूची बनाई जाए तथा प्रत्येक परामर्शी समूह के अध्यक्ष से चर्चा करके उसे अंतिम रूप दिया जायेगा। स्थायी समिति इन प्रेषितियों से परामर्शी समूह की सिफारिशों के संबंध में अपनी विशेष टिप्पणियां / फीडबैक भेजने का अनुरोध करेगी।

यह स्थायी समिति, मानकों एवं संहिताओं के अनुपालन एवं कार्यान्वयन की स्थिति एवं प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेगी तथा इसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 15 अप्रैल 2001 अंक से साभार)

पाठकों से

आप तो जानते ही होंगे कि बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित की जानेवाली हिन्दी पत्रिका, ``बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' 18 जनवरी 2001 से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दी गयी है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट एचटीटीपी:डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आरबीआई.ओआरजी.आईएन (http.www.rbi.org.in) पर देखा जा सकता है। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई 2001 से जनता के लिए इस पत्रिका की प्रतियां मुद्रित न की जाएं । तथापि जिन अभिदाताओं ने अग्रिम रूप में अभिदान पहले ही अदा किया है उन्हें उनका वर्तमान अभिदान खत्म होने तक पत्रिका की प्रतियां मिलती रहेंगी । आपसे अनुरोध है कि भविष्य में कोई अभिदान न भेजें।

वित्तीय स्थिरता और बैंकों की भूमिका*

श्री एस. पी. तलवार
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

एक सुदृढ़ और दक्ष वित्तीय प्रणाली बाजार-संचालित, उत्पादक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अत: वित्तीय स्थिरता के लिए स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं, विशेषकर, बैंकों का संवर्धन एक महत्वपूर्ण पूर्व-शर्त है। यह देखा गया है कि औद्योगिक देशों में अथवा उभरती हुई बाजारी अर्थव्यवस्था में अभी भी संकटों के सर्वाधिक अवसर आते हैं। इसका कारण है अच्छे समय में समग्र तुलनपत्रों में अत्यधिक विस्तार तथा उसके बाद व्यापक तौर पर गिरावट।

मैं यहां यह जोर देना चाहूंगा कि वित्तीय स्थिरता के लिए व्यष्टिगत और समष्टिगत दोनों स्तरों पर उपयुक्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। व्यष्टिगत स्तर पर तीन आयाम हैं - संस्थाएं, बाज़ार और बुनियादी संरचना। विनियामकों द्वारा प्रतिरोधक उपायों के रूप में इन तीन आयामों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए जो देशी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को समर्थन प्रदान करते हैं। उपयुक्त विनियम पर्यवेक्षण के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं का अच्छा स्वास्थ्य, बाजारों का यथोचित रूप में कार्य करना तथा सुदृढ़ बुनियादी संरचना की स्थापना जिसमें कानूनी और न्याय प्रणाली, भुगतान और निपटान प्रणालियां भी शामिल हों, तथा पारदर्शी लेखांकन पद्धति तथा पर्याप्त प्रकटीकरण मानदंड स्थापित करना।

केन्द्रीय बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन तीनों स्तम्भों की सुरक्षा करेगा और इसके लिए उनके अनुपालन के व्यवहारों के मानदंडों को विकसित करके लागू करेगा तथा विनियमों का अनुपालन न किये जाने के प्रति बन्धन लगायेगा। इन मानदंडों की पर्यवेक्षण के माध्यम से निगरानी करेगा तथा आपात चल निधि समर्थन, जिनमें राशि सुरक्षण योजना आदि के द्वारा समर्थकारी भूमिका अदा करेगा। तथापि व्यापक स्तर पर सुरक्षण के ये माध्यम मौद्रिक और ऋण नीति के अंग बने रहेंगे।

भारत में बैंकिंग प्रणाली वित्तीय क्षेत्र का सबसे प्रमुख घटक है जो निधियों के प्रवाह का प्रमुख भाग है और यह मौद्रिक नीति के संकेतकों, ऋण सरण, और भुगतान प्रणालियों को आसान बनाने के लिए प्रमुख साधन है। अत: बैंकों का स्वास्थ्य बाजारों और विनियामकों के लिए प्रमुख दिलचस्पी का कारण बना रहता है।

पूंजी-पर्याप्तता के उपाय

अप्रत्याशित हानियों को झेलने के लिए सुदृढ़ पूंजी आधार बहुत आवश्यक है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार समिति की सिफारिशों के अनुपालन के एक भाग के रूप में 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। भारत सरकार ने अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में कुल मिलाकर 20,446 करोड़ रुपये तक का पुनर्पूंजीकरण किया है ताकि उनके सीआरएआर को सम्बल दिया जा सके। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के ग्यारह बैंकों ने बाजार से पूंजी जुटायी है। इसके फलस्वरूप एक को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने 31 मार्च 2000 को सीआरएआर का अपेक्षित स्तर बनाये रखा है। जोखिम आकलन (भारांकन) की पद्धति को भी बासले समझौते के अनुरूप बनाया गया है।

हालांकि जून 1999 में जारी किये गये नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर परामर्शी आलेख में दिये गये नये प्रस्तावों के पूरे प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, फिर भी, ऐसा लगता है कि इनके कारण अगले कुछ वर्षों में हमारे बैंकों के लिए पूंजी की अपेक्षा में वृद्धि होगी।

विवेक-सम्मत मानदंड

अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर बढ़ने की दृष्टि से विवेक-सम्मत मानदंडों को और कठोर बनाया गया है। संदिग्ध आस्तियों के लिए समय सारणी 31 मार्च 2001 से 24 माह से घटाकर 18 माह कर दी जायेगी। 0.25 प्रतिशत का न्यूनतम सामान्य प्रावधान 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से मानक आस्तियों पर भी लागू किया गया है। अलग-अलग उधारकर्ताओं के संबंध में जोखिम की सीमा को पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है,

* उप गवर्नर श्री एस. पी. तलवार द्वारा 16 जनवरी 2001 को नयी दिल्ली में बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत व्याख्यान के उद्धरण ।

तथापि, इतना ही पर्याप्त नहीं है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें मानक और अवमानक अग्रिमों पर प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाकर विवेकसम्मत मानकों को और कठोर बनाने, संदिग्ध हानियों के रूप में समय सारणी को घटाकर 12 महीने करने तथा जोखिम की सीमाओं को और अधिक घटाने के लिए विवेकसम्मत मानदंडों को और कठोर बनाने की आवश्यकता होगी।

अशोध्य ऋणों की वसूली

अशोध्य ऋणों की वसूली की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनेक अनुदेश जारी किये हैं। जहां एक ओर लोक अदालत में सहमति द्वारा निपटान पर पहुंचने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है, वहीं बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे लघु क्षेत्र के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों के पुराने मामलों को सहमति द्वारा निपटाने के लिए निपटान परामर्शी समितियों (एसएसी) का गठन करें। सभी श्रेणियों में गैर निष्पादक आस्तियों की मात्रा को कम करने के लिए एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से जुलाई 2000 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जो गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए एक सरल, गैर-विभेदकारी तथा और गैर-अविवेकशील प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों को इन दिशानिर्देशों का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए ताकि निश्चित समय सीमा के अंदर अर्थात मार्च 2001 तक वे अपनी बकाया राशि की अधिकतम वसूली कर सकें ।

भारत सरकार ने हाल ही में ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये हैं। इनका उद्देश्य बकाया राशियों की शीघ्र वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरणों को शक्ति सम्पन्न बनाना है। सात अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरणों के गठन के लिए कदम उठाये गये हैं, जिनमें चार मुंबई में, एक -एक कलकत्ता, चेन्नई और नयी दिल्ली में होगा और इस प्रकार ऋण वसूली अधिकरणों की कुल संख्या 21 हो जायेगी। इसके अलावा प्रस्तावित दिवालिया अर्थात मोचन-निषेध के कानूनों को लागू करना, ऋण आसूचना ब्यूरो की स्थापना आदि इन हानिगत आस्तियों से निपटने के संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनायेगी।

पर्यवेक्षी प्रक्रिया-तंत्र

बैंकिंग प्रणाली में नये उत्पादों के नवोन्मेष की गति, गहन प्रतिस्पर्धा, तीव्र प्रौद्योगिकी विकास तथा वित्तीय बाजारों के साथ समन्वय ने एक सुदृढ़ और दक्ष पर्यवेक्षी प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये जाने वाले बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का केन्द्र बिन्दु और उसकी पद्धति बदल गयी है ताकि बैंकिंग कारोबार में विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए प्रचलित प्रणालियों के विश्लेषण पर प्रमुख बल दिया जा सके। अब निरीक्षण कैमल्स (सीएएमईएलएस) मॉडल के अंतर्गत अधिक वस्तुपरक रूप में किया जाता है तथा एक व्यापक साख दर निर्धारण प्रणाली स्थापित की गयी है। पारदर्शिता के हित में तथा बाद के वर्षों में साख दर निर्धारण में सुधार करने के उनके प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से बैंकों को साख दर निर्धारण के अभ्यास में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया है। जो प्रणालीगत 3 वर्षों से स्थापित है उसे अधिक वस्तुपरक और पारदर्शी बनाने के लिए उसकी समीक्षा की जा रही है।

वर्ष 2000-01 के लिए गवर्नर द्वारा घोषित मौद्रिक और ऋण नीति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अब जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ रहा है जो भारतीय परिवेश के अनुसार पर्यवेक्षण के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों को यथोचित रूप में संशोधित करके अपने में समाहित करेगा। विशाखीकृत बैंकिंग कारोबार तथा जटिल जोखिम युक्त लिखतों में उभरते हुए उत्पादगत नवोन्मेषों के परिवर्तित परिवेश में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण पर्यवेक्षण के संसाधनों को अधिक दक्षतापूर्वक आबंटित करेगा जिसमें परम्परागत लेनदेन आधारित दृष्टिकोण के साथ-साथ पर्यवेक्षित संस्था के जोखिम लिखतों की निगरानी भी करेगा। तथापि जोखिम आधारित दृष्टिकोण उचित रूप से कार्य करे, इसके लिए बैंकों को चाहिए कि वे जोखिम प्रबंध प्रणालियों का अपेक्षित स्तर स्थापित करें जैसाकि उक्त विषय पर हमारे दिशानिर्देशों में दर्शाया गया है।

ज्यादा प्रभावी पर्यवेक्षण की ओर एक और कदम के रूप में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली बनायी जा रही है जो बैंकों की समस्या को प्रारंभिक अवस्था में ही निपटाने और उस पर विवेकानुसार प्रतिरोधी/निदानात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा हानियों को सीमित रखने एवं संक्रामक प्रभाव को रोकने के लिए बैंकों की सहायता करेगी। इस प्रयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक जैसे सीआरएआर, निवल गैर-निष्पादक आस्तियां तथा आस्तियों पर प्रतिलाभ संकेतक मापदण्डों के रूप में कार्य करेंगे ।

प्रौद्योगिकी का प्रयोग

फिलहाल भारत में बैंकिंग जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है - बैंकिंग के विभिन्न आयामों में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता। इसका उद्देश्य न केवल ग्राहक सेवा की दक्षता में

सुधार लाना है, बल्कि प्रबंध आसूचना प्रणाली को सुधारने तथा बेहतर आंतरिक रखरखाव (हाउसकीपिंग) में सुधार लाने के लिए है जिनमें अनुभवजनित निर्णय लेने की प्रक्रिया भी शामिल है। प्रौद्योगिकी ने भुगतान और निपटान प्रणालियों में भारी परिवर्तन किये हैं जिसके फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक उपायों की तात्कालिक आवश्यकता बैंक की शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण और हार्डवेयर के मानकीकरण, परिचालन प्रणालियों और नेटवर्किंग प्लेटफार्म को प्रणालीबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत करना है, जिसका अंतिम उद्देश्य शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और मुख्यालय के बीच अंतरसंबद्धता के लिए एक सुदृढ़ व्यापक संरचनागत मॉडल विकसित करना है जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्था (डीआरबीटी) द्वारा लागू भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इनफिनेट) का प्रयोग करना है। इस प्रकार के प्रयासों की सघनता से वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण केन्द्रों में बैंकों की लगभग सभी शाखाएं परस्पर संबद्ध हो जाएंगी और अपने-अपने शहरों में, साथ ही अन्य बैंक शाखाओं के बीच संदेशों को प्रेषित कर सकेंगी। अनेक नये भुगतान और निपटान उत्पाद भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यह आवश्यक है कि यदि बैंकों को इन सभी प्रणालियों में सक्रिय रूप से सहभाग करना है तो उन्हें या तो अपनी आंतरिक अनुप्रयोग प्रणाली विकसित करनी होगी जो इन प्रारूपों में संदेश निर्मित कर सकें, अथवा इंटरफेसिंग के लिए ऐसे प्रावधान करने होंगे जो बैंकों में वर्तमान अनुप्रयोगों से संदेश निर्मित कर सकें। एक बार आरटीजीएस स्थापित हो जाए तो यह प्रणाली सकल आधार पर भारी मूल्य के निपटानों की अपेक्षाओं की चिंता स्वयं कर लेगी। इससे हिताधिकारियों के खातों में निधियों की वसूली/जमा करने में लगने वाले समय में कटौती होगी तथा मुद्रा के वेग में वृद्धि होगी और लागत में कमी आयेगी।

कम्पनी संचालन

कम्पनी संचालन का मुख्य आधार है : संस्था के प्रबंध-तंत्र, निदेशक मंडल, शेयर धारकों तथा पणधारियों के बीच पारदर्शी संबंध का होना। अतः इसे शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि, अधिकारों की सुरक्षा, निदेशक मंडल के गठन और उनकी भूमिका, लेखांकन पद्धति की निष्ठा तथा प्रकटीकरण मानदण्ड एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जैसे पहलुओं का ध्यान देना चाहिए। जहां तक बैंकिंग उद्योग का संबंध है, कम्पनी संचालन का तात्पर्य उस स्वरूप से है जिसमें अलग-अलग बैंकों के कारोबार और उनके कार्य, उनके निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ-प्रबंध-तंत्र द्वारा निदेशित और प्रबंधित किये जाते हैं। यह ऐसी संरचना भी उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से संस्था के उद्देश्य निश्चित किये जाते हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऋण नीति का निर्धारण किया जाता है और संस्था के कार्यकलापों की निगरानी की जाती है।

इस विषय पर बैंक पर्यवेक्षण पर बासले समिति (बीसीबीएस) के आलेख में बैंकों में सुदृढ़ कम्पनी संचालन से संबंधित मूलभूत कुछ ऋण नीतियों और तकनीकों की परिकल्पना की गयी है। कम्पनी संचालन के मूलभूत तत्व हैं: सक्षम और अनुभवी निदेशक मंडल, दक्ष प्रबंध-तंत्र, सुसंगत रणनीति और कारोबारी योजना तथा उत्तरदायित्व और जवाबदेही की स्पष्ट विभाजन रेखा। जहां बैंकों में एक अच्छे कम्पनी संचालन का प्राथमिक दायित्व निदेशक मंडल पर होता है, वहीं सरकार, विनियामक, लेखा परीक्षक और बैंकिंग उद्योग संघों द्वारा अदा की गयी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ।

कुमारमंगलम समिति की सिफारिशें, बासले समिति का आलेख तथा अन्य केन्द्रीय बैंकों में अपनाये जा रहे संव्यवहारों की भारतीय रिज़र्व बैंक जांच कर रहा है और बैंकों में प्रभावी कम्पनी संचालन को प्रोन्नत करने के लिए शीघ्र दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंड

भारत में बैंकों द्वारा अपनाये गये लेखांकन के मानदंड तथा मूल्यांकन की पद्धतियां काफी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलनीय हैं। बैंकों की पारदर्शिता की मात्रा तथा तुलनपत्रों के प्रकटीकरण के मानक चरणबद्ध रूप में काफी सीमा तक बढ़ा दिये गये हैं। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे जमाराशियों, उधारराशियों, निवेशों, अग्रिमों और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप, गैर-निष्पादक आस्तियों में घटबढ़ तथा संवेदनशील क्षेत्रों को उधार की सूचना 31 मार्च 2001 से प्रकट करें। विद्यमान प्रकटीकरण मानदंड बाजार के सहभागियों को आवश्यक सूचना पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराते हैं जिससे वे बैंकों की दक्षता, प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा बाजार में साख आदि के बारे में मूल्यांकन कर सकें । इसके लिए आवश्यक है कि जोखिम प्रबंध नीतियों, संकेन्द्रणों, संबद्ध संस्थाओं को उधार देने, सहायक संस्थाओं में निवेश के मूल्यांकन कार्य निष्पादन उपायों तथा उनके संकेतकों आदि को भी शामिल किया जाए।

मानव संसाधन विकास संबंधी पहल

सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रारंभ की थी जिसे अच्छा फीडबैक मिला। निकट भविष्य में बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सामान्य क्रियाकलापों में बाधा न आये और इसके

परिणामस्वरूप कार्य के पुनर्आबंटन और मानव संसाधन के पुनर्नियोजन को वे अविलंब पूरा कर सकें। यहां यह उल्लेखनीय है कि बैंक अनेक अनुभवी और दक्ष कार्मिकों को खोने जा रहे हैं। एक उपयुक्त मानव संसाधन प्रबंध नीति बैंकों द्वारा अपनायी जानी अपेक्षित है जिसमें गहन और व्यापक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना है ताकि कार्मिक बैंक-कारोबार अधिक दक्षतापूर्वक कर सकें। बैंकों को यह भी प्रयास करना होगा कि वे निर्णय लेने के वर्तमान विभिन्न स्तरों में कमी लायें तथा कार्यमूलक स्तरों पर कार्य करनेवाले कार्मिकों को पर्याप्त रूप से शक्तियां प्रत्यायोजित करें ताकि उनकी दक्षता बढ़ सके तथा वे विदेशी तथा नयी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

एक संगठनात्मक पुनर्संरचना की भी आवश्यकता है जिसमें शाखाओं को युक्तिसंगत बनाना और कारोबार को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है जिससे बैंकिंग सेवाएं उत्पाद और ग्राहकों के अनुकूल बन सकें। इस संदर्भ में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि बैंकों को बदलते हुए प्रबंध की संकल्पना को स्वीकार कर लेना चाहिए। बैंकों को अब टीम बनाने और अपने स्टाफ को विकसित बाजार तथा ग्राहकोन्मुखी वित्तीय प्रणाली के अनुसार ढालने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

पर्यवेक्षण +

भारत में उदारीकरण की अवधि के बाद बैंकिंग पर्यवेक्षण की कार्य सूची का एक प्रमुख मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों पर आधारित विवेकसम्मत विनियमों की व्यवस्था के अनुपालन को प्रोन्नत करना रहा है। जहां बैंकों ने विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भलीभांति व्यक्त की है, वहीं अब उन्हें बाहर से आरोपित पर्यवेक्षण से आगे बढ़कर आंतरिक रूप से पर्यवेक्षण को अपनाने की आवश्यकता है और इसके लिए मानकों और आंतरिक नियंत्रणों को सुस्थापित करना होगा जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों और नियंत्रणों से कहीं अधिक कठोर हैं। विवेक-सम्मत विनियमन न्यूनतम अपेक्षा समझी जानी चाहिए और बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे आंतरिक आधार चिह्न स्थापित करें जो पर्यवेक्षकों द्वारा अधिदेशित आधार चिह्न से और भी आगे जाते हैं। मैं इस दृष्टिकोण को पर्यवेक्षण+ कहना चाहूंगा। यह कोई नया दृष्टिकोण नहीं है। सुप्रबन्धित अंतर्राष्ट्रीय बैंक इस दृष्टिकोण को पहले ही अपना रहे हैं चाहे वे पूंजी आबंटन के मामले में हों या जोखिम मानदंडों की स्थापना के बारे में अथवा प्रावधानों के पर्याप्त स्तर निर्धारित करने के मामले में हों।

कम्पनियों के तुलनपत्र, बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र में दर्शाये जाते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। कम्पनी (यहां तक कि सार्वजनिक) क्षेत्र में अत्यधिक लिवरेज देने से, विशेषकर वित्तीय प्रणाली से उधार लेकर, अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में योगदान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति विकसित हो इससे सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों को चाहिए कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक जोखिम मानदंडों को स्थापित करें जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से कम हों। बैंकों को चाहिए कि वे उधार लेनेवाली संस्थाओं, विशेषकर, बड़े उधारकर्ताओं और समूहों के संबंध में ऋण ईक्विटी अनुपात पर आंकड़े संग्रहित करें ताकि इन ऋणकर्ताओं को अत्यधिक उधारकर्ता संस्थाओं के रूप में बनने से रोका जा सके क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली के लिए एक व्यवस्थागत खतरा बन जाता है।

आस्ति-गुणवत्ता के क्षेत्र में मात्र परिभाषा देने की तुलना में जो अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे हैं : वे सीमाएं जिन तक बैंकों ने अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अपेक्षाओं से अधिक प्रभावित किया है। सहज बुद्धि की दृष्टि से बैंकों के लिये यह वांछनीय होगा कि वे निकट भविष्य में अपने कुल गैर-निष्पादक ऋणों के 50 प्रतिशत तक के स्तर तक हानिगत ऋण के रूप में प्रावधान करने का प्रयास करें।

हाल ही में हमने इरादतन चूककर्ताओं की सूची बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच परिचालित करना शुरू कर दिया है। बैंकों को स्वाभाविक चूककर्ताओं और इरादतन चूककर्ताओं के बीच भेद करने की कला सीखनी चाहिए। जहां पहली श्रेणी के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है वहीं इरादतन चूककर्ताओं से बैंकों को सख्ती से पेश आना चाहिए और कुछ बड़े इरादतन चूककर्ताओं पर फौजदारी मामले शुरू करने पर विचार करना चाहिए जिससे कि बाकी जानबूझकर चूककर्ताओं तथा हठी उधारकर्ताओं पर निश्चयात्मक प्रभाव पड़ सके।

सारांश

भारतीय बैंकिंग प्रणाली सीमा की कसौटी पर खरी उतरी है और इसमें वह आंतरिक शक्ति है कि वह अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार ढाल सकती है। जिस चीज की आवश्यकता है वह है - उपयुक्त मार्गदर्शन और प्रेरणा। नेतृत्व ऐसा हो जो अपने कार्मिकों में विश्वास जगा सके तब वे पायेंगे कि उनका कार्य बहुत आसान हो गया है।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 28 फरवरी 2001 अंक से साभार)

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण

श्री बी. एम. नंदवाना
संकाय सदस्य
सेंट्रल बैंक अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय
भोपाल 462011
(मध्य प्रदेश)

किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को प्रारंभ करने हेतु दो प्रकार की आस्तियों की आवश्यकता होती है - **स्थायी आस्तियाँ** (स्था. आ.) एवं **चालू आस्तियाँ** (चा. आ.) । इन आस्तियों का आपसी अनुपात गतिविधि के आकार - प्रकार पर निर्भर करता है ।

जब हम किसी उत्पादक इकाई की बात करते हैं, तो चालू आस्तियों में कच्चा माल, प्रक्रियाधीन माल, **निर्मित वस्तुओं**, प्राप्य राशि, इत्यादि का समावेश रहता है ।

ये आस्तियाँ इकाई के परिचालन चक्र की परिधि में घूमती हैं ।

कार्यशील पूंजी (का. पू.) से अभिप्राय उस निधि से है जो इकाई की चालू आस्तियों के रख-रखाव हेतु आवश्यक है ।

बैंक द्वारा एक वांछित स्तर पर चालू आस्तियों के धारण हेतु इकाई को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उसे कार्यशील पूंजी ऋण कहते हैं ।

कार्यशील पूंजी के आकलन का उद्देश्य उधारकर्ता की वास्तविक दैनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं को जानना है। युक्तिसंगत अनुमानित उत्पादन / बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, बैंक उधारकर्ता की आवश्यकता - जैसे कच्चा माल रखने का स्तर, प्रक्रियाधीन माल का स्तर, तैयार माल की औसत धारिता, तैयार माल की खरीद पर दी जाने वाली उधार की सुविधा - का आकलन करना चाहता है । साथ ही बैंक कच्चे माल की खरीद पर आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावित उधार-सुविधा के बारे में भी जानना चाहता है ।

बैंकर यह भी चाहता है कि चालू आस्तियों के धारण का स्रोत केवल चालू देयताएं (चा. दे.) नहीं हों । चालू आस्तियों का कुछ भाग दीर्घावधि स्रोतों से भी वित्त पोषित हो । दीर्घावधि स्रोतों की वह राशि जो चालू आस्तियों को आंशिक रूप से पोषित करती है **निवल** कार्यशील पूंजी (नि. का. पूं.) अथवा उधारकर्ता की ओर से लायी गयी मार्जिन राशि (मा. रा.) कहलाती है ।

चा. आ. = चा. दे. + मा. रा.

अथवा चा. आ.– चा. दे.= मा. रा.

यह मार्जिन राशि (मा. रा.) / निवल कार्यशील पूंजी ``तरल आधिक्य'' भी कहलाती है ।

तरल आधिक्य = दीर्घावधि स्रोत – दीर्घावधि उपयोग

= दी. स्रोत – दी. उपयोग

चालू अनुपात एवं निवल कार्यशील पूंजी में सम्बन्ध

1. नि. का. पू. = चा. आ. – चा. दे.
2. चालू अनुपात = चा. आ. ÷ चा. दे.

	नि. का. पू.	**चालू अनुपात**
अ. चा. आ. > चा. दे.	सकारात्मक	एक से अधिक
ब. चा. आ. = चा. दे.	शून्य	एक
स. चा. आ. < चा. दे.	नकारात्मक	एक से कम

कार्यशील पूंजी का निर्धारण

एक व्यावसायिक / औद्योगिक इकाई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के निर्धारण हेतु तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं :

1. पारम्परिक पद्धति

इस पद्धति में उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक एवं अनुमानित वित्तीय विवरणियों में दर्शाए गए उत्पादन, ब्रिकी, चालू आस्तियों एवं अन्य चालू देयताओं (बैंक उधार को छोड़कर) के आंकड़ों के आधार पर बैंकर युक्तिसंगत कार्यशील पूंजी अंतर की गणना कर इस अंतर को पाटने हेतु कार्यशील पूंजी ऋण एवं मार्जिन राशि का निर्धारण करता है ।

उदाहरणार्थ : अनुमानित आंकड़े निम्न हैं : सकल बिक्री - रु. 160 लाख, चालू आस्तियाँ - रु. 52 लाख, अन्य चालू देयताएं - रु. 12 लाख । इन आंकड़ों के आधार ``कार्यशील पूंजी अंतर'' चालू आस्तियों में से अन्य चालू देयताएं घटाएं, हुआ रु. 40 लाख । इस रु. 40 लाख के अंतर को पाटने हेतु अगर बैंक यह निर्धारित करता है कि कम

से कम रु. 13 लाख मार्जिन राशि हेतु उधारकर्ता दीर्घावधि स्रोतों से लाये, उस दशा में बैंक रु. 27 लाख का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करायेगा ।

2. अनुमानित लेन-देन पद्धति

इस पद्धति के अनुसार अनुमानित **सकल** बिक्री की कम से कम 20 % की राशि बैंक को उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध करानी होती है एवं उधारकर्ता को मार्जिन के रूप में अनुमानित सकल बिक्री के 5% के बराबर राशि की व्यवस्था करनी होती है । उदाहरण के तौर पर यदि अनुमानित सकल बिक्री रु. 160 लाख है तब बैंक रु. 32 लाख की राशि उधारकर्ता को का. पूं. ऋण के रूप में उपलब्ध करायेगा एवं उधारकर्ता को मार्जिन राशि रु. 8 लाख की लानी होगी ।

3. नकद - बजट पद्धति

यहाँ उधारकर्ता अनुमानित वित्तीय विवरणियों से मेल खाता हुआ `नकदी बजट' बैंक को प्रस्तुत करता है । इस पद्धति में कार्यशील पूंजी ऋण का आधार व्यावसायिक कारोबार में आने वाला ``नकदी अंतर'' है । इस नकदी अंतर की गणना एक निश्चित समयावधि - मासिक / त्रैमासिक - में भुगतान (नकदी बाह्य प्रवाह) एवं प्राप्तियों (नकदी अंतर प्रवाह) में आये अंतर द्वारा की जाती है ।

अब हम कार्यशील पूंजी के निर्धारण हेतु अपनाई जा रही इन तीन पद्धतियों का वर्णन विस्तार से करेंगे ।

पारंपरिक पद्धति

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के आकलन हेतु अपनाई जाने वाली यह पद्धति टण्डन समिति की **अनुशंसा** पर आधारित है :

इसमें निम्नलिखित चरण समाहित हैं

- पिछले निष्पादन का अध्ययन एवं प्राप्त रुझानों को प्रतिपादित करना ।
- उत्पादन, बिक्री तथा चालू आस्ति-देयताओं के धारित स्तर संबंधी अनुमानों की युक्तता का आकलन करना ।
- चालू आस्ति-देयताओं के अनुमानित ढांचे को युक्तिसंगत स्तर तक लाना ।
- कार्यशील पूंजी अंतर (का. पूं. अं.) की गणना करना एवं इस `अंतर' को पाटने हेतु बैंक-ऋण एवं मार्जिन राशि (उधारकर्ता का अंशदान) तय करना ।

सबसे पहले पिछले 2/3 वर्षों की वित्तीय विवरणियाँ वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष के अनुमान / **प्रक्षेपण** के आंकड़े हमें उपलब्ध होने चाहिए, ताकि हम पिछले निष्पादन का अध्ययन कर रुझानों को प्रतिपादित कर उनकी तुलना अनुमानित आंकड़ों से कर सकें । स्टॉक एवं प्राप्य राशि की धारित-अवधि की गणना उनके मौद्रिक मूल्यों को मासिक-धारिता में बदल कर की जाती है ।

क्र.सं.	नग	संबंध	मासिक धारिता
1.	कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	कच्चे माल की खपत	कच्चे माल का अ. स्टॉक ----------X 12 कच्चे माल की खपत
2.	प्रक्रियाधीन माल का अंतिम स्टॉक	उत्पादन लागत	प्र. माल का अ. स्टॉक ----------X 12 उत्पादन लागत
3.	निर्मित वस्तुओं का अंतिम स्टॉक	बिक्री लागत	नि. वस्तुओं का अ. स्टॉक ----------X 12 बिक्री लागत
4.	प्राप्य राशि	सकल ब्रिकी	प्राप्य राशि ----------X 12 सकल ब्रिकी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमानित / प्रक्षेपित चालू आस्ति-देयताओं के आंकड़े पिछले वर्षों के प्रतिपादित रूझानों से मेल खाते हैं या नहीं; स्टॉक, प्राप्य राशि, देनदारी के अनुमानित / प्रक्षेपित स्तर को पहले मासिक धारिता में परिवर्तित किया जाता है तत्पश्चात उनकी तुलना पिछले वर्षों की मासिक-धारिता के स्तर से की जाती है। इस तुलनात्मक अध्ययन से मासिक-धारिता में जो विचलन दृष्टिगोचर होता है उसे बैंकर उसी दशा में स्वीकार कर सकता है जब कि उधारकर्ता इस **विचलन** के बारे में अपने स्पष्टीकरण से बैंकर को संतुष्ट करें ।

कार्यशील पूंजी अंतर की गणना

जैसा कि हमें विदित है चालू आस्तियों का धारण चालू देयताओं (चा. दें) एवं मार्जिन-राशि (मा. रा.) होना चाहिए ।

चा. आ. = चा. दे. + मा. सा.

चालू देयताओं में – अल्पावधि बैंक उधार (अ. बैं. उ.), व्यावसायिक लेनदार, अन्य देयताएं एवं प्रावधान (जब तक चुकता नहीं हो) सम्मिलित है । चालू देयताओं में से अल्पावधि बैंक उधार को घटाने पर शेष देयताओं को ``अन्य चालू देयताएं'' (अ. चा. दे.) कहते हैं ।

चा. दे. = अ. बैं. उ. + अ. चा. दे.

चा. आ. = अ. बैं. उ. + अ. चा. दे. + मा. रा.

अथवा चा. आ. – अ. चा. दे. = अ. बैं. उ. + मा. रा.

चालू आस्तियों का एक भाग अन्य चालू देयताओं से वित्त

पोषित होता है । चालू आस्तियों का दूसरा बचा हुआ भाग (चा. आ. – अ. चा. दे.) कार्यशील पूंजी अंतर कहलाता है ।

का. पू. अं. = अ. बैं. उ. + मा. रा.

<table>
<tr><td colspan="3">चालू - आस्तियाँ</td></tr>
<tr><td colspan="2">चालू देयताएँ</td><td>मार्जिन राशि</td></tr>
<tr><td>अन्य चालू देयताएं</td><td colspan="2">कार्यशील पूंजी अंतर</td></tr>
<tr><td>अन्य चालू देयताएं</td><td>अल्प बैंक उधार</td><td>मार्जिन राशि</td></tr>
</table>

बैंक ऋण एवं उधारकर्ता का अंशदान निर्धारित करना

अब यह प्रश्न उठता है कि कार्यशील पूंजी अंतर को कैसे पाटा जाए? कितनी सहायता बैंक, कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कर करे? एवं उधारकर्ता का अंशदान मार्जिन के रूप में कितना हो ? जब बैंक यह शर्त रखता है कि उधारकर्ता की ओर से मार्जिन राशि कम से कम कार्यशील पूंजी के अंतर के 25% के बराबर हो तब यह पद्धति - 1 कहलाती है । बैंक जब मार्जिन-राशि की शर्त को बढ़ा कर चालू आस्तियों के 25% के बराबर करता है तो यह पद्धति - 2 है । उधार की इस पद्धति - 2 के अनुसार चालू आस्तियाँ 100 रु. की है तो मार्जिन-राशि कम से कम 25 रु. होनी चाहिए एवं समीकरण ``चालू आस्तियाँ = चालू देयताएं + मार्जिन राशि'' के आधार पर चालू देयताएं 75 रु. की होंगी एवं चालू अनुपात 1.33 होगा । इससे यह स्पष्ट है कि जब बैंकर चालू अनुपात 1.33 की शर्त रखता है तब उसका आशय यह है कि पद्धति - 2 अपनाई जा रही है, जहाँ चालू आस्तियों का एक-चौथाई भाग मार्जिन राशि से वित्तपोषित हो रहा है ।

अनुमानित लेनदेन पद्धति

यह पद्धति नायक समिति की अनुशंसा पर आधारित है । इस पद्धति के अंतर्गत कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन अनुमानित लेनदेन से सीधा जुड़ा है । बैंकर के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यावसायिक इकाई की अनुमानित वार्षिक लेनदेन की युक्तता के बारे में संतुष्ट हो ले । पद्धति के अनुसार कार्यशील पूंजी ऋण सीमा की गणना अनुमानित लेनदेन के न्यूनतम 20% के आधार पर की जाती है । उधारकर्ता को मार्जिन राशि अनुमानित लेनदेन के 5% के बराबर लानी होती है । इसलिए इस पद्धति के अंतर्गत इकाई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उसके अनुमानित लेनदेन की 25% मानी गई है, जहाँ, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का 4/5 भाग बैंक प्रदान करता है एवं 1/5 भाग उधारकर्ता का अंशदान रहता है ।

यहाँ इस तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि यह पद्धति प्रत्येक इकाई का कार्यशील पूंजी चक्र समान रूप से तीन महीनों का मानती है, जबकि व्यावहारिक पक्ष यह है कि इकाई का कार्यशील पूंजी चक्र तीन महीनों से कम या अधिक हो सकता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस पद्धति से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया है वे निम्न हैं :

- अनुमानित लेनदेन से तात्पर्य सकल बिक्री से है जिसमें उत्पादन शुल्क सम्मिलित है ।
- उन इकाइयों के कार्यशील पूंजी ऋण के निर्धारण हेतु - जो इकाइयाँ अनुमानित लेनदेन पद्धति से ऋण प्राप्त करने की अर्हता रखती हैं - दोनों पद्धतियाँ (पारंपरिक एवं अनुमानित लेनदेन पद्धति) अपनाई जाये । ऐसी दशा में जब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पारंपरिक पद्धति के अनुसार अनुमानित लेनदेन से अधिक आती है, इकाई के पक्ष में पारंपरिक पद्धति द्वारा निर्धारित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा स्वीकृत की जानी चाहिए । ध्यान रहे वास्तविक आहरण, खाता की आहरण शक्ति, जिसकी गणना भुगतान किए गए स्टॉक पर की गई है, के आधार पर अनुमत होना चाहिए ।
- कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पारंपरिक पद्धति के अनुसार अधिक हो तब उधारकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह बैंक ऋण की आवश्यकता को देखते हुए अधिक मार्जिन-राशि लाए यानि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के कम से कम 1/5 भाग की राशि का वह नि. का. पूं./मार्जिन के रूप में योगदान दें ।
- उपलब्ध नि. का. पूं. अनुमानित लेनदेन के 5% से अधिक है तब उपलब्ध नि. का. पूं. को ध्यान में रखते हुए ही बैंक ऋण की सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

नकदी बजट पद्धति : ``नकदी बजट'' एक निश्चित समयावधि की प्राप्तियों और भुगतान का पूर्वानुमान है । जैसा कि पूर्व में कहा गया है, इस पद्धति के अंतर्गत उधारकर्ता **वित्तीय विवरणियों** के साथ-साथ वार्षिक बजट भी बैंक में प्रस्तुत करता है । वित्तीय विवरणियों के आधार पर बैंकर संतुष्ट हो लेना चाहता है कि प्रस्तुत वार्षिक ``नकदी बजट'' युक्ति संगत है । वार्षिक बजट को अल्पावधि (मासिक, त्रैमासिक) पूर्वानुमानों में विभक्त किया जाता है । जहाँ ``पारंपरिक पद्धति'' में कार्यशील पूंजी ऋण का आधार `` ``कार्यशील पूंजी अंतर'' है, वहाँ नकदी बजट पद्धति में यह आधार ``नकदी अंतर'' बनता है । भुगतान एवं प्राप्तियों के पूर्वानुमानों में आने वाले इस अंतर की गणना मासिक या त्रैमासिक आधार पर की जाती है । यहाँ यह बात स्पष्ट करना

आवश्यक है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करते समय बैंकर केवल व्यावसायिक कारोबार के मद में उत्पन्न होने वाले ``नकदी अंतर'' पर ही ध्यान केंद्रित करता है । बैंकर इस मद में आए ``नकदी अंतर'' को पाटने हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उधारकर्ता को उपलब्ध करवाता है । साथ ही उधारकर्ता से यह अपेक्षा रहती है कि इस अनुमानित ``नकदी अंतर'' को पाटने हेतु वह भी मार्जिन-राशि की व्यवस्था करे । यह मार्जिन-राशि अन्य मदों, जैसे पूंजीगत खाता आदि के नकद अधिशेष के योग के बराबर होनी चाहिए । व्यावसायिक कारोबार की प्रत्येक तिमाही में उत्पन्न होने वाले अनुमानित ``नकदी अंतर'' में से उस तिमाही के अन्य मदों/स्रोतों के अनुमानित ``नकदी अधिशेष'' को घटाने से व्यावसायिक कारोबार हेतु त्रैमासिक ``शुद्ध नकदी अंतर'' प्राप्त होता है । इस प्रकार त्रैमासिक आधार पर निकाला गया अधिकतम ``शुद्ध नकदी अंतर'' बैंक द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी ऋण की बाहरी सीमा को तय करता है ।

नकदी बजट का सारांश

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
1. व्यावसायिक कारोबार में भुगतान नकदी बाह्य प्रवाह कच्चे माल की खरीद, लेनदारों को भुगतान, तैयार माल बनाने हेतु विभिन्न मदों में खर्च, सामान्य प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, उधार पर ब्याज आदि ।				
2. व्यावसायिक कारोबार में प्राप्तियां नकदी अंतर प्रवाह नकद बिक्री, व्यावसायिक देयताओं से वसूली ।				
3. व्यावसायिक कारोबार में नकदी अंतर 1 - 2				
4. पूंजीगत खाता एवं अन्य मदों/स्रोतों से नकदी अवशेष प्राप्तियाँ - शेयर जारी, डिबेंचर उधार निवेशों की बिक्री, निवेशों पर लाभांश आदि भुगतान - डिबेंचर / उधार का पुनर्भुगतान, निवेशों की खरीद, आयकर ।				
5. व्यावसायिक कारोबार में ``शुद्ध नकदी अंतर'' 3 - 4				
6. बैंक से कार्यशील पूंजी 5 के बराबर				

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक अनुमानित लेनदेन पद्धति निम्न क्षेत्रों पर लागू है :

अ. लघु उद्योग तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्र जहाँ कार्यशील पूंजी ऋण की आवश्कयता रु. पाँच करोड़ तक की है ।

ब. व्यापार क्षेत्र के छोटे उधारकर्ता, जिनकी कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी आवश्यकता रु. एक करोड़ तक की है ।

व्यापार क्षेत्र के बड़े ऋणियों एवं निर्माण क्षेत्र के अन्य उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी आवश्यकता के निर्धारण हेतु बैंकों में पारंपरिक पद्धति अथवा नकदी बजट पद्धति प्रचलित है । निर्माण क्षेत्र में चक्रीय उद्योग (मौसमी उद्योग) के ऋणियों की कार्यशील पूंजी के आकलन में ``नकदी बजट पद्धति'' अधिक कारगर सिद्ध हो रही है ।

प्रयुक्त शब्दावली

कार्यशील पूंजी	Working Capital	सकल	Gross
स्थायी आस्तियाँ	Fixed Assets	अनुशंसा	Recommendation
चालू आस्तियाँ	Current Assets	प्रक्षेपण	Projection
निर्मित वस्तु	Finished Products/goods	विचलन	Deviation
निवल	Net	वित्तीय विवरणियां	Financial Statement

राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर का आपस में संबंध

श्री प्रह्लाद सबनानी
प्रबंधक, आर्थिक अनुसंधान विभाग
भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
पोस्ट बॉक्स क्र. 12
मादाम कामा रोड
मुंबई 400021

श्री एलन ग्रीनस्पॉन, यू. एस. फैडरल रिजर्व के अध्यक्ष, अमेरिका में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिये जहां जून 1999 से लगातार ब्याज दर बढ़ाते जा रहे थे, वर्ष 2001 में ब्याज दर को तीन बार आधा प्रतिशत कम कर चुके हैं । उधर बैंक ऑफ जापान ब्याज दर को शून्य की सीमा तक ले आया है । पिछले वर्षों में जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुद्रा स्फीति और **मंदी** के चक्र में बढ़ती रही, जापानी अर्थव्यवस्था प्रयत्न के बावजूद मंदी से नहीं उबर पा रही है। जहां अमेरिका ब्याज दर में परिवर्तन कर, वस्तुओं की मांग और **पूर्ति** में सामंजस्य स्थापित कर सका है, जापान में सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि के बावजूद, आम उपभोक्ता मंदी के कारण अपने व्यय को विलंबित करता रहा है जिससे मांग में और कमी हुई है और मंदी का प्रभाव प्रखर हुआ है ।

दुनिया के कई विकासशील देशों में, पूंजी निवेश की आवश्यकता तथा बचत के अभाव के कारण मांग और पूर्ति में काफी अंतर है जिसके कारण वहां की सरकारों को विकास के लिये राजकोषीय घाटा बढ़ाना पड़ता है । यदि यह घाटा उचित निवेश में व्यय न हो तो यह मुद्रा स्फीति तथा ब्याज दर में वृद्धि करता है । जिसके कारण आम उपभोक्ता की मांग और मुद्रा स्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ।

मुद्रा स्फीति की दर का स्थायी और कम होना आर्थिक विकास के लिये अच्छा संकेत माना गया है । इसी कारणवश दुनिया के कई देश मुद्रा प्रसार और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की पद्धति अपनाते हैं । न्यूजीलैंड ने मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रित रखने के लिये वर्ष 1990 से मुद्रा स्फीति लक्ष्य की पद्धति को अपनाया है, जिसे बाद में कनाडा ने वर्ष 1991 में, इंग्लैंड ने वर्ष 1992 में एवं नार्वे और स्पेन ने वर्ष 1994 में अपनाया ।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जहाँ कुछ देश राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अन्य देश मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति या ब्याज दर को नियंत्रित करना चाहते हैं । परन्तु सभी देशों का लक्ष्य है उनके आर्थिक विकास में संतुलित एवं निरंतर वृद्धि । प्रश्न यह उठता है कि क्या राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर में कुछ संबंध है अथवा नहीं । यदि है तो यह किस प्रकार का है तथा यह देश के आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है । इस लेख में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है ।

राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर का आपस में संबंध

यह कई आर्थिक अनुसंधानों के माध्यम से सिद्ध किया जा चुका है कि राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर का आपस में संबंध है । यह एक दूसरे को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। किसी एक मद में कमी या वृद्धि का प्रभाव निश्चित ही दूसरी मद पर भी कमी या वृद्धि के रूप में होता है ।

राजकोषीय घाटा एवं मुद्रा प्रसार

आइये सबसे पहले राजकोषीय घाटा एवं मुद्रा प्रसार के आपस में संबंध को समझें । यदि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से मुद्रा प्रसार में वृद्धि करेगा क्योंकि राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार या तो भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेगी (अर्थात नये नोट छापना) या इस घाटे को **मुद्रीकृत** किया जायेगा । तीसरा रास्ता हो सकता है बैंकों आदि से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना । यदि भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लिया जाये

या फिर राजकोषीय घाटे को मुद्रीकृत किया जाये, इन दोनों उपायों का प्रभाव समान रूप से देखने को मिलेगा अर्थात मुद्रा प्रसार में वृद्धि । बैंकों आदि से ऋण लेने से मुद्रा प्रसार के बढ़ने की संभावना तो कम होगी परंतु यदि लगातार राजकोषीय घाटे की पूर्ति, ऋण उगाहकर की जायेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब इन ऋणों के ब्याज को चुकाने हेतु भी ऋण लेने की आवश्यकता होगी और अंततः सरकार के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि पूर्व में लिए गए ऋणों के ब्याज को चुकाने हेतु या तो केन्द्रीय बैंक से ऋण ले अथवा बजट घाटे को मुद्रीकृत कराये । अतः ऋणों में लगातार वृद्धि का प्रभाव भी लम्बे समय बाद मुद्रा प्रसार में वृद्धि के रूप में दिखेगा । अंततः यही कहा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना आवश्यक है ।

मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा स्फीति

आइये अब मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा स्फीति के आपसी संबंध को टटोलने का प्रयास करें । मुद्रा प्रसार में वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आने से वे इसे या तो वस्तुएं खरीदने हेतु उपयोग करेंगे या फिर बचत दर बढ़ायेंगे । यदि वस्तुओं की मांग वृद्धि दर अधिक हुई और वस्तुओं की पूर्ति उस दर से नहीं हो पाई तो मांग एवं पूर्ति में असामंजस्य स्थापित होगा तथा यह मुद्रा स्फीति की दर बढ़ाने में सहायक होगा । दूसरी ओर यदि मुद्रा प्रसार बचत के रूप में बैंकों के पास पहुंच जाता है तो मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर कम प्रभावित होगी । अमेरिका में बचत की तुलना में खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक है जिससे मुद्रा स्फीति तुरंत प्रभावित होती है । वहीं जापान, चीन एवं अन्य कई एशियाई देशों में वहां की सरकारें अपना खर्च बढ़ाकर मुद्रा प्रसार में वृद्धि करने के भरसक प्रयास कर रही हैं । परंतु यहां मुद्रा प्रसार बैंकों में बचत के रूप में वापस पहुंच जाता है (क्योंकि एशियाई देशों में निवास करने वाले लोगों में खर्च की प्रवृत्ति कम और बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है) । इस प्रकार इन देशों की बचत दर में वृद्धि हो रही है, इससे आर्थिक विकास की दर में वृद्धि नहीं हो पा रही है । अतः अमेरिका जहां आर्थिक विकास की दर को नियंत्रित करने हेतु प्रयत्नशील है वहीं कई एशियाई देश अपनी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं ।

मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर

ब्याज दर दो प्रकार की होती है - (i) लागू ब्याज दर एवं (ii) वास्तविक ब्याज दर । लागू ब्याज दर में से मुद्रा स्फीति की दर घटा देने से वास्तविक ब्याज दर को आंका जा सकता है । कई विकसित देशों में वास्तविक ब्याज दर बहुत कम है । जापान में तो यह शून्य प्रतिशत तक पहुंच चुकी है । कई विकासशील देशों में वास्तविक ब्याज दर बहुत अधिक है । इसका स्पष्ट कारण वहां पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति की तुलना में अधिक होना है । दूसरे, विकसित देशों में मुद्रा स्फीति की दर कम होने के कारण यहां लागू ब्याज दर भी कम रहती है । वहीं विकासशील देशों में मुद्रा स्फीति की दर अधिक रहने के कारण लागू ब्याज दर भी अधिक रहती है । यहां भारतवर्ष का उदाहरण लिया जा सकता है । वर्ष1990-91 में यहां लागू ब्याज दर लगभग 20 प्रतिशत रह चुकी है वहीं जापान में यह शून्य प्रतिशत तक जा चुकी है । देखिए, दोनों देशों की लागू ब्याज दर में कितना बड़ा अंतर है । मुद्रा स्फीति की दर ब्याज दर को सीधे-सीधे ही प्रभावित कर सकती है । मुद्रा का प्रसार अधिक होने से पूंजी की पूर्ति भी बढ़ेगी । अतः अल्प काल में पूंजी की मांग यदि कम रही तो ब्याज दर कम होगी । परंतु मध्यम काल में पूंजी की मांग बढ़ जाने पर ब्याज दर में वृद्धि शुरू होगी । भारत में यदि मुद्रा स्फीति पर पेट्रो पदार्थों का प्रभाव कम करके आंका जाये तो यह बहुत ही कम है । अतः भारत में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि ब्याज दर को घटाया जाये । भारत सरकार ने फरवरी 2001 के बजट में इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाये हैं । विकसित देशों में जहां मांग एवं पूर्ति का नियम उच्चतम स्तर पर अपना कार्य करता है वहां मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा स्फीति दोनों ही ब्याज दर को तुरंत प्रभावित करते हैं परंतु विकासशील देशों में मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर का आपस में सामंजस्य स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है ।

राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव ।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजकोषीय घाटा यदि एक सीमा में रखा जाये और इसका उपयोग यदि नये-नये उद्योग स्थापित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु हो रहा हो (तब चाहे अर्थ का प्रबंधन मुद्रीकृत करके किया गया हो) तब यह देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । परंतु यदि राजकोषीय घाटा अनियंत्रित हो जाये तथा अर्थ की पूर्ति बैंकों आदि से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर की जाये तो इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी भी हो सकता है ।

मुद्रा प्रसार की दर भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यदि मुद्रा प्रसार अधिक हो और वस्तुओं की पूर्ति कम रहे तो यह आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी। वहीं दूसरी ओर यदि मुद्रा प्रसार बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ने पर पूर्ति भी लगातार उसी दर से बढ़े तो यह देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा। अल्पकाल में मुद्रा प्रसार को बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है परंतु मध्यकाल या दीर्घकाल में मुद्रा प्रसार को बढ़ाने के साथ ही वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाना भी आवश्यक होगा तभी यह देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा।

वहीं दूसरी ओर मुद्रा स्फीति की दर भी यदि नियंत्रित रखी जाये तो यह आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है। कई अर्थशास्त्रियों ने 3 से 5 प्रतिशत की मुद्रा स्फीति की दर को देश के आर्थिक विकास में सहयोगी भूमिका निभाने वाला बताया है। यदि मुद्रा स्फीति की दर अनियंत्रित हो जाये तब इसका प्रभाव विशेषतः गरीब तबके पर विनाशकारी होता है और यह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि अधिक मुद्रा स्फीति से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की **क्रयशक्ति** में तेजी से गिरावट आती है। वहीं मध्यम वर्ग के लोगों की बचत दर प्रभावित होती है जिसका सीधा असर देश के आर्थिक विकास पर होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का तो यहां तक मानना है कि यदि देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखा जाये तो यह अपने आप में गरीबी कम करने का सबसे कारगर उपाय हो सकता है। अमेरिका आदि देश मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने हेतु ही ब्याज दर में बार-बार वृद्धि की घोषणा करते हैं।

ब्याज दर कम रखना भी देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि इससे उत्पाद की लागत कम होती है तथा उद्योगों की लाभ-अर्जन क्षमता में वृद्धि होती है। जनता को उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध कराकर इसकी मांग में वृद्धि की जा सकती है जिससे अंततः औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अतः आर्थिक विकास के चक्र को गति प्रदान की जा सकती है। परंतु ब्याज दर को तुरंत (एकदम) कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे अन्य कई घटक भी प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्याज की दर अधिक होने पर पूंजी महंगी होती है और इसका उपयोग करनेवाले लोग कम हो जाते हैं। हमारे देश में केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक लगातार प्रयासरत हैं कि कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध हो जिससे आर्थिक विकास तेज हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित की जा रही मौद्रिक एवं ऋण नीति का भी मुख्य उद्देश्य अब यह हो गया है कि देश में पूंजी की **तरलता** बनी रहे और उद्योगों, कृषि एवं सेवा आदि क्षेत्रों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होते रहें।

अतः अब यह कहा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा, मुद्रा प्रसार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर देश के आर्थिक विकास को सीधे-सीधे प्रभावित कर सकते हैं।

प्रयुक्त शब्दावली

राजकोषीय घाटा	Fiscal Deficit	पूर्ति	Supply
मुद्रा प्रसार	Money expansion	मुद्रीकृत	Monetized
मुद्रा स्फीति	Inflation	क्रयशक्ति	Purchasing Power
मंदी	Recession	तरलता	Liquidity

बीमा क्षेत्र और बैंक

डॉ. रामप्रकाश सिंहल
उप महाप्रबंधक
आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

भारत में आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण के रूप में जहाँ बैंकों में सरकारी नियंत्रण में कमी लाकर उनमें निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है, वहीं बीमा क्षेत्र को भी, जो अभी तक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व में था, निजी क्षेत्र के लिए खोलने का निश्चय किया गया है ।

हाल ही में बीमा विनियमन तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीए) के संसद द्वारा पारित किये जाने के पश्चात बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक नीति की 27 अप्रैल 2000 को की गयी घोषणा के अनुसार अब बैंक भी कुछ शर्तों का अनुपालन करते हुए बीमा कारोबार कर सकेंगे ।

कुछ समय पूर्व एच. एस. खान कार्यकारी दल ने जहां यूनिवर्सल बैंकिंग की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए यह सिफारिश की थी कि वित्तीय संस्थाओं को भी बैंकिंग और बीमा कारोबार करने की अनुमति दी जाए । इसी प्रकार अनेक बैंक भी बीमा कारोबार करने की अनुमति चाहते रहे हैं, अर्थात उदारीकरण के चलते बैंक, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कम्पनियों को, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख घटक हैं, अवसर की समानता दी जाए । आईआरडीए अधिनियम, 1999 के पारित हो जाने पर यह काम आसान हो गया है । हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व - गवर्नर श्री. आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति ने बीमा क्षेत्र को खोलने की सिफारिश सन 1992 में ही कर दी थी, परन्तु काफी **जद्दोजहद** के बाद इसे अनिधियम, 1999 के द्वारा स्वीकृति सन 2000 में ही मिल पायी और बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण (1956) के 44 वर्षों के बाद बीमा क्षेत्र पुनः निजी क्षेत्र के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त हो पाया है ।

भारत में बीमा क्षेत्र की स्थिति

भारत में बीमा क्षेत्र में दो प्रकार की बीमा कम्पनियां हैं; जीवन बीमा - जिसमें जीवन बीमा निगम ही एक मात्र संस्था है, तथा साधारण बीमा निगम जिसमें 4 सहायक कम्पनियां संलग्न हैं ।

हालांकि जीवन बीमा पालिसियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है फिर भी गत 50 वर्षों के इतिहास के बावजूद यह सुविधा अभी तक भारत के जन-जन तक नहीं पहुंच सकी है और इसकी पालिसियों का केन्द्र बिन्दु अभी तक भी महानगरीय, शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र हैं ।

भारत में जीवन बीमा कारोबार के प्रसार की सम्भावनाएं काफी अधिक हैं, जैसे –

(i)	संयुक्त परिवार का **विखंडन**	भारत में संयुक्त परिवार जो एक प्रकार से सुरक्षा का भी कार्य करता था, अब बिखर रहा है । अतः प्रत्येक सदस्य के लिए पृथक् बीमा की आवश्यकता होगी ।
(ii)	जीवनावधि बढ़ रही है	भारत मे बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल के कारण आयु बढ़ रही है और वृद्धों की संख्या बढ़ रही है । 1990 में भारत में लगभग 540 लाख लोग 60 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं और 2000 की समाप्ति तक यह संख्या 710 लाख हो जाने की संभावना है, 2010 तक यह कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत तक अर्थात 1100 लाख हो जाने की आशा है ।
(iii)	वृद्धावस्था के लिए योजना बनाने के प्रति अधिक जागरूकता	पेंशन प्रणाली को अधिकाधिक अपनाना, वृद्धावस्था के लिए निधियों का निवेश, नियमित आय का वृद्धावस्था के लिए आयोजन आदि । वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन बीमा में वृद्धि की सम्भावना अधिक ।

(iv) भारत के मध्यम आय वर्ग में वृद्धि	प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता में वृद्धि के कारण बचत में वृद्धि, बीमा पालिसियों में वृद्धि की सम्भावना अधिक
(v) अर्थव्यवस्था में 6% की वृद्धि शिक्षा में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता	बचत, निवेश में वृद्धि, बीमा के प्रति अधिक रुझान के कारण बीमा और विशेषकर वृद्धावस्था पेंशन की ओर आकर्षण बढ़ेगा ।
(vi) पेंशन योजना के प्रति बढ़ता रुझान वृद्धावस्था पेंशन असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा का न होना	बीमा उत्पादों के नवोन्मेष की **अकूत** सम्भावनाएं हैं
(vii) विविध प्रकार की आवश्यकताएं	

अतः अनेक निजी, विदेशी कम्पनियां तथा बैंक बीमा कारोबार के खोले जाने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे । अब बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1999 के पारित हो जाने से जैसे उन्हें... एक बड़े क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार करने का सुनहरा अवसर मिला है । इसीलिए तो अनेक बैंकों और वित्तीय कम्पनियों ने इसके लिए अनेक समझौते कर डाले हैं - वस्तुतः गत चार वर्षों में विदेशी कम्पनियों द्वारा ऐसे लगभग 15 समझौते किये गये हैं जो भारत में बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहती हैं । उनमें प्रमुख हैं :

भारतीय कम्पनी साझीदार	**विदेशी कम्पनी साझीदार**
कोटक महेन्द्रा	चब्ब
टाटा ग्रुप	ए आई जी (अमेरिकन इन्श्यूरेंश ग्रुप)
सुन्दरम फाइनेंस	विंटर थुर ऑफ स्विट्जरलैंड
सन्मर ग्रुप	आस्ट्रेलियाई सरकार
स्पिक	मेटलाइफ
आईएलएफएल	सिग्मा
एल्पिक फाइनेंस	एलाइंज
20th सेंचुरी सेंचुरियन बैंक	सनलाइफ, कनाडा
वैश्य बैंक	आईएनजी
चोला मंडलम	ए एक्स ए (एक्स.)
भारतीय स्टेट बैंक	एलाईन्स केपिटल
एच डी एफ सी	स्टेंडर्ड लाइफ
आईसीआईसीआई	प्रूडेंशियल (यू. के.)
आईडीबीआई	प्रिंसिपल
कोक्स इंडिया	न्यूयार्क लाइफ

बीमा कारोबार एक आकर्षक व्यवसाय

जीवन बीमा निगम का रिकार्ड यह दर्शाता है कि बीमा कारोबार एक आकर्षक व्यवसाय है । 1993-94 से लेकर 1997-98 तक जीवन बीमा निगम (LIC) का लाभ मार्जिन औसतन 57.77% का रहा है । राशि की दृष्टि से यह लाभ इस अवधि में 8667.53 करोड़ रु. से बढ़कर 18,072.83 करोड़ रु. का हो गया जो लगभग 20.17% की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्शाता है । इस लाभ में अभी और वृद्धि की सम्भावनाएं हैं ।

बीमा क्षेत्र आकर्षण का केन्द्र सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि इसमें LIC एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी है, बल्कि इसलिए भी कि यह नकदी प्रधान और निश्चित लाभ की दीर्घावधि योजना है । लगभग सात वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के बाद कोई बीमा कम्पनी लाभ कमाने लगती है ।

यह मानते हुए भी कि भारत में बीमा कारोबार पर सरकार का एकाधिकार रहा है तथा गत 50 वर्षों से भारत में बीमा कारोबार का विशाल बुनियादी ढांचा है, भारत में अभी भी 98% पेंशन निधियों, भविष्य निधियों, पारस्परिक निधियों की काफी बचत राशियों का **दोहन** नहीं किया जा सका है, अतः अभी बीमा कारोबार के प्रसार की काफी सम्भावनाएं हैं ।

नये विनियमन

निजी बीमा कम्पनियां जो बीमा कारोबार में भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहती हैं -

(i) उनके लिए 100 करोड़ रु. की प्रारम्भिक पूंजी होनी चाहिए तथा

(ii) उनमें विदेशी कम्पनी भारत में उक्त संयुक्त उद्यम की कुल प्रदत्त पूंजी के 26% तक ही निवेश कर सकेंगी ।

साथ ही पुनर्बीमा कारोबार के लिए 200 करोड़ रु. की न्यूनतम सीमा रखी गयी है ।

(iii) वे पालिसी धारकों की राशि को देश से बाहर नहीं ले जा सकेंगी ।

(iv) कोई भी कम्पनी जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों क्षेत्रों में एक साथ कारोबार नहीं कर सकेगी ।

(v) जीवन बीमा तथा साधारण बीमा में कम से कम 50 करोड़ रु. का भुगतान मार्जिन (शोधन क्षमता) रखना होगा, जबकि पुनर्बीमा कम्पनियों को 100 करोड़ का ।

(vi) **प्रोन्नतकर्ता** की धारिता 40% से अधिक तथा 26% से कम नहीं होनी चाहिए ।

- भारत में बैंक (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के दोनों) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रही है । रिज़र्व बैंक ने जहां बैंकों के लिए 100 करोड़ रु. की निवल स्वाधिकृत निधि की शर्त रखी है, वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए 500 करोड़ रु. की ।
- प्राइवेट बीमा कम्पनियों का विनियमन आईआरडीए द्वारा किया जायेगा ।
- शेयरधारक (प्रोन्नतकर्ता के अलावा) 1% से ज्यादा धारिता नहीं रख सकते ।
- बीमा कम्पनियों के लेखापरीक्षक आईआरडीए को रिपोर्ट करेंगे ।
- भारत में बीमा कारोबार करने वाली कम्पनियों को कोई अन्य कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी ।
- निवेश योग्य निधियों का लगभग 60% सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करना होगा ।
- ये कम्पनियां अपने ही ग्रुप की कम्पनियों में निवेश नहीं कर सकेंगी ।
- इन कम्पनियों को काफी सीमा तक स्वायत्तता होगी ।

बैंकों की भूमिका

बैंकों के व्यापक जाल को देखते हुए बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अपने व्यापक आधार वाली पालिसियों के लिए बीमा के इच्छुक ग्राहकों के लिए बैंकों को अपने एजेंट के रूप में (**हामीदार** के रूप में नहीं) कार्य करने की अनुमति दे सकता है । जिस पर बैंक कमीशन अर्जित कर सकते हैं । विश्व भर में ऐसी व्यवस्था प्रचलित है जिसमें बैंक बीमा कम्पनियों के लिए बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करते हैं । इससे बैंक और बीमा कम्पनियों का समन्वय बढ़ रहा है । इससे बैंक और बीमा कम्पनियों दोनों को लाभ होगा । (जिसकी चर्चा आगे की जायेगी) इसी को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने हाल ही में बैंकों द्वारा बीमा कारोबार में जाने की शर्तों को कुछ आसान बना दिया है - परन्तु चूंकि बैंकों के पास बीमा व्यवसाय करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, अतः अभी केवल मजबूत बैंक ही बीमा क्षेत्र में जाएं इसका ध्यान रखा गया है । साथ ही उन्हें बिना किसी जोखिम सहभागिता के केवल बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जायेगी । बैंकों की सहयोगी संस्थाओं को भी एजेंसी आधार पर बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी जायेगी । इसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 27.4.2000 को घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार बैंकों के पात्रता मानदण्ड 31 मार्च 2000 को इस प्रकार निर्धारित किये हैं -

(i) बैंकों की निवल राशि 500 करोड़ रु. से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ii) बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

(iii) गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर `यथोचित' होना चाहिए ।

(iv) पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंक निवल लाभ का रिकार्ड होना चाहिए ।

(v) संबंधित बैंक के सहायक बैंकों, यदि कोई हो, के कार्य निष्पादन का स्तर संतोषजनक रहा हो ।

(vi) संयुक्त उद्यम में प्रायोजक बैंक केवल 50% तक की अधिकतम ईक्विटी लगा सकेंगे ।

(vii) विदेशी सहभाग 26% तक ही होगा । ये निवेश **एक बारगी** ही होंगे ।

(viii) जो बैंक उपर्युक्त मानदण्ड के अंतर्गत पात्र नहीं हैं वे भी बीमा कम्पनी को आधारभूत सामग्री और सेवा

सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी निवल सम्पत्ति का 10% या 50 करोड़ रु., जो भी कम हो, तक निवेश कर सकेंगे । यह निवेश समझा जाएगा जिस पर कोई आकस्मिक देयता नहीं होगी ।

(ix) बीमा कारोबार करने के इच्छुक बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा । प्रायोजक बैंकों के सहायक बैंक जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक भी शामिल हैं, बीमा कारोबार में भागीदार नहीं बन सकेंगे ।

कुछ एनबीएफसी भी बीमा कारोबार में प्रवेश करने की सोच रही हैं । रिज़र्व बैंक ने उनके लिए न्यूनतम निवल पूंजी 500 करोड़ रु. निश्चित की है । उनकी पूंजी पर्याप्तता 15% तथा एनपीए 5% से कम हों तथा तीन वर्ष का लगातार लाभ का रिकार्ड रहा हो ।

दूसरी ओर कुछ बीमा कम्पनियां भी विभिन्न बैंकों को, एनबीएफसी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं को कमीशन आधार पर अपनी बीमा पालिसियां बेचने की योजना बना रही हैं ।[1]

बीमा और बैंक एक दूसरे के पूरक

यदि प्रयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो बीमा जहाँ जीवन या वस्तु की **सुरक्षा** बेचते हैं, वहीं बैंक निवेश का **प्रतिलाभ** बेचते हैं । सुरक्षा और प्रतिलाभ दोनों का व्यक्ति के जीवन में अहं स्थान है । अतः बीमा और बैंक एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं ।

- बैंकों के लिए भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से निवेशक को एक ही छत के नीचे सुरक्षा और प्रतिलाभ दोनों के लिए उत्पाद मिल सकेंगे ।
- बैंकों का जो विशाल जाल देशभर में फैला है, विशेषकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में,जहाँ बीमा कम्पनियाँ अपनी शाखाएं या कार्यालय नहीं खोल पायी हैं, उनका लाभ बीमा कम्पनियों को अपने उत्पाद बेचने में, बिक्री के बाद की सेवाएं देने में, अपना सम्पर्क-सूत्र स्थापित करने में तथा जन-जन तक पहुँचने में काफी सहायता मिल सकेगी, साथ ही इससे बीमा कम्पनियों को अपना कारोबार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी ।
- बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद खरीदने में ग्राहकों का ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि बैंकों से वे किसी भी समय सम्पर्क कर सकते हैं और बैंकों ने जनता में अपना विश्वास अर्जित किया है । जनता में उनकी साख है, उनकी विश्वसनीयता सुस्थापित है ।
- बैंकों की सुस्थापित शाखाओं के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में बीमा कारोबार या बीमा उत्पाद की लागत में भी कमी आयेगी ।
- बैंकों का बढ़ता हुआ सूचना प्रौद्योगिकी आधार बीमा कारोबार के लिए आधार आंकड़ा ही नहीं, बेहतर ग्राहक सेवा और कारोबार के नये-नये क्षेत्रों को खोजने में दे सकेगा ।
- एक अध्ययन के अनुसार फ्रांस में 50% से अधिक जीवन बीमा उत्पाद तथा ब्रिटेन में लगभग 96% जीवन बीमा उत्पाद बैंकों के माध्यम से बेचे जाते हैं ।

बैंकों को लाभ

बैंकों को बीमा कारोबार करने की सुविधा देने से अनेक लाभ हैं जैसे -

- बैंकों के कारोबार का विशाखीकरण करने में मदद मिलेगी ।
- अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा ।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे ।
- अतिरिक्त स्टाफ को लाभदायक रूप में पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा ।
- ग्राहकों की संख्या तथा कारोबार में वृद्धि होगी ।
- अपनी निवेश योग्य राशि को अधिक लाभदायक रूप में निवेश करने का अवसर मिलेगा ।

---

[1] एचडीएफसी ने तो ब्रिटेन की स्टैंडर्ड लाइफ एश्योरेंस कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा भी कर दी है । आईआरडीए ने हाल ही में (i) एचडीएफसी स्टेंडर्ड लाइफ, (ii) आरआईएल (रिलाइन्स) तथा (iii) रायल सुन्दरम एलाइन्स इन तीन निजी क्षेत्र की संस्थाओं को बीमा कारोबार शुरू करने का लाइसेंस भी प्रदान कर दिया है तथा शीघ्र ही (i) आइसीआइसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ii) मेक्स न्यूयार्क लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड तथा (iii) इफको (आइएफएफसीओ) टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को भी लाइसेंस मिल जायेगा ।

- सेवा से लाभ प्राप्ति का अवसर मिलेगा ।
- अपनी लागत को कम करके प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि लाने का अवसर मिलेगा ।
- अपने सुस्थापित शाखाओं के नेट तंत्र के कारण बैंक नयी विदेशी बीमा कम्पनियों और निजी घरेलू कम्पनियों से अपनी बेहतर स्थिति का लाभ उठाकर बेहतर प्रतिस्पर्धी सिद्ध हो सकते हैं और इस रूप में ज्यादा कारोबार खींच सकते हैं । इस प्रकार वे अपनी कमजोरी (अधिक स्टाफ, अनुत्पादक शाखा आदि) को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं ।
- शहरी और अर्धशहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा वे अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों की बेहतर वसूली कर सकते हैं ।
- अपनी साख के अनुसार बैंकों को अधिकाधिक बीमा कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलने से ग्राहक सेवा में सुधार लाना सम्भव होगा ।

निष्कर्ष

बीमा क्षेत्र को खोल देने के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से **प्रखर तर्क** प्रस्तुत किये जा रहे हैं, विशेषकर विदेशी बीमा कम्पनियों के लिए बीमा कारोबार (26%) खोल देने से इसकी काफी आलोचना की जा रही है । हालांकि यहां वह हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, फिर भी जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र को खोलते समय विदेशी बैंकों के प्रति कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, जो निर्मूल सिद्ध हुई हैं, उसी प्रकार बीमा क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों और निजी क्षेत्र के लिए खोल देने के सम्बन्ध में भी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, वे भी निर्मूल सिद्ध होंगी, ऐसी आशा है ।

वस्तुतः बीमा और बैंक एक दूसरे के पूरक बनते जायेंगे और यह व्यापक (यूनिवर्सल) बैंकिंग या पाश्चात्य ``बैंक एश्योरेंस'' की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम होगा । इससे न केवल बीमा और बैंकों को ही लाभ होगा, वरन् इससे आम जनता, निवेशक, ग्राहक को भी बेहतर उत्पाद, अच्छी सेवाएं, सुरक्षा तथा प्रतिलाभ मिल सकेंगे । उससे बीमा क्षेत्र का भी विस्तार होगा । इसका एक उदाहरण देना अप्रासंगिक नहीं होगा । दक्षिण कोरिया जो बीमा क्षेत्र को खोलने से पहले 1991 में विश्व का 30 वां सबसे बड़ा बीमा बाजार था, बीमा क्षेत्र को खोल दिये जाने के बाद वह 1996 में बीमा कारोबार में विश्व का छठा सबसे बड़ा देश हो गया । आज बीमा कारोबार में भारत का स्थान सातवां है । हम आशा करते हैं कि इस कारोबार को खोल दिये जाने से भारत अगले दशक तक विश्व में बीमा कारोबार के क्षेत्र में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त कर सकेगा और फिर लातुर और भुज के भूकम्प, उड़ीसा जैसे चक्रवात, राजस्थान और गुजरात जैसे अकाल और भोपाल जैसी गैस की त्रासदी, सूखे और बाढ़ के शिकार लोग बेवश, असहाय और बेसहारा नहीं रह जायेंगे । उन्हें बीमा की आशा की किरण ही नहीं, आपत्ति में आर्थिक सहारा भी सुलभ हो सकेगा ।

प्रयुक्त शब्दावली

जद्दोजहद	Untiring efforts	हामीदार	Underwriter
विखंडन	Separation	एक बारगी	One time
अकूत	Unlimited	सुरक्षा	Safety
दोहन	Exploitation	प्रतिलाभ	Return
प्रोन्नतकर्ता	Promoter	प्रखर तर्क	Fierce Views

भारतीय पूंजी बाजार - वटवृक्ष से वी-सैट तक का सफर

डॉ. रमाकान्त गुप्ता
प्रबंधक (राजभाषा)
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
सेन्टर 1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, मुंबई - 400 005

1840 के आसपास टाउन हाल के सामने वट वृक्ष के नीचे बैठ कर शेयरों में लेनदेन की शुरुआत हुई तथा आज बिना किसी शोर-शराबे के कंप्यूटरीकृत शेयर बाजारों में प्रतिदिन हजारों करोड़ का कारोबार होने लगा है। इतना ही नहीं, अब करोड़ों रुपयों के शेयर बहुत अधिक औपचारिकता के बिना मिनटों में इलेक्ट्रॉनिक फार्म में अंतरित किये जा सकते हैं। इतने बड़े बाजार को संभालना आसान काम नहीं है - बड़े निवेशक तो कभी-कभी फंसते हैं पर छोटे निवेशकों को तो प्रायः हाथ जलाना पड़ता है और एक बार ठगे जाने के बाद अधिकांश दुबारा मुड़कर इधर देखते भी नहीं हैं। यही कारण है कि आज भी इतने बड़े देश में प्रतिभूति बाजारों में निवेश करने वालों की संख्या बहुत कम है और यदि कुछ थोड़े-बहुत लोग हैं भी तो वे कुछ बड़े शहरों तक सीमित हैं और उनमें से भी अधिकांश निवेशक शेयर बाजारों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं मिलेंगे। शेयरों को खरीदने (खास तौर पर **प्राथमिक बाजार** से) की प्रक्रिया जितनी आसान है, उन्हें बेचने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और जोखिमपूर्ण है - ब्रोकर छोटे निवेशकों को ग्राहक बनाते नहीं हैं तथा सब-ब्रोकर कब पैसों सहित नदारद हो जाये उसका कोई भरोसा नहीं। सेबी द्वारा बनाये गये अनेक विनियमों के बावजूद आज भी अधिकांश छोटे निवेशकों की स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही है। ऐसे ही अनेक कारण हैं जिनकी वजह से आज भी छोटे निवेशक शेयर बाजारों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। निम्नलिखित सारणी से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारत में कुल घरेलू बचत का कितना प्रतिशत हिस्सा शेयरों और डिबेंचरों में निवेश किया जा रहा है -

सारणी - 1

घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत : प्रतिशत संवितरण[1]

(प्रतिशत में)

	1990-91	1995-96	1998-99
वित्तीय बचत (सकल)	**100**	**100**	**100**
(क) चल मुद्रा	10.6	13.4	10.1
(ख) जमाराशियां	33.3	42.1	41.8
(ग) शेयर और डिबेंचर	***14.3***	***7.4***	***2.5***
(घ) सरकार पर दावे	13.5	7.8	12.3
(ङ) बीमा निधियां	9.5	11.3	10.5
(च) भविष्य निधि एवं पेंशन निधियां	18.9	18.1	22.7

1 स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट - 1999 -2000, पृ. 185

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल बचत का लगभग 2.5 प्रतिशत अंश ही सीधे शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश किया जा रहा है । ऐसा क्यों ? 30 सितंबर 1999 को जारी की गयी अपनी पहली ड्राफ्ट-रिपोर्ट में कुमार मंगलम बिरला समिति ने शेयर बाजारों को दुरुस्त बनाने के लिए कई उल्लेखनीय सुझाव दिये हैं । आइये, देखें कि देश की अर्थव्यवस्था के इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटक में जन्म से लेकर कैसे-कैसे महत्वपूर्ण मोड़ आये हैं तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है तथा क्या कुछ किया जाना चाहिए ।

2. भारत में शेयर बाजार का उदय

भारत में **पूंजी बाजार** का प्रारंभ अठारहवीं सदी में ही हो गया था, जब *ईस्ट इंडिया कंपनी* की ऋण प्रतिभूतियों में लेनदेन शुरू हुआ था । उन्नीसवीं सदी में असंगठित तौर पर प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए मुंबई तथा कलकत्ता प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र के रूप में उभरे । *1840 तथा 1850 के बीच मुंबई में एक दर्जन दलाल थे जो टाउन हाल के सामने वट वृक्ष के नीचे बैठ कर लेनदेन किया करते थे ।* 1860-61 में अमरीकी गृह युद्ध की वजह से भारत से रूई का निर्यात बढ़ने पर मुंबई एक व्यावसायिक केन्द्र के रूप में उभरा तथा उस समय यहां कंपनियों (बैकबे रिक्लेमेशन, पोर्ट कैनिंग, बैंक ऑफ बाम्बे आदि) के शेयरों में जबर्दस्त उछाल आया । 1865 के बाद सात सालों तक जबर्दस्त मंदी का माहौल रहा (यथा, बैंक ऑफ बाम्बे का जो शेयर 500 रुपये से बढ़कर 2850 रुपये तक चला गया था वह इस मंदी में गिरकर 87 रुपये तक आ गया) और फलस्वरूप यहां के दलालों ने एक संगठन बनाया तथा 1875 में मुंबई में शेयर बाजार का जन्म हुआ जो उन दिनों *नेटिव शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स असोसिएशन* के नाम से जाना जाता था । *मई 1927 में मुंबई शेयर बाजार को बाम्बे सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट कंट्रोल ऐक्ट, 1925 के तहत मान्यता मिल गयी ।*

3. स्वाधीनता के बाद प्रतिभूति बाजारों पर नियंत्रण

स्वाधीनता के बाद दो पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के विकास पर ही अधिक बल दिया गया तथा निजी क्षेत्र उपेक्षित रहा जिसकी वजह से पूंजी बाजार में कोई सक्रियता नहीं रही । सरकारी क्षेत्र की कंपनियां सुदृढ़ स्थिति में थीं पर पूंजी बाजार में उनके सूचीबद्ध न होने के कारण बाजार का आकार काफी सीमित रहा । इसके अलावा नये निर्गमों पर **पूंजी निर्गम नियंत्रक** का नियंत्रण था । नये निर्गम के समय, प्रतिभूतियों की संरचना, डिबेंचरों एवं अधिमान शेयरों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरों, सार्वजनिक निर्गम एवं राइट्स निर्गम आदि के मूल्य, प्रमोटरों को पहले से आबंटित शेयरों की मात्रा आदि सभी पर पूंजी निर्गम नियंत्रक का नियंत्रण था । इतना ही नहीं, पूंजी निर्गमों पर नियंत्रण के ही साथ-साथ सरकार ने प्रतिभूति बाजार पर भी नियंत्रण रखने के इरादे से 1956 में *प्रतिभूति और संविदा (विनियमन) अधिनियम* भी पारित किया । इन सबके बावजूद उस समय भी कुछ विशिष्ट शेयरों (यथा, सेंचुरी टेक्सटाइल, बाम्बे डाइंग, टाटा स्टील, नेशनल रेयन, कोहिनूर मिल्स आदि) में **सट्टेबाजी** होती थी और इसीलिए इसे सट्टा बाजार कहा जाता था । पर इसके बावजूद चूक की घटनाएं बहुत ही कम थीं । `अभी भी नैतिकता का बोलबाला था तथा बाजार के लोग अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते थे । कोई भी ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे शेयर बाजार के प्राधिकारी या सरकार नाराज हो ।'[2]

साठ के दशक में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं प्रमुख निवेशकों के रूप में उभरीं तथा बाद में भारतीय यूनिट ट्रस्ट नामक *भारत के पहले म्युच्युअल फंड के `यूनिट 64' नामक पहली योजना के माध्यम से आम जनता भी अप्रत्यक्ष तौर पर पूंजी बाजार में निवेश करने लगी ।*

4. फेरा तथा शेयर संस्कृति का विकास

1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित होने से जहां अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना धंधा समेट कर भारत से बाहर चली गयीं, वहीं 123 कंपनियों ने कुल 150 करोड़ के शेयर जनता को जारी किये तथा फलस्वरूप चार वर्षों की अल्प अवधि में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 1.8 लाख शेयरधारक पैदा हो गये और फलस्वरूप देश में पहली बार आम जनता के बीच शेयर लोकप्रिय हुए एवं शेयर संस्कृति का उदय हुआ । बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत ही कम मूल्य पर शेयर जारी किये थे तथा फलस्वरूप निवेशकों को काफी फायदा भी हुआ, यथा कोलगेट द्वारा 15 रुपये प्रीमियम पर जारी किया गया शेयर उस समय 105 रुपये पर खुला । इस दौर का लाभ उठाते हुए 1977 में देश के नये उद्यमी श्री धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल्स का **सार्वजनिक निर्गम** निकाला । अस्सी के दशक में छोटे निवेशकों की सहभागिता बढ़ती रही एवं रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, एल एंड टी तथा एस्सार ग्रुप की कंपनियों के प्राथमिक निर्गमों को भारी सफलता मिली ।

इस प्रकार अस्सी-नब्बे के दशक तक शेयर बाजारों में **खुदरा निवेशकों** की सहभागिता काफी बढ़ गयी । 1980 में 9

[2] स्रोत : Capital Market, 24 अगस्त 1997 (हिन्दी अनुवाद)

शेयर बाजार एवं 2265 कंपनियां सूचीबद्ध थीं, उनकी पूंजी 3973 करोड़ रुपये तथा उनका बाजार मूल्य 6750 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1990 में क्रमशः 19 शेयर बाजार, 5968 सूचीबद्ध कंपनियां, 27761 करोड़ रुपये की पूंजी और 70521 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य में परिवर्तित हो गया।[3] साथ ही इस दौरान बम्बई शेयर बाजार में चूक की कई घटनाएं भी हुईं। 1992 में हुए प्रतिभूति घोटाले ने तो आम निवेशकों की कमर ही तोड़ दी तथा अनेक सुरक्षा उपाय करने, प्रौद्योगिकी में सुधार लाने, विनियामक संस्थाएं बनाने आदि के बावजूद शेयर बाजार उस हादसे से आज भी उबर नहीं पाया है और कई कारणों से छोटे निवेशक हजारों प्रलोभनों के बावजूद आज भी उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। 1992 का घोटाला वस्तुतः भारतीय पूंजी बाजार की आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना थी तथा हजारों निवेशक इसमें अपना सर्वस्व स्वाहा कर बैठे।

5. शेयर बाजारों का विनियमन और प्रौद्योगिकी उन्नति का युग

उक्त घोटालों के संदर्भ में 4 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम पारित हुआ तथा प्रारंभ में शक्तिहीन समझी जाने वाली इस संस्था को धीरे-धीरे सरकार ने काफी शक्तियां प्रदान कर दीं। *बंबई शेयर बाजार* को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत *राष्ट्रीय शेयर बाजार* से जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा तथा जून 1995 तक वह भी कंप्यूटरीकृत हो गया। धीरे-धीरे देश के अन्य शेयर बाजार भी कंप्यूटरीकृत किये गये एवं छोटे शेयर बाजारों को सशक्त बनाने के लिए इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज का उदय हुआ। इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं :

विदेशी संस्थागत निवेशकों का आगमन - नब्बे के दशक में भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं विदेशी ब्रोकरों को कारोबार की अनुमति मिलने से भारतीय पूंजी बाजार **सार्वभौमिक बाजार** से जुड़ गया तथा अब निवेश करने के पहले ईक्विटी अनुसंधान, शेयरों के फंडामेंटल्स के विश्लेषण तथा तकनीकी विश्लेषण जैसे आधुनिक **परिष्कृत** साधनों का प्रयोग किया जाने लगा।

शेयर बाजारों का कंप्यूटरीकरण - राष्ट्रीय शेयर बाजार एवं बंबई शेयर बाजार के कंप्यूटरीकरण के साथ 1995 से शेयर बाजारों में ऑन-लाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई तथा दो सालों के भीतर अन्य कई शेयर बाजार भी कंप्यूटरीकृत हो गये। कंप्यूटरीकरण के फलस्वरूप जहां निपटान की अवधि में कमी आयी, वहीं शेयर बाजारों को देश भर में अपना कारोबार फैलाने में तथा निवेशकों को बेहतर भाव प्राप्त करने में भी मदद मिली। वी एस ए टी, जिसका पहली बार उपयोग 1984 में अमरीका में किया गया, की शुरुआत भारत में मार्च 1995 में हुई तथा निजी तौर पर प्रदान की जा रही इस सेवा का सर्वोत्तम उपयोग राष्ट्रीय शेयर बाजार में संचार प्रणाली स्थापित करने में किया गया। राष्ट्रीय शेयर बाजार का उदय भारतीय शेयर बाजार में प्रौद्योगिकीय उन्नति की एक अविस्मरणीय घटना है तथा इसी कारण संख्या में कम कंपनियों के सूचीबद्ध होने के बावजूद बहुत अल्प समय में इसके कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसाकि सारणी 2 से स्पष्ट है :

सारणी – 2

सूचीबद्ध कंपनियों का संरचनागत स्वरूप[4]

वर्ष	सूचीबद्ध कंपनी		बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)	
	बी एस ई	एन एस ई	बी एस ई	एन एस ई
1994-95	—	135	—	73,223
1995-96	—	422	—	2,17,721
1996-97	—	550	5,05,137	2,52,894
1998-99	5848	645	5,42,942	3,35,209
1999-2000	5889	673	9,12,842	8,50,880

[3] स्रोत : Mutual Funds in India - H. Sandak, पृ. 36

[4] वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट से तथा वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के आंकड़े वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट से लिये गये हैं।

डिपोजिटरी - 1996 में डिपोजिटरी अधिनियम पारित हुआ तथा तदुपरांत एन एस डी एल (नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड) नामक देश की पहली डिपोजिटरी की स्थापना हुई तथा अब कम-से-कम अपने शेयर डिमैट कराने वाली कंपनियों के मामले में शेयरों के अंतरण में विलंब, बैड डिलिवरी आदि अतीत की घटनाएं बन चुकी हैं । बाद में `सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड' नामक भारत की दूसरी डिपोजिटरी ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया ।

फ्यूचर्स ट्रेडिंग - 9 जून 2000 से बम्बई शेयर बाजार में `बीएसई इंडेक्स फ्यूचर्स' की तथा 12 जून 2000 से राष्ट्रीय शेयर बाजार में `एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स' की ट्रेडिंग शुरू हो गयी । ऐसी आशा की जाती है कि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में कारोबारियों की रुचि बढ़ेगी क्योंकि यह बचाव का एक नया साधन है जिसका उद्देश्य बाजार में तरलता की स्थिति में सुधार करना और अस्थिरता को कम करना है ।[5] इस प्रकार से अब निवेशक विशिष्ट कंपनी की स्थिति का विश्लेषण कर उसमें निवेश करने का जोखिम उठाने के बजाय शेयर बाजार के इंडेक्स में निवेश करने का अधिक भरोसेमंद विकल्प चुन सकेंगे । `यदि इंडेक्स फ्यूचर्स कुछ महीने पहले लागू किया गया होता, तो अनेक निवेशक तथा म्युच्युअल फंड अपने पोर्टफोलियों का बचाव कर सकते तथा उन्हें उतना अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता जितना पिछले कुछ हफ्तों में उठाना पड़ा है ।'[6]

सार्वभौमिकीकरण - जहां भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों को प्रवेश मिल गया है, वहीं नसदक स्टॉक एक्सचेंज में इंफोसिस टेक्नोलोजीस एवं रेडिफ डॉटकॉम इंडिया के एवं न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में आइसीआइसीआइ के सूचीबद्ध कराये जाने से भारतीय कंपनियों ने सार्वभौमिक शेयर बाजारों में अपनी पहुंच बना ली है । जीडीआर एवं एडीआर निर्गमों के माध्यम से अब भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर पूंजी भी जुटाने लगी हैं । इतना ही नहीं, अब विश्व स्तर पर शेयर बाजारों का एकीकरण हो रहा है - `नसदक अपने विस्तार के अगले कदम के रूप में यूरोप, अमरीका तथा जापान में बाजार को समन्वित करने की सोच रहा है । इस योजना को कार्यरूप देने के लिए उसने अपने भागीदार के रूप में एसएसआई को चुना है, जिसे प्रौद्योगिकी एवं प्रतिभूति बाजार दोनों की जानकारी है ।'[7]

6. इक्कीसवीं सदी में भारत का शेयर बाजार

(i) नयी सहस्राब्दी में शेयर बाजारों की दृष्टि से भारतीय कंपनियों में सुधार

`स्वाधीनता के पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत में पूंजी बाजार का विकास नहीं होने पाया क्योंकि देश की आर्थिक प्रगति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी । स्वतंत्रता के बाद सरकारी क्षेत्र पर अधिक बल दिये जाने से निजी क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं होने पाया ।'[8] पर सरकारी क्षेत्र के इन्हीं उपक्रमों के विनिवेश ने शेयर बाजारों को एक बार पुनः मजबूती प्रदान की । हाल ही में 30 सितंबर 1999 को जारी की गयी अपनी पहली ड्राफ्ट-रिपोर्ट में कुमार मंगलम बिरला समिति ने शेयर बाजारों को दुरुस्त बनाने के लिए कई उल्लेखनीय सुझाव दिये हैं ।

– कुमार मंगलम बिरला समिति ने अपनी उक्त रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि शेयर बाजारों के माध्यम से भारत में कंपनी प्रशासन का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए तथा **चूककर्ता कंपनियों** को सीधे डि-लिस्ट कर दिया जाना चाहिए ।[9] इसके लिए सूचीबद्धता करार को कारगर बनाया जाना चाहिए एवं शेयर बाजारों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए । उल्लेखनीय है कि यदि भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पूंजी जुटाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी छवि सुधारनी ही पड़ेगी । यह न सिर्फ निवेशकों के हित में होगा, अपितु भारतीय कंपनियों के भी हित में होगा । अन्यथा चूककर्ता कंपनियों के चलते भारत की अच्छी कंपनियां भी बदनाम हो जायेंगी । `सूचीबद्ध होने वाली नयी कंपनियों को कंपनी प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन तत्काल प्रभाव से करना होगा, रु. 10 करोड़ की पूंजी एवं रु. 25 करोड़ की निवल मालियत वाली कंपनियों को अप्रैल 2000 से तथा रु. 5 करोड़ की शेयर पूंजी वाली कंपनियों को अप्रैल 2001 से इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा ।' [10]

---

[5] स्रोत - टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 जून 2000, पृ. 13

[6] दि इकनॉमिक टाइम्स, 5 जून 2000, इन्वेस्टर्स गाइड, पृ. 8 (हिन्दी अनुवाद)

[7] स्रोत - इकनॉमिक टाइम्स, 14 जनवरी 2000, पृ. 6

[8] श्री एम. आर. मय्या, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, बंबई स्टॉक एक्सचेंज

[9] इकनॉमिक टाइम्स, 1 अक्तूबर 1999

[10] इकनॉमिक टाइम्स, 1 अक्तूबर 1999

– कंपनियों द्वारा किये जाने वाले **वित्तीय प्रकटीकरण** की विश्वसनीयता बढ़ाने एवं पारदर्शिता लाने के लिए *लेखा-परीक्षा समिति* की स्थापना की जाए । यह समिति उन कारणों की जांच करेगी, जिनकी वजह से कंपनी ने वित्तीय देनदारियों - अर्थात् जमाकर्ताओं, डिबेंचर-धारकों, शेयरधारकों (लाभांश की अदायगी) एवं लेनदारों के प्रति देनदारियों - में चूक की हो ।

– इसके अलावा एक *पारिश्रमिक समिति* (कार्यपालक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन, स्टॉक विकल्प आदि सहित पारिश्रमिक पैकेज की जांच के लिए) तथा *निवेशकों की शिकायतों के अध्ययन* के लिए एक समिति होनी चाहिए और इन समितियों के अध्यक्षों को शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एजीएम में उपस्थित रहना चाहिए ।

– वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग खंड होना चाहिए ।

(ii) नयी सहस्राब्दी और भारतीय शेयर बाजारों में 'ई-ट्रेडिंग'

शेयर बाजारों के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए पहले तो धीरे-धीरे सभी शेयर बाजारों को कंप्यूटरीकृत किया गया । इस दिशा में अगला उल्लेखनीय कदम था - बंबई शेयर बाजार (बीएसई) के 'बोल्ट' एवं एनएसई के ट्रेडिंग टर्मिनलों का विस्तार पूरे देश में करना । अब एक कदम और आगे बढ़कर हमने नयी सहस्राब्दी में इंटरनेट ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी है तथा फलस्वरूप अब ट्रेडिंग टर्मिनलों के विस्तार का कोई मायने नहीं रहा । इंटरनेट के माध्यम से प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए गठित सेबी की समिति ने दो कार्यदलों का गठन किया है - (i) आइआइटी, मुम्बई के श्री डी. बी. पाठक के नेतृत्व में गठित कार्यदल इंटरफेस के मानकीकरण तथा विभिन्न स्तरों पर इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के पहलू पर विचार करेगा तथा (ii) सेबी के वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक श्री एल. के. सिंघवी के नेतृत्व में गठित कार्यदल इंटरनेट ट्रेडिंग पर निगरानी रखे जाने संबंधी पहलू की जांच करेगा ।[11]

भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं -

1) इस प्रणाली के तहत सभी भारतीय एवं पूरे विश्व में फैले अनिवासी भारतीय इंटरनेट पर शेयर बाजार में वर्तमान मूल्य देखकर अपने ब्रोकरों के ट्रेडिंग टर्मिनल के माध्यम से चालू मूल्य पर स्वयं शेयर खरीद-बेच सकेंगे । इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि निवेशक को इस बात की पहले से जानकारी रहेगी कि वह किस भाव पर शेयर खरीद-बेच रहा है ।

2) इस संदर्भ में भी अंततः ब्रोकर उत्तरदायी होंगे तथा उनके लिए पहले से निर्धारित सेबी की नीति 'अपने ग्राहक के बारे में अच्छी जानकारी रखें' लागू होगी ।

3) इंटरनेट ट्रेडिंग पर गठित सेबी समिति की पहली रिपोर्ट के अनुसार 'इस क्षेत्र में साइबर कानून शीघ्र लागू किया जाना अत्यधिक वांछनीय होगा, तथापि उनका अस्तित्व में होना आवश्यक पूर्व-शर्त नहीं है ।'[12] इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 को अंतिम रूप देकर सरकार ने 16 दिसंबर 1999 को उसे लोकसभा के पटल पर पेश कर दिया और हाल ही में विधेयक पारित हो भी गया । इस विधेयक में साइबर अपराधों के लिए सख्त दंड देने संबंधी प्रावधान किये गये हैं ।

4) इंटरनेट ट्रेडिंग के अंतर्गत शेयर स्क्रिप निश्चय ही **अभौतिक रूप** में होने चाहिए तथा इसके लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के बीच पूर्ण कनेक्टिविटी होनी चाहिए तथा ऐसा कर भी लिया गया है । सच पूछा जाये तो इसके लिए विभिन्न शेयर बाजारों, बैंकों, दलालों, **अभिरक्षकों** के बीच पूर्ण कनेक्टिविटी होनी चाहिए ।

5) परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है - सुरक्षा का । 'जब तक सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संस्थाएं चूकरहित सुरक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर लेतीं, तब तक नेट-ट्रेडिंग वस्तुतः असंभव होगी ।'[13]

फिलहाल सेबी ने यह निर्णय लिया है कि ई-ट्रेडिंग शुरू किये जाने के पूर्व उसके पूर्वाभ्यास के तौर पर ओआरएस अर्थात् **आ**र्डर रूटिंग सिस्टम के माध्यम से इंटरनेट पर ट्रेडिंग की शुरुआत की जाए, हालांकि इससे बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इस प्रणाली के बजाय निवेशक एवं दलाल आमने-सामने बात करके ट्रेडिंग करना अधिक पसंद करेंगे ।

वर्ष 2000 के प्रारंभ में आइसीआइसीआइ लि. के इंटरनेट उद्यम icicidirect.com ने 'eInvest' नामक अपनी

---

[11] टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 अगस्त 1999

[12] फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 29 दिसबर 1999, पृ. 13

[13] फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 29 दिसंबर 1999, पृ. 14

वेब-आधारित ट्रेडिंग सेवा शुरू कर दी है । इस प्रकार शेयर-बाजार में व्यापक पैमाने पर ई-कामर्स कार्यक्रम प्रारंभ करने वाली *आइसीआइसीआइ* पहली घरेलू वित्तीय संस्था है । उपर्युक्त पद्धति के तहत बैंक एवं डिमैट खातों को ई-इन्वेस्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जोड़ दिया गया है और शेयर खरीदते समय सर्वर ग्राहक का बैंक खाते का शेष एवं शेयर बेचते समय उसके डिमैट खाते का शेष देखता है। जिन ग्राहकों के पास अलग से नेट की सुविधा नहीं होगी, उनके लिए *आइसीआइसीआइ* ऐसे केन्द्रों की स्थापना कर रहा है, जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी । प्रारंभ में ऐसे 12 केन्द्र खोले जायेंगे ।[14] सच पूछा जाए, तो विशेषकर छोटे निवेशकों को ऐसी ही पद्धति की तलाश थी तथा यदि ऐसी प्रणाली *आइसीआइसीआइ* जैसी स्वच्छ छवि वाली कंपनी शुरू करेगी तो निश्चय ही आने वाले दिनों में छोटे निवेशक बड़ी संख्या में बाजार की ओर आकृष्ट होंगे बशर्ते यह प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य करे एवं भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियां कुमार मंगलम बिरला समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुरूप अपनी छवि में सुधार लायें ।

इसके अलावा अब *indiabulls.com* (इंडिया बुल्स डॉटकॉम), *5paisa.com* (5 पैसा डॉटकॉम), *investsmart india.com* (इंवेस्टस्मार्टइंडिया डॉटकॉम) आदि ने भी अपने ग्राहकों को ई-ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान कर दी है । साथ ही, *एचडीएफसी बैंक* तथा *भारतीय स्टेट बैंक* ने भी ई-ट्रेडिंग शुरू करने की घोषणा कर दी है ।

(iii) इंटरनेट माध्यम से मार्जिन-ट्रेडिंग

इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कुछ कंपनियां (यथा 5paisa.com आदि) पहले से ही मार्जिन-ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही थीं परन्तु इंटरनेट पर अवरोधरहित (सीमलेस) ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एकमात्र कंपनी *आइसीआइसीआइ* ने 25 अक्तूबर 2000 से अपने ग्राहकों के लिए मार्जिन-ट्रेडिंग की भी शुरुआत कर दी है, जिसके तहत ग्राहक 30 प्रमुख शेयरों में अपने बैंक खाते में मौजूद राशि में से शेयर-ट्रेडिंग के लिए आबंटित राशि की तिगुनी अधिक राशि के शेयर खरीद सकेंगे तथा शार्टसेलिंग भी कर सकेंगे । इसके तहत जहां दलाली के रूप में कम राशि देनी पड़ेगी, वहीं बाजार में तरलता में वृद्धि भी होगी पर साथ ही निवेशक को थोड़ी अधिक जोखिम भी उठानी होगी । इस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से अवरोधरहित ट्रेडिंग करने में आने वाली एक और रुकावट भी दूर कर दी गयी है ।[15]

(iv) नयी सहस्राब्दी और सार्वभौमिक शेयर बाजार

इंटरनेट ट्रेडिंग पर ही बात समाप्त नहीं हो जाती । आज हर क्षेत्र में वैश्वीकरण चल रहा है, शेयर बाजार भी इस दिशा में पीछे रहने वाले नहीं हैं । अमरीका के नसदक और हांगकांग शेयर बाजारों को परस्पर जोड़ा जा रहा है तथा नसदक धीरे-धीरे पूरे विश्व में अपना जाल फैलाना चाहता है । फिर नयी सहस्राब्दी में शेयर बाजार की स्थिति वस्तुतः कैसी होगी, यह बात विचारणीय है –

i) कुछ वर्षों के भीतर ही विश्व के सभी प्रमुख शेयर बाजार परस्पर संबद्ध हो जायेंगे तथा वे सभी इलेक्ट्रॉनिक फार्म में होंगे ।

ii) प्रतिभूतियों में लेन-देन डिजिटल प्रारूप में, सार्वभौमिक स्तर पर होने लगेगा तथा इक्कीसवीं सदी का शेयर बाजार चौबीसों घंटे खुला रहने वाला है । निवेशक दिन में, रात में कभी भी शेयरों का भाव देखकर उनकी खरीद-बिक्री कर सकेगा हालांकि इस पद्धति में जोखिम और लाभ दोनों बढ़ सकते हैं ।

iii) स्क्रिप अभौतिक रूप में अर्थात् 'पेपरलेस' होंगे तथा 'ट्रेडिंग फ्लोर' जैसी कोई चीज नहीं होगी ।

iv) इंटरनेट पर बाजार का भाव मालूम करने एवं दलालों के माध्यम से उनकी खरीद-बिक्री करने के लिए निवेशक न सिर्फ घर एवं कार्यालय के कंप्यूटरों का इस्तेमाल करेंगे, अपितु वे इस प्रयोजन के लिए सेल्यूलर फोन, पेजर तथा पाम-टॉप कंप्यूटरों का भी उपयोग सामान्य तौर पर करने लगेंगे ।

v) निवेशकों को उनके निजी निवेश की ताजा स्थिति की कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट घर से आफिस आते-जाते समय उनकी कार में कार-रेडियो के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी । घर एवं कार्यालय में वही सूचना उन्हें डिजिटल टेलीविजन पर उपलब्ध रहेगी । इस प्रकार वे भली-भांति सूचित निवेशक होंगे एवं समय पर जोखिम का अहसास करके उसे कम कर सकने की स्थिति में होंगे ।

vi) संपूर्ण ट्रेडिंग पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिये चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि वह भली-भांति विनियमित हो, उसमें अनुचित तरीकों का इस्तेमाल न किया जा सके तथा प्रति लेन-देन लागत न्यूनतम हो । नये सार्वभौमिक शेयर बाजार का लाभ निवेशकों, सूचीबद्ध कंपनियों एवं देश की अर्थव्यवस्था सभी को मिलेगा । बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी तथा खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप ट्रेडिंग संबंधी लागत में

---

[14] स्रोत - टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 जनवरी 2000

[15] स्रोत - वेबसाइट 'icicidirect.com'

कमी आएगी ।[16] कंपनियां अधिक प्रभावी तरीके से और आसानी से पूंजी जुटा सकेंगी ।

निष्कर्ष

इस प्रकार, 1840 के आसपास टाउन हाल के सामने वट वृक्ष के नीचे बैठ कर शेयरों में लेनदेन की जो शुरुआत हुई थी, उसकी स्थिति में इन सोलह दशकों के भीतर इतने चमत्कारिक परिवर्तन हो जायेंगे - ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था । सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बीसवीं सदी का अंतिम दशक निश्चय ही क्रांतिकारी रहा तथा उसके प्रभाव से शेयर बाजार भी अछूते नहीं रहे । पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय शेयर बाजार ने कुल 320 शहरों और कस्बों के निवेशकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । इस लेख में इक्कीसवीं सदी के शेयर बाजार के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, वह आज कल्पनातीत नहीं है तथा उसके साकार होने में अधिक विलंब नहीं होगा ।

अमरीकी परिवारों में आज लगभग आधे (45%) परिवारों के पास स्टॉक हैं, जबकि दूसरे विश्वयुद्ध के समय यह प्रतिशत 5 था ।[17] भारत में भी शेयर बाजारों में अपेक्षित परिवर्तन कर मध्यम वर्ग को इस ओर आकृष्ट किये जाने पर प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों की संख्या में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकेगा तथा यह निवेशक, कंपनी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था सभी के हित में होगा । *मध्यम वर्ग रातों-रात आसमान नहीं चूमना चाहता, पर अपनी आर्थिक स्थिति में वैध तरीकों से अपेक्षित सुधार लाने के लिए वह एक सीमा तक जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहता है बशर्ते उसे यह अहसास हो कि वह ठगा नहीं जा रहा है ।*

आज भारतीय शेयर बाजारों की स्थिति ऐसी नहीं है । पहले तो यहां की कंपनियों का कोई भरोसा नहीं रहता कि वे कब चंपत हो जाएं और यदि कंपनी ठीक-ठाक भी हो तो सब-ब्रोकरों का कोई ठिकाना नहीं रहता तथा बड़े ब्रोकर तो मध्यम वर्ग के निवेशकों को पास फटकने भी नहीं देते क्योंकि उनका ट्रैक रखना आसान नहीं है और अंततः दायित्व तो आज भी ब्रोकर का ही रहता है । इसके लिए उचित होगा कि जो बैंकर आदि शेयर बाजारों के ब्रोकर हैं तथा जिनके पास उनका डिपोजिट रहता है वे उन्हें अपना ग्राहक बनाकर उनके लिए शेयरों की खरीद-बिक्री करें । बैंकर - यदि वे या उनकी कोई सहयोगी संस्था ब्रोकर एवं डिपोजिटरी प्रतिभागी हों तो - बिना किसी जोखिम के अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से अवरोधरहित (सीमलेस) ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तथा इस प्रकार जहां एक ओर उनकी आय में वृद्धि होगी वहीं पूंजी बाजार में भी सुधार आयेगा ।

आइसीआइसीआइ जैसी संस्था द्वारा नयी सहस्राब्दी में शेयरों के संबंध में वेब-ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान किये जाने से निश्चय ही शेयर बाजारों के प्रति छोटे निवेशकों को आकृष्ट करने के संबंध में एक बड़ी आवश्यकता पूरी हो गयी है - यह निश्चय ही एक ऐसी प्रणाली है जिसमें न तो ब्रोकर (आइसीआइसीआइ) को कोई खरीदे / बेचेगा, उतनी राशि/ संख्या में शेयर उसके बैंक में / डिपोजिटरी खाते में उस निवेशक के नाम में पहले से ही जमा होंगे और छोटे निवेशक को जोखिम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह आइसीआइसीआइ जैसी संस्था के माध्यम से सीधे शेयर बाजार में चल रहे भाव पर अपने घर / कार्यालय के कंप्यूटर पर शेयरों की खरीद / बिक्री कर सकेगा। भविष्य में छोटे निवेशकों के बीच लोकप्रिय अन्य संस्थाओं द्वारा भी ऐसी प्रणालियां प्रारंभ की जा सकती हैं - एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में ऐसी घोषणा कर भी चुके हैं । इस प्रकार वह दिन दूर नहीं, जब छोटे और मझौले निवेशक बड़े पैमाने पर पूंजी बाजार की ओर आकृष्ट होंगे ।

प्रयुक्त शब्दावली

प्राथमिक बाजार	Primary Market	सार्वभौमिक बाजार	Global Market
पूंजी बाजार	Capital Market	परिष्कृत	Sophisticated
प्रतिभूति बाजार	Security Market	चूककर्ता कंपनी	Defaulter Company
पूंजी निर्गम नियंत्रक	Controller of Capital issues	वित्तीय प्रकटीकरण	Financial Disclosure
सट्टेबाजी	Speculation	अभौतिक रूप	Demat Form
सार्वजनिक निर्गम	Public issue	अभिरक्षक	Custodian
खुदरा निवेशक	Retail investor		

[16] 'इंटरनेट अन्य उन्नत तकनीकों के फलस्वरूप..... निवेशकों के लिए लाभप्रद प्रणालियों के माध्यम से क्रेता और विक्रेता परस्पर नजदीक आएंगे तथा निवेशकों का मूल्यवर्धन न करने वाले मध्यस्थ समाप्त होंगे ।' - इकनॉमिक टाइम्स, इन्वेस्टर्स गाइड, 26 जुलाई 1999, पृ. 5

[17] इकनॉमिक टाइम्स, इन्वेस्टर्स गाइड, 26 जुलाई 1999, पृ. 5

मानवीय सम्बन्ध अवधारणा

श्री पी. आर. पोरवाल
अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक
पंचशील मार्ग, उदयपुर 313 001

आवश्यकता और समस्या का सम्बन्ध बहुत करीबी है। मैसलो ने अपने आवश्यकता मॉडल में व्यक्ति की आवश्यकताओं को रोटी-कपड़ा-मकान से आत्म-सन्तुष्टि के स्तर तक ले जाने की बात कही है। व्यक्ति आवश्यकता के विभिन्न चरणों के लिए प्रयास करता है और जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता, उसके लिए वह समस्या बनी रहती है। मनुष्य के जीवन में अनेक आवश्यकताएं और समस्याएं रहती हैं। वे अलग-अलग लोगों के लिए और एक ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग समय में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। लेकिन, हम ऐसी स्थिति की शायद कल्पना नहीं कर सकते जहां मनुष्य आवश्यकता या समस्या रहित हो। तब मान लिया जाए, जीवन का अर्थ संघर्ष है और निरंतर किसी-न-किसी समस्या से जूझना जिन्दगी। इसी से वह विकास करता है। लेकिन, आज मनुष्य की समस्याएं बहुत कुछ अपना स्वरूप बदल चुकी हैं। भले रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या अभी भी अनेक लोगों की समस्या है, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता के कारण अभी भी अनेक लोगों को अपना मान-सम्मान दांव पर लगाना पड़ता है लेकिन इसकी हम अब ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि अनेक लोगों के लिए ये कोई समस्याएं नहीं रह गयी हैं। अब चर्चा के लिए हमारे सामने नई समस्याएं हैं और वे हैं साधनों और मानवीय सम्बन्धों की समस्याएं। अब हम संगठनों में **मानव संसाधनों के विकास** और प्रबंधन की नवोन्मेष शैलियों की अधिक चर्चा करने लगे हैं। हमें यहां-तहां कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे कार्य और लक्ष्य प्राप्ति में रोड़े अटका रही हैं। कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ पैदा की गयी हैं। कई बार हम इनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं और कई बार स्वयं को इनके सामने विवश पाकर समझौता-समाधान निकालने लगते हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में ये मानवीय सम्बन्धों की समस्याएं अधिक विकट और महत्वपूर्ण हो गयी हैं। अल्पकाल के लिए चाहे हम इन्हें नजर अन्दाज करें या कोई सरल रास्ता निकाल कर आगे निकल जाएं लेकिन इस बात की विशेष आवश्यकता है कि इन समस्याओं का कोई पक्का समाधान हो क्योंकि ये समस्याएं व्यक्ति, समाज और देश को प्रभावित करती हैं। वे आज ही नहीं, कल के लिए भी दिशा निर्धारित करती हैं।

मानवीय सम्बन्ध अवधारणा

मानवीय सम्बन्ध अवधारणा बताती है कि मानव सम्बन्ध **साधन** के साथ-साथ **साध्य** भी है। मनुष्य का विकास प्रकृति और परिवेश पर निर्भर है। कुछ वह माता-पिता के संस्कारों से ग्रहण करता है और कुछ परिवेश से। इन दोनों के मिश्रण से उसमें एक व्यक्तित्व का विकास होता है और वह एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है। उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है और वह उसे ही नहीं, बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से समाज और देश को दिशा भी देते हैं। लेकिन, अधिकांश लोग एक धारा में ही बहते रहते हैं और उनका अस्तित्व एक प्रणाली का अंग मात्र बन कर रह जाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति में नेतृत्व और सदस्यता के गुण विद्यमान रहते हैं। कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन मानव संसाधनों की विकास प्रक्रिया कुछ ऐसी ही सूक्ष्मताओं पर विचार करती है और व्यक्ति का विकास व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपों में निर्धारित करती है। वह व्यक्ति की आवश्यकताओं को संगठन की आवश्यकताओं से जोड़ती है। संगठनात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसमें कार्यरत व्यक्तियों का तदनुसार विकास करती है। एक कार्यशील संस्कृति की नींव डाली जाती है और उसे सम्पुष्ट किया जाता है। मनुष्य को मशीन से अलग समझा जाता है और समुचित व्यवहार द्वारा उसे मानव बनाया जाता है। उसे संगठन में ``अपनापन'' का भाव सिखाया जाता है और वह उसके विकास के लिए कार्य करता है। इससे व्यक्ति और संगठन दोनों का विकास होता है। समाज में कार्यशील संस्कृति पनपती है और देश मजबूत होता है। अतः भावी प्रबंधकों के लिए मानव संसाधनों के विकास और मानव सम्बन्धों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। मानव सम्बन्ध की सहायता से उद्योग अथवा सेवा-क्षेत्र संस्थाओं के उच्च प्रबंधक वर्ग एवं कर्मचारी दोनों ही उच्च मनोबल द्वारा अधिक उत्पादन, तत्परता से अधिक

कुशल सेवा का लक्ष्य प्राप्त करते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, संस्था की लाभप्रदता को बढ़ाते हैं जो प्रत्येक उद्योग अथवा संस्था का अन्तिम आर्थिक उद्देश्य होता है । दूसरे शब्दों में मानवीय सम्बन्ध कार्यरत स्टाफ सदस्यों का अध्ययन है । एक प्रभावी **अभिप्रेरणा** की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सन्तुलन स्थापित करती है, जिससे अत्यधिक मानवीय सन्तुष्टि उत्पन्न होती है, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है । मानवीय सम्बन्धों के बिना प्रशासन और प्रबंध-व्यवस्था गतिहीन बन जाती है । मानवीय सम्बन्ध की भावना में मात्र बुद्धि ही नहीं अपितु हृदय भी प्रभावित होता है। जब हृदय से हृदय की बात होती है तो गतिहीन प्रबन्ध व्यवस्था गतिशील, विकासात्मक प्रशासन और प्रबंध-व्यवस्था में बदल जाती है ।

मानव सम्बन्धों की आवश्यकता

प्रत्येक संस्था को अपने सुदृढ़ आर्थिक विकास एवं अस्तित्व को बनाये रखने हेतु समकक्ष संस्थाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । ग्राहक एवं उपभोक्ता द्वारा दिन-प्रतिदिन नयी-नयी सेवाओं, दक्षतापूर्ण सेवाओं, त्वरित सेवाओं, कम लागत पर श्रेष्ठ सेवाओं की उत्तरोत्तर मांग की जा रही है । अतः मानवीय सम्बन्धों का लक्ष्य एवं उद्देश्य प्रबंधन के उन समस्त निर्णयों को, जो कि मानव मात्र के साथ व्यवहार करने वाली क्रियाओं से संबन्धित है, मानवोचित एवं मानवोन्मुखी बनाना है ताकि, न्यूनतम लागत पर उच्चतर उत्पादकता, श्रेष्ठ सेवा, और अधिकतम मानवीय सन्तोष के बीच श्रेष्ठ तालमेल की स्थापना की जा सके ।

अमेरिका एवं जापान जैसे विकसित देशों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती, केवल इन देशों की विकास प्रक्रिया के प्रबंधन का अनुकूलन कर विकासशीलता की राह पर चलना आवश्यक हो गया है । जापान ने अपनी विकास प्रक्रिया के प्रबंधन में मानव समूह के मूल्य को समझते हुए इसे सर्वोपरि स्थान दिया है । वर्तमान में जापान ने अमेरिका की तुलना में, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठ छवि प्रस्तुत की है, जो प्रबन्ध व्यवस्था में कार्यशैली, कार्यकुशलता, कर्मचारियों और असाधारण लक्ष्यों सम्बन्धी विचारधारा को कार्यनीति, संरचना और कार्यप्रणाली से जोड़कर मानवीय सम्बन्धों की स्थापना द्वारा ही सम्भव हो सका है ।

स्वचालित मशीनीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उत्पादन एवं सेवाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । इससे उत्पादन एवं सेवाओं में हुनर का महत्व कम होता जा रहा है, एवं मानव, उत्पादन प्रक्रिया का निर्जीव हिस्सा मात्र बनकर रह गया है । परिणामस्वरूप श्रेष्ठ एवं कुशल कर्मचारियों का अभाव हो गया है, अतः श्रेष्ठ मानवीय सम्बन्ध की पुनः स्थापना हेतु मानवीय सम्बन्धों का विकास करना आज की महती आवश्यकता है ।

राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में नवीन चेतना के संचरण से कर्मचारियों की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा कर्मचारी-संघों की सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जिससे उत्पाद एवं सेवाओं की उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है । इस समस्या का हल उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्यों में बेतहाशा सतत वृद्धि करना नहीं हो सकता । प्रतियोगितापूर्ण वातावरण में श्रेष्ठ मानवीय सम्बन्ध ही इस समस्या के समाधान में सहायक हैं । कारण कि सन्तुष्ट मानव शक्ति ही लागत को कम कर सकती है ।

आज औद्योगिक एवं सेवाओं के क्षेत्र में प्रतियोगिता, जटिलता, पेचीदगियाँ एवं कठिनाइयाँ विद्यमान हैं जिनका प्रबंधक वर्ग सामना कर रहा है । विशाल पैमाने पर एकसमान यन्त्रीकृत उत्पादन एवं सेवाएं समाज का हर वर्ग पाने की आकांक्षा रखता है । पूंजी एवं श्रम के पारस्परिक हितों के विरोधाभास को मिटाने के लिये मानवीय सम्बन्ध आवश्यक हैं ।

संगठनात्मक विकास और प्रबंधन में मानवीय सम्बन्ध

संगठन एक सामाजिक ढांचा है । इसमें मनुष्य कार्य करते हैं । जब व्यक्ति संगठन में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ करने का उत्साह होता है, उसकी अनेक आशाएं होती हैं, वह सीखने के लिए उत्सुक होता है और उसे जो व्यवहार और वातावरण मिलता है, वह वैसा बन जाता है । अतः प्रबंधकों के लिए यह अति आवश्यक है कि वे उसे प्रारम्भ से ही उचित बर्ताव और परिवेश दें और उसे संगठन की आशाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करें । इस प्रक्रिया में उसकी आवश्यकताओं और उसके ``व्यक्ति'' को नजर अन्दाज न करें । संगठन का विकास व्यक्ति के विकास पर निर्भर है और व्यक्तियों का विकास स्वयं व्यक्तियों और संगठन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है ।

समय-समय पर प्रबंधन की भिन्न-भिन्न शैलियां विकसित हुईं । हमने **तानाशाह प्रबंधन** पद्धति को लड़खड़ाते और **सहभागी प्रबंधन** पद्धति को सफल होते देखा है । जिन संगठनों ने कर्मचारियों के मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों को समझ लिया है वे कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं ।

प्रबंधक एवं मानवीय सम्बन्ध

किसी भी विकासशील उद्योग या व्यावसायिक संगठन के लिए श्रेष्ठ मानवीय सम्बन्ध एक आवश्यक शर्त है और इसकी

स्थापना करना प्रबंधक वर्ग का मुख्य दायित्व है । इसके अनुकूल निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी और प्रबंधक परस्पर जुड़े रहें, एक ही दिशा में दोनों सोचें और कार्य करें । दोनों में परस्पर सामूहिक दृष्टिकोण हो । इससे विकास की प्रकिया सहज रूप से चलती है ।

- दोनों में प्रभावी और समतल संवाद हो । इससे समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होतीं । प्रणाली लोकतांत्रिक स्वरूप में विकसित होती है । कर्मचारी अधिक उत्तरदायी बनते हैं । सम्बन्ध क्रमशः प्रगाढ़ होते हैं ।
- कर्मचारियों में सहभागिता की भावना पनपे । टीम भावना के विकास से संगठन प्रत्येक चुनौती का सहजता से सामना करता है ।
- प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रवाह निरन्तर बना रहे । इससे कर्मचारी ही नहीं, पूरा संगठन विकसित होता है।
- व्यक्तियों में नेतृत्व का विकास होता है ।

मानवीय समस्याओं का समाधान

विकास के साथ-साथ समस्याएं जन्म लेती हैं और उनका साथ-साथ समाधान भी आवश्यक है । मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित आदर्श प्रक्रिया-विधि अपनायी जा सकती है, अर्थात् :

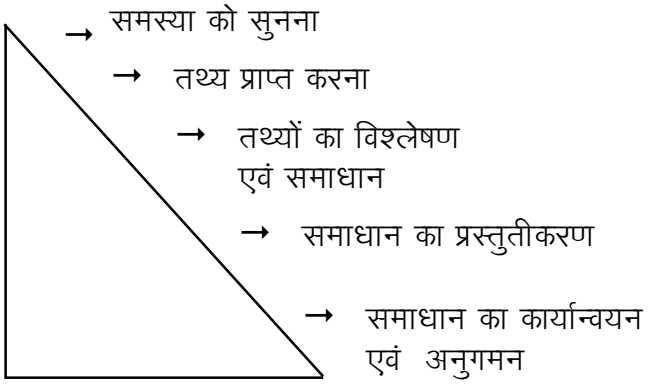

- **समस्या को सुनना**

  समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि परिवेदना ग्रस्त कर्मचारी या कर्मचारी समूह को ठीक से और सहानुभूतिपूर्वक सुना जाए ।

- **सभी सम्बंधित तथ्य प्राप्त करना**

  समस्या को ठीक से सुनने के बाद तुरन्त कोई प्रतिक्रिया या निर्णय न दिया जाए अपितु समस्या से सम्बंधित सभी तथ्य प्राप्त किये जाएं ।

- **तथ्यों का विश्लेषण एवं समाधान**

  तथ्य प्राप्त करने के बाद उनका समुचित विश्लेषण किया जाए और व्यावहारिक समाधान की तलाश की जाए । यह कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाए ।

- **समाधान का प्रस्तुतीकरण**

  समाधान कुछ ऐसा व्यावहारिक हो जो कर्मचारियों को लाभदायक और न्यायसंगत लगे । वह स्पष्ट होना चाहिए ।

- **समाधान का कार्यान्वयन एवं अनुगमन**

  समाधान लागू करने के साथ ही उसका समुचित अनुगमन किया जाना चाहिए । यह देखा जाना आवश्यक है कि उससे वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं ? क्या भविष्य में भी ऐसी समस्याओं पर वही समाधान लागू किया जा सकता है या नहीं ?

बैंकिंग उद्योग एवं मानवीय सम्बन्ध

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के फलस्वरूप वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में अनेक परिवर्तन लागू किये गये हैं । प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यावसायिकता, लाभप्रदता एवं उत्पादकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं । **सूचना प्रौद्योगिकी** के विकास में मानव संसाधनों में कमी करके उनको और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया जा रहा है । सेवाओं की गुणवत्ता और विपणता अधिक महत्वपूर्ण हुई है । इस नये दौर में और व्यावसायिक प्राथमिकताओं में मानवीय सम्बन्ध और अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं । उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ अच्छी ग्राहक सेवा अब व्यावसायिक संस्थानों की सफलता की आवश्यक शर्त है । ग्राहक सेवा मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है ।

प्रयुक्त शब्दावली

अवधारणा	Concept	अभिप्रेरणा	Motivation
मानव संसाधनों का विकास	Human Resources Development	तानाशाह प्रबंधन	Autocratic Management
		सहभागी प्रबंधन	Participative Management
साधन	Means	सूचना प्रौद्योगिकी	Information Technology
साध्य	Aim		

बैंकिंग परिदृश्य

भारत में बड़े पैमाने पर रिहायशी मकानों की कमी

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस सहस्राब्दी के आरंभ में भारत में 200 मिलियन रिहायशी मकानों की आवश्यकता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 167 मिलियन रिहायशी मकान हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 33 मिलियन मकानों की कमी को पूरा किया जाना है। इसके लिए 1,50,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

ब्रिटेन में नौ अनिवासी भारतीय सम्मानित

पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ श्री नंद श्रीवास्तव, जिन्हें ब्रिटेन की महारानी की नये वर्ष की सूची में भी सम्मान प्राप्त हुआ है, सहित नौ अनिवासी भारतीयों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ``विदेश सम्मान'' से नवाजा गया। पुरस्कार प्रदान करते समय भारतीय उच्चायुक्त श्री नरेश्वर दयाल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के अनोखे ऐतिहासिक संबंध को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय की यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि, ``पुरस्कारप्राप्त व्यक्तियों की उपलब्धियां न केवल विशिष्ट समुदाय या समूह, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, के लिए गौरव की बात है अपितु इससे समूचा देश गौरवान्वित हुआ है।''

भारतीय-अमेरिकन वर्ष का युवा इंजीनियर

कोलम्बिया इंजीनियरिंग एण्ड आर्किटेक्चर ऑर्गनाइजेशन ने ई-कॉमर्स सुरक्षा पर विस्तृत लेख लिखनेवाले एक भारतीय अमेरिकन को `वर्ष का युवा इंजीनियर' घोषित किया है। सिजिटल. आईएनसी में सुरक्षा अनुसंधान निदेशक श्री अनूप घोष को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड आर्किटेक्चरल सोसायटी (डीसीसीइएएस) द्वारा सम्मानित किया गया। डल्स, वर्जीनिया स्थित सिजिटल सॉफ्टवेयर जोखिम प्रबंधन संबंधी समाधान उपलब्ध कराता है। श्री घोष मॅलिशियस सॉफ्टवेयर, अनुचित हस्तक्षेप की पहचान और मोबाइल कोड के क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर सुरक्षा अनुसंधान को निदेशित करते हैं। उनकी पहली पुस्तक ``ई-कॉमर्स सिक्यूरिटी : वीक लिंक्स, बेस्ट डिफेंसेस'' (विली, 1998) की सफलता से उन्हें ई-कॉमर्स सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में ख्याति मिली। इसके अनुक्रम में ``सिक्यूरिटी एण्ड प्राइवेसी फॉर ई-बिज़नेस'' (विली 2001) नामक पुस्तक मार्च 2001 के आरंभ में प्रकाशित होने की संभावना है।

इसके अलावा उन्होंने एडवान्सेस इन ई-कॉमर्स सिक्यूरिटी एण्ड प्राइवेसी टेक्नोलॉजी (क्लूवर) के संपादक के रूप में कार्य किया है और इसे भी वर्ष 2001 में ही प्रकाशित किया जायेगा। हाल ही में ई-कॉमर्स सुरक्षा में अद्वितीय योगदान के लिए श्री घोष को इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स थर्ड मिलेनियम मेडल से सम्मानित किया गया।

फिम्मडा द्वारा बाण्ड निवेश मूल्यांकन के मानदंडों का निर्धारण

फिक्स्ड इन्कम एण्ड मनी मार्केट डेरिवेटिव्ज एसोसिएशन (फिम्मडा) शीघ्र ही कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्डों के लिए निवेश मूल्यांकन मानक निर्धारित करेगा। वर्तमान में मुद्रा बाजार के स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) का निवेश मूल्यांकन पैनल इन मानकों का निर्धारण कर रहा है।

भारत का कोलम्बिया के साथ करार

सरकार ने कहा है कि वह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किसी लैटिन अमेरिकी देश, कोलम्बिया के साथ शीघ्र ही अधिमान्य व्यापार करार करेगी। वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्री ओमर अब्दुल्ला ने एक सेमिनार में कहा कि, ``हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कोलम्बिया के साथ अधिमान्य व्यापार करार करने पर हम सिध्दांततः सहमत हैं।''

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रबड़ पार्क की योजना

रबड़ उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमिलनाडु में एक रबड़ औद्योगिक पार्क की स्थापना कर रही है। एक निजी कंपनी के सहयोग से तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) द्वारा प्रवर्तित इस पार्क के लिए केन्द्र सरकार ने 7.2 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। टिडको का अनुमान है कि इस परियोजना के परिणामस्वरूप मुख्यत: गैर-ऑटो टायर उत्पादों में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात होगा। इस समय गैर-टायर उत्पादों का निर्यात 500 करोड़ रुपये है।

कच्चे तेल के आयात मानदंड शिथिल

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा आयात मानदंड शिथिल किये जाने के बाद अब भारत शेल, बीपी-एमोको और एक्सॉनमोबिल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मीयादी करार पर कच्चा तेल खरीद सकेगा। विश्वभर में प्रचलित प्रतियोगी कीमतों का लाभ उठाने के उद्देश्य से लिये गये इस निर्णय से भारतीय तेल निगम का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, जिसे अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की ओर से विश्वभर से कच्चे तेल की खरीद का एकाधिकार प्राप्त था। सूत्रों ने बताया कि अप्रैल 2002 तक तेल क्षेत्र पर से सभी नियंत्रणों को सुनियोजित तरीके से हटाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत द्वारा 2001-02 के दौरान 90 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किये जाने की संभावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय धन अंतरण की नयी प्रणाली

दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार अमेरिका स्थित वेस्टर्न यूनियन फाइनेन्शियल सर्विसेज इंटरनेशनल के सहयोग से इस वर्ष अप्रैल से देश भर में लगभग 100 डाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण की नयी प्रणाली शुरू की जायेगी। ये डाकघर भारत में वेस्टर्न यूनियन के 18 नोड्स के साथ `डायल-अप' से जुड़े होंगे। केरल में तिरुवनंतपुरम, कोच्ची और कोज़ीकोड में नोड्स होंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि प्रारंभ में ग्राहकों को वेस्टर्न यूनियन से धन प्राप्त करने की सुविधा दी जाए और अन्य देशों में धन अंतरण करने की सुविधा नहीं दी जाए। इस नेटवर्क से कम से कम 3000 डाकघरों को जोड़े जाने की योजना है। एक डाकघर को प्रति लेनदेन 14.5 डालर मिलेंगे।

भारतीय अमेरिकन सबसे बुध्दिमान व्यक्ति

अमेरिका में हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित `2001 नेशनल ब्रेन बी' प्रतियोगिता जीतकर एक चौदह वर्षीय भारतीय अमेरिकन ने `बेस्ट ब्रेन' का खिताब अर्जित किया। न्यू जर्सी के ईस्ट ब्रूनस्वीक का अर्जुन भरिओक इस प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले 24 अंतिम प्रतियोगियों में सबसे कम उम्र का था जिसे बाल्टीमोर के मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय में आयोजित इस बौध्दिक प्रतियोगिता में तीन घण्टे के पेचीदे दौरों से गुजरना पड़ा। भरिओक को छात्रवृत्ति के रूप में 3,000 डालर का प्रथम पुरस्कार और अपने स्कूल में प्रदर्शित करने के लिए चल ट्राफी मिली। दो अन्य दक्षिण एशियाई विद्यार्थियों ने भी पुरस्कार जीते।

`ब्रेन बी' यह स्नायुविज्ञान (न्यूरोसायन्स) संबंधी प्रतियोगिता है जिसमें मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

वैश्विक जमा रसीद (जीडीआर) संबंधी मानदण्डों का निर्धारण

सरकार ने एडीआर/जीडीआर बाजार से निधि प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों को इन तरीकों से निधि प्राप्त कराने की दृष्टि से मानदण्डों को अंतिम रूप दिया है। अधिकारियों के अनुसार कंपनियों को सरकार से नयी मंजूरी प्राप्त किये बिना जीडीआर/एडीआर के स्तरों को बनाये रखने की अनुमति दी जायेगी। अर्थात् कंपनियों को निधि जुटाने के लिए हर बार नयी मंजूरी प्राप्त किये बिना मूल मंजूरी के स्तर तक एडीआर/जीडीआर पुन: जारी करने की अनुमति दी जायेगी।

बैंकिंग परिदृश्य

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक		5 मई 2000	4 मई 2001
1. कुल जमाराशियाँ	:	8,35,148	9,91,318
2. बैंक ऋण	:	4,45,238	5,17,560
3. ऋण-जमा अनुपात	:	53.31%	52.21%
4. नकद-जमा अनुपात	:	6.55%	7.43%
5. निवेश-जमा अनुपात	:	39.67%	38.97%

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	(कुल योग का प्रतिशत)	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	(कुल योग का प्रतिशत)	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	(कुल योग का प्रतिशत)
ग्रामीण	सितंबर 1999	32,802	(50.24)	1,09,156	(14.71)	42,536	(10.75)
	सितंबर 2000	32,632	(49.64)	1,28,096	(14.76)	51,068	(10.30)
अर्धशहरी	सितंबर 1999	14,183	(21.72)	1,45,237	(19.57)	47,842	(12.09)
	सितंबर 2000	14,431	(21.95)	1,71,137	(19.72)	57,733	(11.64)
शहरी /	सितंबर 1999	18,309	(28.04)	4,87,701	(65.72)	3,05,433	(77.16)
महानगरीय	सितंबर 2000	18,672	(28.41)	5,68,751	(65.52)	3,87,205	(78.06)
योग	सितंबर 1999	65,294	(100)	7,42,094	(100)	3,95,811	(100)
	सितंबर 2000	65,735	(100)	8,67,984	(100)	4,96,006	(100)

टिप्पणी :

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 5 मई 2000 और 4 मई 2001 की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 20 मई 2000 और 26 मई 2001 के ``वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट'' से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े सितंबर 1999 और सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित सितंबर 1999 और सितंबर 2000 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं।

जमाराशियों/ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र
सितंबर 2000

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुंबई	1,443	115321,24	13.7	1.	मुंबई	1,443	111097,37	31.8
2.	दिल्ली	1,323	94153,94	19.1	2.	दिल्ली	1,323	73437,92	33.8
3.	कोलकाता	976	32330,37	10.9	3.	चेन्नई	759	28561,91	19.9
4.	बंगलूर	748	23190,19	28.4	4.	कोलकाता	976	22561,74	23.5
5.	चेन्नई	759	23027,72	14.7	5.	बंगलूर	748	15234,94	18.1
6.	हैदराबाद	524	16097,98	17.1	6.	हैदराबाद	524	12538,68	20.1
7.	अहमदाबाद	482	9761,59	9.0	7.	अहमदाबाद	482	9209,37	26.5
8.	पुणे	316	9459,61	13.0	8.	चंडीगढ़	154	6148,10	26.0
9.	लखनऊ	228	8887,47	21.1	9.	पुणे	316	5346,31	26.0
10.	चंडीगढ़	154	6135,28	19.9	10.	वड़ोदरा	190	4453,16	32.4
11.	कानपुर	288	5679,51	14.6	11.	कोयम्बतूर	179	4381,45	20.8
12.	जयपुर	230	5653,16	18.6	12.	लुधियाना	200	3895,64	24.8
13.	वड़ोदरा	190	5165,84	16.4	13.	जयपुर	230	3869,84	24.4
14.	पटना	165	5033,57	19.0	14.	इन्दौर	171	3496,75	18.4
15.	जलंधर	150	4738,00	16.5	15.	कोच्ची	213	3122,97	25.1
16.	लुधियाना	200	4546,84	20.1	16.	लखनऊ	228	2919,20	38.2
17.	कोच्ची	213	4426,91	9.7	17.	श्रीनगर	89	2299,75	5.1
18.	तिरुवनन्तपुरम	149	3975,57	17.8	18.	दोराहा	4	2153,36 (82,60)	43.2
19.	इन्दौर	171	3605,72	20.6	19.	तिरुवनन्तपुरम्	149	1909,90	54.0
20.	नागपुर	163	3565,26	20.9	20.	भोपाल	154	1861,99	18.5
21.	कोयम्बतूर	179	3525,97	21.6	21.	कानपुर	288	1840,43	14.9
22.	अमृतसर	153	3399,47	18.5	22.	विशाखापट्टणम्	127	1716,88	27.0
23.	भोपाल	154	3316,70	18.9	23.	नागपुर	163	1630,12	20.5
24.	सूरत	162	3090,49	9.5	24.	तिरुपुर	50	1628,92	27.3
25.	श्रीनगर	89	2883,88	50.8	25.	सूरत	162	1425,63	8.1

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी, तिमाही पुस्तिका - सितंबर 2000)

कंप्यूटर परिभाषा कोश*

Portable Computers – पोर्टेबल कंप्यूटर : कोई भी कंप्यूटर, जो इतना हल्का हो कि उसे आसानी से लाया और ले जाया जा सके। डॉस पर आधारित पहले पोर्टेबल कंप्यूटर `लंगेबल' के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लाना-ले जाना आसान नहीं होता है । बाद के मॉडल को निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा गया है :

- **लैपटॉप (अंकशायी) कंप्यूटर :** इतना छोटा होता है कि इसका उपयोग हवाई जहाज में सीट पर बैठकर भी किया जा सकता है और इतना शक्तिशाली होता है कि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन, डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ओ एस / 2 और सभी लोकप्रिय व्यावसायिक एप्लिकेशन प्रोग्रामों को चला सकता है । विस्तारित बैटरी लाइफ के कारण लैपटॉप कंप्यूटर डेस्क टॉप कंप्यूटर सिस्टम के विकल्प के रूप में है ।
- **नोटबुक कंप्यूटर :** लैपटॉप से छोटा होता और पाठ्यपुस्तक या नोटबुक के आकार का होता है, लेकिन डॉस, विंडो और प्रमुख एप्लिकेशन प्रोग्रामों को चला सकने में सक्षम होता है । नोटबुक कंप्यूटर को ब्रीफकेस में आसानी से रखा जा सकता है ।
- **पामटॉप (वामन) कंप्यूटर :** बहुत ही छोटा कंप्यूटर, जिसमें अत्यंत छोटा डिस्प्ले और गैर स्टैंडर्ड कुंजीपटल होता है । यह सामान्यतः किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है । कुछ डॉस पर चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिनके लिए परंपरागत सॉफ्टवेअर की आवश्यकता होती है ।
- **पॉकेट कंप्यूटर :** नयी तकनीक से बनाया गया बहुत ही छोटा और शक्तिशाली कंप्यूटर. देखें Pocket Computer Technology.

चूंकि पोर्टेबल कंप्यूटर की प्रगति निरंतर हो रही है, इसलिए संभावना यह है कि उक्त चारों प्रकार के कंप्यूटरों में सुधार होंगे और ये अधिक लोकप्रिय हो जायेंगे । बैटरी में हो रहे विकास और फ्लैश मेमोरी के प्रयोग से बाजार में इनकी महत्ता और अधिक बढ़ेगी ।

Power PC - पॉवर पी सी : माइक्रो प्रोसेसर का एक परिवार, जिसे एपल, मोटरोला और आइ बी एम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है । इसे अक्तूबर 1992 में प्रारंभ किया गया । इसमें 32-बिट एड्रेस बस और 64 डाटा बस होती है । इसका डाटा और कैश इंस्ट्रक्शन अलग होता है । 601 प्रोसेसर वाले पॉवर पी सी को छोड़कर सभी का ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट होता है और इसमें 28 लाख ट्रांजिस्टर होते हैं । इसे अधिक कार्य-निष्पादन और कम लागत पी सी में प्रयोग के लिए बनाया गया है । कम वोल्टेज वाला 603 प्रोसेसर बैटरी पर चलने वाले कंप्यूटर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, 604 प्रोसेसर उच्चस्तरीय पी सी और वर्कस्टेशनों के लिए है और सबसे श्रेष्ठ 620 सर्वर और उच्चस्तरीय कार्यपरक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । इनके अतिरिक्त पॉवर पी सी 740 और पॉवर पी सी 750 माइक्रो प्रोसेसर भी बनाये गये हैं । पॉवर पी सी 750 कम बिजली से चलने वाले और नोटबुक कंप्यूटरों तथा डेस्क टॉप कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है ।

Power Supply - विद्युत आपूर्ति : कंप्यूटर में लगा बिजली का एक उपकरण, जो वाल-आउटलेट से आने वाली बिजली आपूर्ति को निम्न वोल्टेज में, 5 से 12 वोल्टेज डी. सी. में परिवर्तित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को इसकी आपूर्ति करता है । इसकी आवश्यकता कंप्यूटर के अंदर होती है । सामान्यतः पी सी पॉवर सप्लाई को वोल्ट में मापा जाता है । यह कम से कम 90 वोल्ट और अधिक से अधिक 300 वोल्ट हो सकती है । पर्सनल कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति वाट में मापी जाती है और यह 90 वाट से लेकर 250 वाट तक हो सकती है । यदि कंप्यूटर में पॉवर बंद हो जाये तो कोई भी काम नहीं हो सकता, यहां तक कि पंखे भी नहीं चल सकते । कंप्यूटर में पॉवर सप्लाई ताप का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और सामान्यतः हवा आने-जाने के लिए आवश्यक पंखे की आवश्यकता होती है । यह एक सीलयुक्त इकाई होती है । इसके कोई भी भाग ऑपरेटर सर्विसेबल नहीं होते ।

PRAM (Parameter RAM) - पीरैम, पैरामीटर रैम : मैकिंटॉश रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक छोटा भाग, जिसमें हार्डवेयर विन्यास, दिनांक और समय की सूचनाएं

---

* `कंप्यूटर परिभाषा कोश' भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है । यहाँ पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है ।

शामिल होती हैं । इसमें स्टार्टअप डिस्क और डेस्कटॉप की स्थिति से संबंधित सूचनाएं होती हैं । पीरैम की विषय-वस्तु बैटरी द्वारा सुरक्षित रखी जाती है और इसलिए जब मैक को बंद कर दिया जाता है या कार्य समाप्त होने के बाद प्लग हटा दिया जाता है, तो भी विषय-वस्तु मिटती नहीं।

Primary Dos Partition - प्राथमिक डॉस भाग : डॉस में हार्ड डिस्क का एक भाग, जिसमें महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलें रहती हैं । डॉस हार्ड डिस्क को दो भागों या क्षेत्रों में बांटा जा सकता है । प्राथमिक डॉस भाग और विस्तारित डॉस भाग । यदि कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से प्रारंभ करना हो तो डिस्क में सक्रिय प्राथमिक डॉस भाग होना चाहिए । इसमें तीन डॉस फाइलें MSDOS.SYS, IO.SYS और COMMAND.COM होती हैं । कंप्यूटर सिस्टम की पहली हार्ड डिस्क के प्राथमिक डॉस भाग को `सी' ड्राइव कहा जाता है । FDISK कमांड का उपयोग करके डिस्क के भाग को डिस्प्ले किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है ।

Printed Circuit Board – मुद्रित सर्किट बोर्ड : प्लास्टिक या फाइबर ग्लास का कोई भी समतल बोर्ड, जिसमें चिप तथा अन्य विद्युतीय घटक होते हैं । कई मुद्रित सर्किट बोर्डों में बहुस्तरीय बोर्ड होते हैं, जिनमें तांबे के कई निशान होते हैं, जो घटकों को परस्पर मिलाते हैं ।

Printer - प्रिंटर, मुद्रक : कंप्यूटर से संबद्ध एक उपकरण, जो कंप्यूटर पर किये गये कार्य को कागज या फिल्म पर मुद्रित करता है । प्रिंटर का चुनाव करते समय कीमत, गति, विभेद, ध्वनि के स्तर, प्रिंटिंग के लिए उपलब्ध सुविधा, कागज को संचालित करने की क्षमता, मुद्रण की पद्धति और गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

Printhead - प्रिंट हेड : प्रिंटर का एक भाग, जो छपे हुए प्रतिरूप को बनाते हैं । डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे पिन होते हैं और प्रतिरूप बनाने के लिए रिबन पर दबाव डालते हैं और इंक जेट प्रिंटर में प्रिंट हेड में एक धार (जेट) होती है, जो स्याही के बिंदुओं से आकार बनाती है । लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रोग्राफिक्स प्रक्रिया द्वारा फोटोकॉपियर की तरह प्रतिरूप बनाता है और इसमें प्रिंट हेड नहीं होता ।

Processor Unit - संसाधन इकाई, प्रोसेसर यूनिट: यह कंप्यूटर प्रणाली का हृदय होता है । इसमें स्मृति (मेमोरी), गणितीय तर्क और नियंत्रण इकाइयां शामिल होती हैं ।

Quadbit - क्वैडबिट : यह चार बिटों का सेट होता है, जो 16 संभावित संयोजनों को दर्शाता है । संचार प्रणाली में क्वैडबिट एक बार में 4 बिटों को कूटलिखित करके प्रेषण की दर बढ़ा देते हैं । ये 16 संभावित संयोजन हैं - 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 और 1111.

Quartz Crystal - स्फटिक मणिभ : स्फटिक का बहुत ही अच्छी तरह तराशा गया अति सूक्ष्म मणिभ, जिसका इस्तेमाल विद्युत के गुणों के लिए किया जाता है । इस मणिभ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह मणिभ एक निश्चित आवृत्ति पर कंपित होता है । यह आवृत्ति मणिभ के आकार-प्रकार पर निर्भर करती है । इस तरह के स्फटिक मणिभों का इस्तेमाल माइक्रो कंप्यूटरों में घड़ी के दोलन - परिपथों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ।

Queue - कतार, क्यू : 1. अनेक तत्व वाली डाटा संरचना, जो यह तय करती है कि तत्वों को उसी क्रम से हटाया जा सकता है, जिस क्रम से वे प्रविष्ट होते हैं, अर्थात् पहले प्रविष्ट तत्व पहले हटेगा । 2. फाइलों और प्रलेखों का वह व्यवस्थित समूह, जो संसाधित होने या मुद्रित होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो ।

RAM (Randiom Access Memory) – रैम : रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप । कंप्यूटर में प्रमुख मेमोरी सिस्टम, जिसका उपयोग आपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन प्रोग्राम और आंकड़ों के लिए होता है ।

RAM Chip - रैम चिप : सेमी कंडक्टर (अर्ध संवाहक) भंडारण उपकरण, गतिशील मेमोरी या स्थैतिक मेमोरी ।

RAM Disk - रैम डिस्क : विशिष्ट डिवाइस ड्राइवर द्वारा संचालित मेमोरी का क्षेत्र होता है और सिमुलेटेड डिस्क के रूप में प्रयुक्त होता है । चूंकि रैम डिस्क मेमोरी में कार्य करती है, इसलिए यह शीघ्रता से और नियमित हार्ड डिस्क से ज्यादा तेजी से कार्य करती है । रैम डिस्क पर जो कुछ भी स्टोर करते हैं, वह कंप्यूटर बंद करने पर मिट जाता है, इसलिए इसे पहले वास्तविक डिस्क पर स्टोर कर लेना चाहिए । रैम डिस्क को वर्चुअल ड्राइव भी कहा जाता है ।

Random Access - प्रत्यक्ष प्रवेश, रैंडम एक्सेस : हर समय आवश्यक मेमोरी एड्रेस तक सीधे जाने की भंडारण उपकरण की क्षमता का वर्णन करती है । जब कभी भी डाटा की आवश्यकता होती है तो डाटा को शुरू में पढ़ने की जरूरत नहीं होती । वस्तुतः रैंडम एक्सेस में कुछ भी अचानक या

संयोगपरक नहीं होता । अतः इसके लिए अधिक युक्तिपूर्ण शब्द प्रत्यक्ष प्रवेश है । दुर्भाग्य से 'रैंडम' शब्द का उपयोग रैम के संक्षिप्त रूप के एक भाग के लिए किया जाता है । रैंडम एक्सेस डिवाइस में उपयुक्त मेमोरी एड्रेस का आकलन करके सूचनाओं को सीधे पढ़ा जा सकता है । कुछ स्टोरेज डिवाइस, जैसे टेप, विशिष्ट स्टोरेज जगह का पता लगाने के लिए प्रारंभ से शुरू होने चाहिए और यदि सूचनाएं टेप के अंत में हैं, तो पहुंच ज्यादा समय ले सकती है । इस प्रक्रिया को अनुक्रम पहुंच कहा जाता है ।

Read /Write Head - रीड / राइट हेड, पठन / लेखन हेड : फ्लॉपी या हार्ड डिस्क सिस्टम का एक भाग, जो चुम्बकीय डिस्क से डाटा (आंकड़ों) को पढ़ता और लिखता है ।

Removable Mass Storage - रिमूवेबल मास स्टोरेज : पढ़ने और लिखने के लिए ड्राइव में डाला गया कोई अधिक क्षमतावान भंडारण उपकरण, जो बाद में स्टोर करने और सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज ड्राइव में से निकालने में सहायक हो सकता है । इस शब्द का उपयोग सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क के बारे में नहीं होता, लेकिन टेप और कार्ट्रिज बैकअप सिस्टम और बरनौली बॉक्स के बारे में होता है ।

Reverse Video - रिवर्स / प्रतिलोम विडियो : विडियो स्क्रीन पर हल्के और गहरे कैरेक्टरों को प्रतिवर्ती (उलट) क्रम में प्रदर्शित करना । उदाहरण के लिए श्वेत पृष्ठभूमि पर काले में प्रदर्शित पाठ को रिवर्स विडियो में काले पर श्वेत में दिखाया जायेगा । मोनोक्रोम मॉनिटर में एक डिस्प्ले मोड, जिसमें परिदृश्य सामान्य और आगे के रंगों का प्रतिलोम करके स्क्रीन में वर्णों को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

RISC (Reduced Instruction Set Computing) - रिस्क, छोटा अनुदेश सेट संगणन : यह एक प्रोसेसर (या चिप) होता है, जो केवल असेंब्ली भाषा के अनुदेशों की पहचान सीमित संख्या में ही कर पाता है । चूंकि इन चिपों पर 128 से भी कम विभिन्न अनुदेशों का समावेश होता है, इसलिए रिस्क चिप बनाने और 'डिबग' करने में अपेक्षाकृत ज्यादा सस्ते होते हैं । रिस्क प्रोसेसर में अधिक अनुदेश, 200 से 300 के लगभग होते हैं । रिस्क प्रोसेसर सामान्यतः वर्कस्टेशन में प्रयुक्त होते हैं और सिस्क (CISC) प्रोसेसर से लगभग 70 प्रतिशत अधिक तेजी से काम करने के लिए तैयार किये जा सकते हैं ।

Robotics - रोबो विद्या, रोबोटिक्स : मानवीय हस्तक्षेप या पर्यवेक्षण के बिना परिवेश में बुद्धिमत्तापरक कार्य करने और सम्पर्क बनाये रखने के लिए कंप्यूटर पर आधारित यांत्रिक उपकरण बनाने की विद्या अर्थात् रोबो तथा उनके उपयोग संबंधी विज्ञान । रोबो विद्या का कृत्रिम बुद्धि से हमेशा संबंध रहा है और रोबो ने अनिश्चित और असामान्य स्थितियों में काम करने के लिए कृत्रिम बुद्धि की विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया है ।

Scanner - स्कैनर : ऑप्टिकल साधन, जो रेखाचित्र या छायाचित्र जैसी छवियों को अंकीय (डिजिटल) रूप में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें पेज लेआउट द्वारा या डेस्क टॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम द्वारा टेक्स्ट के साथ समाहित किया जा सके ।

SCSI (Small Computer System Interface) – स्कज़ी : छोटी कंप्यूटर प्रणाली का इंटरफेस होता है । ए एन एस आइ x 3 T 9.2 समिति द्वारा परिभाषित उच्च गति (प्रति सेकंड 4 मेगाबाइट तक) का समानांतर इंटरफेस है । सिर्फ एक पुर्जे की सहायता से पर्सनल कंप्यूटर को एकसाथ सात अन्य सहायक उपकरणों के साथ जोड़ने के लिए स्कज़ी का उपयोग किया जाता है । इस तरह जोड़े गये उपकरण 'डेजी-चेन्ड' (श्रृंखलाबद्ध) कहलाते हैं और हर उपकरण को अलग पहचान-चिह्न या 1 से 7 के बीच प्राथमिकता क्रमांक देना आवश्यक है । मैक प्लस के आरंभ से मैकिंटॉश पर स्कज़ी मानक बना रहा है और आइ बी एम आर एस / 6000 और आइ बी एम पी एस / 2 मॉडेल 65 और उच्चस्तरीय कंप्यूटरों पर उपलब्ध है । आइ बी एम संगत कंप्यूटरों में इसे सिंगल विस्तार बोर्ड के रूप में, कंप्यूटर केस के पीछे से विशेष 50 पिन कनेक्टर लगाकर बिठाया जा सकता है । प्रायः हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, सी डी-रॉम ड्राइव तथा संचय के अन्य बृहत् माध्यमों, साथ ही स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ने के लिए स्कज़ी का इस्तेमाल किया जाता है ।

Semaphore - सेमाफोर : प्रोग्रामिंग में इंटर प्रोसेस संचार सिग्नल, जो साझा स्मृति (मेमोरी) जैसी प्रणाली के साझा संसाधन की स्थिति दर्शाता है । म्युच्युअल एक्सक्ल्यूजन (म्यूटेक्स) सेमाफोर सिस्टम संसाधनों, जैसे फाइलों, डाटा और सहायक उपकरणों तक अनेक प्रक्रियाओं की एकसाथ पहुंच को रोकता है । मल्टिपल वेट (म्यूक्सवेट) सेमाफोर सूत्रों को मल्टिपल घटनाएं घटने तक या मल्टिपल संसाधन मुक्त होने तक रोकता है ।

Semiconductor - सेमीकंडक्टर : संवाहक (कंडक्टर), जिससे होकर विद्युत-धारा चलती है और विद्युतरोधी (इंसुलेटर),

जो विद्युत-धारा को आगे बढ़ने से रोकता है, के बीच की सामग्री । इसके इलेक्ट्रिकल व्यवहार का ठीक-ठाक नियंत्रण डोपांट्स नाम का बाहरी पुर्जा लगाकर किया जा सकता है । बड़े पैमाने पर उपयोग में लाये जाने वाले सेमीकंडक्टर सिलिकन और जर्मेनियम के होते हैं और जब इनसे बिजली प्रवाहित होती है, तब इनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और वे वाहक (कंडक्टिव) से गैर-वाहक या गैर-वाहक से वाहक बन जाते हैं। बिजली के विविध उपकरण बनाने के लिए बहुत पतले (वेफर जैसे) सेमी कंडक्टरों का उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटरों में प्रोसेसर, मेमोरी तथा कई अन्य चिपों में सेमीकंडक्टरों का इस्तेमाल होता है। सबसे उल्लेखनीय सेमीकंडक्टर उपकरण का आसान उदाहरण ट्रांजिस्टर है, जो ऑन / ऑफ स्विच जैसा काम करता है और आधुनिक माइक्रो प्रोसेसरों में लगाया जाता है।

Serial Communications - श्रृंखलाबद्ध संचार / सम्प्रेषण : कंप्यूटर से कंप्यूटर तक या कंप्यूटर के सहायक उपकरणों तक जानकारी का प्रक्षेपण एक समय पर एक बिट के रूप में करने को श्रृंखलाबद्ध संचार कहते हैं । श्रृंखलाबद्ध संचार एक साथ होने वाले हो सकते हैं और घड़ी द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं या एक साथ न होने वाले भी हो सकते हैं और डाटा प्रवाह में अंतर्निहित स्टार्ट और स्टॉप बिटों द्वारा समन्वित किये जाते हैं । यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों उपकरणों की बॉड दर, अनुरूपता समायोजन और अन्य संप्रेषण मापदंड एकसमान (एक ही) हों ।

Serial Mouse - क्रमिक / श्रृंखलाबद्ध माउस : एक तरह का माउस, जो कंप्यूटर के किसी एक क्रमिक भाग के साथ सीधे जुड़ता है ।

Serial Port - क्रमिक / श्रृंखलाबद्ध पोर्ट : कंप्यूटर इन्पुट / आउटपुट का ऐसा पोर्ट, जिससे श्रृंखलाबद्ध संचार हो सकता है । इसमें एक समय पर एक ही बिट का संसाधन किया जाता है । आर एस-232-सी बहुप्रचलित श्रृंखलाबद्ध प्रोटोकोल है, जो कंप्यूटर द्वारा मॉडेम, प्रिंटर, माउस तथा अन्य उपकरणों के साथ संप्रेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

Serial Printer - श्रृंखलाबद्ध प्रिंटर : ऐसा प्रिंटर, जो कंप्यूटर के किसी एक श्रृंखलाबद्ध पोर्ट के साथ जुड़ता है ।

Shfit Key - शिफ्ट की : की बोर्ड की एक की (कुंजी), जो किसी अक्षर के साथ ही दबाने से उस अक्षर को अपर केस अक्षर की तरह कंप्यूटर को प्रेषित करती है या अन्य किसी *की* को इसके साथ दबाने पर उस *की* को दूसरा अर्थ प्रदान करती है ।

Silicon - सिलिकन : सेमीकंडक्टर सामग्री, जो बहुत-से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है । प्रायः सभी तरह के पत्थरों और तटीय रेत में आम तौर पर सिलिकन घटक पाया जाता है । रासायनिक बाह्य घटक का लेप करने पर यह सेमीकंडक्टर बन जाता है । सिलिकन के बड़े सिलिंडर काटकर बहुत पतले चक्ते जैसे टुकड़े (वेफर) बनाये जाते हैं। फिर उन पर सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल सर्किटों को उकेर कर (निक्षारित करके) सिलिकन चिप बनाये जाते हैं ।

Silicon Chip - सिलिकन चिप : एक एकीकृत परिपथ समूह, जो कि सिलिकन को सेमी कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करता है । सिलिकन कुछ चट्टानों में अथवा समुद्र के किनारे की रेत में पाया जाता है तथा इसमें कुछ मिश्रण करके इसे सेमीकंडक्टर बनाते हैं । तत्पश्चात् इसके अत्यंत पतले चक्तों (wafer) से कंप्यूटर चिप बनते हैं ।

Single-Density Disk - एकल घनता डिस्क : फ्लॉपी डिस्क, जिसे बारंबारता मॉड्यूलेशन एन्कोडिंग के साथ रिकार्डिंग के लिए प्रमाणित किया गया है । एकल घनता डिस्क की जगह अब दोहरी घनता डिस्क और उच्च घनता डिस्क ने ले ली है ।

Single-User System - एकल प्रयोक्ता (सिंगल यूजर) प्रणाली : जो कंप्यूटर प्रणाली (सिस्टम) एक समय पर एक ही व्यक्ति के उपयोग के लिए बनायी गयी हो । यह प्रायः पर्सनल कंप्यूटर होता है । डॉस, सिस्टम 7, ओ एस / 2 एकल प्रयोक्ता प्रणालियां हैं, जबकि यूनिक्स का प्रयोग एक से अधिक प्रयोक्ता कर सकते हैं ।

Smart Cards - स्मार्ट कार्ड : ये बहुत छोटे (सूक्ष्म) कंप्यूटर होते हैं, जो लेन-देन में इस्तेमाल होते हैं । कार्ड को एक विशेष टर्मिनल में डालकर कुंजीपटल पर संकेत शब्द (पासवर्ड) टाइप करना पड़ता है । 1. कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिकी की भाषा में वह छोटा-सा पतला कार्ड, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ (सर्किट) बने होते हैं, जो तार्किक तथा कुछ पूर्व निश्चित क्रियाएं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कर सकते हैं । 2. बैंकिंग क्षेत्र में यह वह क्रेडिट / डेबिट कार्ड है, जिस पर काफी एकीकृत परिपथ बने होते हैं तथा कार्ड धारक संबंधी जानकारी भी सीमित मात्रा में रहती है । इसका उपयोग धन संबंधी कार्यों में हो सकता है, बशर्ते उस दुकान / स्थल पर स्मार्ट कार्ड रीडर लगा हो ।

(अगले अंक में जारी)

2001-2002 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति

मुख्य-मुख्य बातें

- उद्योग क्षेत्र के निम्नतर कार्य निष्पादन और वित्तीय बाज़ार के कुछेक क्षेत्रों में प्रतिकूल गतिविधियों के बावजूद वर्ष 2000-01 में समष्टि आर्थिक, मौद्रिक और मूल्य संबंधी स्थिति और बाह्य क्षेत्र की गतिविधियाँ मोटे तौर पर अनुकूल।
- रिज़र्व बैंक ऋण वृद्धि को पूरा करने तथा निवेश मांग के पुनःप्रचलन को सहायता देने के लिए यथोचित चलनिधि प्रदान करेगा।
- रिज़र्व बैंक मौजूदा स्थिर ब्याज दर का वातावरण जारी रखने की अपेक्षा रखना चाहता है और वर्ष के दौरान उसमें और नरमी की वरीयता घोषित करता है।
- निर्यात ऋण पर 1 से 1.5 प्रतिशत अंकों से ब्याज दर कम करने और निर्यात ऋण पुनर्वित्त युक्तिसंगत बनाने के उपाय।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अगले चरण पर जाने के उपाय : बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को बैक-स्टॉप सुविधा सहित अन्य उपायों का विस्तृत पैकेज।
- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और लचीला, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की बकाया राशि पर ब्याज में वृद्धि।
- मूल उधार दर मानदंड उदारीकृत।
- वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रखी गयी जमाराशियों पर उच्चतर ब्याज दर देने के लिए बैंकों को अनुमति।
- शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए विवेकपूर्ण उपाय।
- रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंकों के लिए स्वतंत्र उच्च पर्यवेक्षी निकाय के पक्ष में है।
- रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थाओं में अपने स्वामित्व का विनिवेश करके अपनी भूमिका सरल बनाएगा।
- रिज़र्व बैंक से ऋण प्रबंधन कार्य अलग करने का एक स्तर निश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।
- शेयर बाज़ारों में बैंकों के निवेश पर संशोधित दिशानिर्देश अगले परामर्शों के बाद मई 2001 से प्रभावी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान ने 19 अप्रैल 2001 को बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 2001-02 के लिए वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति प्रस्तुत की। इस वक्तव्य में समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों, मौद्रिक नीति की अवस्थितियों तथा वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने और बाज़ारों तथा संस्थागत संरचना के विकास के लिए व्यापक दायरे वाले उपायों के पैकेज की समीक्षा निहित थी। अपने इस वक्तव्य में गवर्नर महोदय ने मौद्रिक नीति तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर और आरक्षित निधि के प्रबंधन से सम्बन्धित कुछ विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक मुद्दों का भी उल्लेख किया।

शुरुआत करते हुए, गवर्नर महोदय ने उल्लेख किया कि इस वर्ष की नीति ऐसे समय प्रस्तुत की जा रही है जब वित्तीय प्रणाली के कुछ खंडों में गंभीर कमियाँ उजागर हुई हैं। गवर्नर महोदय ने कहा कि ध्यान में आयी इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत है ताकि भारत का वित्तीय क्षेत्र लगातार सुदृढ़ और सुरक्षित रहे।

2001-02 के लिए मौद्रिक नीति की अवस्थिति

सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत और घरेलू अथवा बाह्य क्षेत्रों में किसी विपरीत और अप्रत्याशित गतिविधियों को छोड़कर वर्ष 2001-02 के लिए मौद्रिक नीति की कुल अवस्थिति इस प्रकार होगी :

- कीमत स्तर में गतिविधियों पर नजर रखते हुए निवेश-मांग में चेतना लाने और ऋण संवृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान।
- मध्यम अवधि में ब्याज दर व्यवस्था को अधिकाधिक लोचशीलता प्रदान करने के समग्र फ्रेमवर्क के भीतर वर्तमान स्थिर ब्याज दर परिवेश को यथासंभव सरल बनाने की तरजीह के साथ स्थितियों के अनुसार व्यवस्था।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार और मौद्रिक नीति के उपाय

वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय बाज़ारों के विभिन्न खण्डों के कार्यों में सुधार के लिए गवर्नर महोदय ने कुछ संरचनात्मक उपाय घोषित किए।

नकदी समायोजन सुविधा की समीक्षा - चरण II

यह निर्णय लिया गया है कि नकदी समायोजन सुविधा का दूसरा चरण आगे कार्यान्वित किया जाये।

- भारतीय रिज़र्व बैंक से उपलब्ध स्थायी चलनिधि

सुविधाओं को दो भागों, अर्थात् (I) सामान्य सुविधा और (II) बैक-स्टॉप सुविधा, में विभाजित करने का प्रस्ताव है।

- सामान्य सुविधा बैंक दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- बैक-स्टॉप सुविधा प्रति-पुनर्खरीद / एनएसई-एमआइबीओआर से जुड़ी परिवर्तनशील दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्राथमिक व्यापारियों तथा बैंकों को उपलब्ध नकदी समर्थन की कुल सीमाओं से प्रारंभ में सामान्य सुविधा लगभग दो तिहाई हिस्से होगी और बैक स्टॉप सुविधा लगभग एक तिहाई होगी।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त

5 मई 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से वाणिज्य बैंकों को द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त दिया जायेगा। फार्मूला में परिवर्तन के कारण, उपर्युक्त उल्लिखित बैंक पुनर्वित्त के कतिपय प्रतिशत को 31 मार्च 2002 तक पाने के हकदार बने रहेंगे। यदि इन बैंकों द्वारा लिये जानेवाले निर्यात ऋणों की मात्रा में वृद्धि होती है तो उनको दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधा में भी तदनुसार वृद्धि होगी।

निर्यात ऋण संबंधी ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया

बैंकों द्वारा दिये जानेवाले निर्यात ऋणों पर ब्याज दर को युक्तिसंगत बनाया गया है और उसे पीएलआर के साथ जुड़ी उच्चतम दर के रूप में दर्शाया जायेगा ताकि बैंकों द्वारा लगायी गयी ब्याज दर वस्तुत: निर्धारित दर से कम हो। प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 180 दिन तक के मौजूदा पीएलआर के आधार पर इस बात की संभावना है कि ब्याज दर में 1.0-1.5 प्रतिशत बिंदु की कमी आये। बैंक निर्यात ऋण के लिए पीएलआर में से 1.5 प्रतिशत दर घटाते हुए निचली दर का भी प्रस्ताव कर सकते हैं।

मुद्रा बाज़ारों से संबद्ध उपाय

- कंपनियों (कार्पोरेट) को प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से अपने मांग कारोबार करने की अनुमति 30 जून 2001 तक होगी ।
- मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में कार्य करने के लिए अन्य गैर-बैंक संस्थाओं (वित्तीय संस्थाओं, म्युच्युअल फंड एवं बीमा कंपनियों सहित) की पहुंच को धीरे-धीरे चार चरणों में कम किया जाएगा :
  - चरण I में, वर्ष 2000-01 के दौरान गैर-बैंकों को मांग बाज़ार में अपने औसत दैनिक उधार का 85 प्रतिशत उधार देने की अनुमति होगी।
  - चरण II में, गैर-बैंकों को समाशोधन निगम के परिचालन में आने की तारीख से मांग बाज़ार में अपने औसत दैनिक उधार का 70.0 प्रतिशत उधार देने की अनुमति होगी ।
  - चरण III में, चरण II के तीन महीने बाद की तारीख से गैर-बैंकों की मांग/सूचना मुद्रा में बाज़ार में पहुंच मांग बाज़ार में उनके औसत दैनिक उधार के 40.0 प्रतिशत के बराबर होगी ।
  - चरण IV में, चरण III के तीन महीने बाद की तारीख से गैर-बैंकों की मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में पहुंच मांग बाज़ार में उनके औसत दैनिक उधार के 10.0 प्रतिशत के बराबर होगी।
- चरण IV के प्रारंभ हो जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से गैर-बैंकों को मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में उधार देने की अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त उपायों से बाज़ार-सहभागियों को बाज़ार में बिना किसी रुकावट के अपने संविभाग (पोर्टफोलियो) के दोनों पक्षों को उधार देने और उधार लेने को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय होगा।
- यह निर्णय किया गया है कि 15 लाख रुपये और उससे अधिक की थोक जमाराशि की न्यूनतम परिपक्वता अवधि वर्तमान 15 दिन से कम करके 7 दिन कर दी जाए।
- 11 अगस्त 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले सात दिनों के लिए दैनिक न्यूनतम अपेक्षा 65.0 प्रतिशत से घटाकर 50.0 प्रतिशत कर दी गयी है। 65.0 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा रिपोर्टिंग शुक्रवार सहित बिना किसी अपवाद के अगले सातों दिन के लिए लागू होगी।
- हालांकि मध्यकालिक लक्ष्य यह होगा कि प्रारक्षित नकदी अनुपात सांविधिक न्यूनतम तक लाया जाये, एक मध्यकालिक उपाय के रूप में पात्र शेष राशियों पर ब्याज दर को दो चरणों में बैंक दर पर लाया जाये। 21 अप्रैल 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से ब्याज दर बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दी जायेगी।
- 15 दिन और उससे अधिक की अंतर-बैंक मीयादी देयताओं की अवधि समाप्ति से 3.0 प्रतिशत की सांविधिक नकदी अनुपात की न्यूनतम अपेक्षा से छूट है।
- मौजूदा 14 दिवसीय खज़ाना बिल और 182 दिवसीय खज़ाना बिल नीलामियाँ समाप्त की जा रही हैं और 91 दिवसीय खज़ाना बिल नीलामियाँ बढ़ाकर 250 करोड़

रुपये की जा रही हैं। 91 दिवसीय और 364 दिवसीय बिल आदान-प्रदान योग्य स्टॉक का रूप ले लेंगे ताकि गौण बाज़ार गतिशील हो सके।

- 2 जून 2001 से प्रभावी प्रस्तावित नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के लिए बाज़ार प्रतिभागी खुद को तैयार कर सकें, इसके लिए रिज़र्व बैंक के डीवीपी प्रणाली के जरिये निपटाये गये सभी लेनदेन टी +1 आधार पर होंगे।

ब्याज दर नीति

(क) न्यूनतम उधार संबंधी मानदंडों की समीक्षा

- यह निर्णय लिया गया है कि 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए आधार दर के रूप में न्यूनतम उधार दर की आवश्यकता को शिथिल किया जाए। बैंक, अपने-अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शिता तथा उद्देश्यता नीति के समान ही सरकारी उद्यमों सहित निर्यातकर्ताओं तथा अन्य भरोसेमंद उधारकर्ताओं को न्यूनतम उधार दर से कम दर पर ऋण दे सकेंगे।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा योजनाएं

- बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे किसी भी आकार की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतम संगठनों तथा नियत ब्याज दर ऑफर करते हुए विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी नियत जमा योजनाओं को निरूपित कर सकते हैं।

(ग) मीयादी जमाराशियां - बैंकों के लिए लचीलापन

- बैंकों को यह स्वतंत्रता दी जायेगी कि बैंक एकल और हिंदू अविभक्त परिवारों से इतर पक्षों द्वारा रखी गई बड़ी जमाराशियों के असामयिक आहरण को अस्वीकार करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

- परिपक्वता अवधि में प्रचलित ब्याज दर पर अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण केवल 14 दिवसीय अतिदेय अवधि के लिए ही अनुमत होगा।

(घ) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दर

- लंदन अंतर-बैंक प्रस्तुत दर/ स्वैप दर + पचास आधार पाइंट की उच्चतम सीमा को संशोधित करके अधोमुखी उच्चतम सीमा को लेबोर/स्वैप में पुनरीक्षित किया जाए।

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की गतिविधियां

केंद्र सरकार के 2001-02 के बजट में की गई घोषणा के बाद समाशोधन निगम तथा एक इलेक्ट्रानिक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम शुरू किये जाने की आशा है तथा लोक ऋण अधिनियम के स्थान पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम लाये जाने का प्रस्ताव है।

- खुदरा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एकल व्यक्तियों और भविष्य निधियों को प्राथमिक व्यापारियों और अनुषंगी व्यापारियों के ही माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर सहभागिता की अनुमति दी जायेगी।

- चुनिंदा और प्रायोगिक आधार पर दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए एकसमान कीमत नीलामी फार्मेट ।

ऋण प्रबंधन को अलग करने की दिशा में हुई प्रगति

गवर्नर ने उल्लेख किया कि हालांकि मौद्रिक प्रबंधन से ऋण प्रबंधन को अलग करने के संबंध में 1997 में एक कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी, किंतु दोनों कार्यों को अलग करना तीन पूर्व शर्तों अर्थात् वित्तीय बाज़ारों के विकास, राजकोषीय घाटे पर संपूर्ण नियंत्रण और आवश्यक वैधानिक परिवर्तनों को पूरा करने पर निर्भर था और बाद की गतिविधियों से सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रगति हुई है :

- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम संशोधन जिससे वित्तीय बाज़ारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी की विनियामक भूमिकाएं अलग-अलग तय की गईं।
- वित्तमंत्री द्वारा मौद्रिक नीति तैयार करने और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक परिचालनगत सहूलियत देने की आवश्यकता पर बल।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिनियम में संशोधन का तथा राजकोषीय घाटे पर यथोचित नियंत्रण लाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक लाने का प्रस्ताव।
- समाशोधन निगम का गठन तथा स्वयंपूर्ण नकदी समायोजन सुविधा की शुरुआत।

गवर्नर ने उल्लेख किया कि वैधानिक कार्रवाई पूरी हो जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक से सरकारी ऋण प्रबंध को अलग करने की संभावना और इस बारे में आगे और कदम उठाने के लिए सरकार के साथ मामला उठाने का प्रस्ताव है।

विवेकपूर्ण उपाय

(क) ऋण को अनर्जक के रूप में मानने के लिए 90 दिन का मानदंड

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण को अनर्जक के रूप में मानने के लिए 90 दिन के मानदंड को अपनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उसके लिए प्रावधान 31 मार्च 2002 से किये जाने होंगे।

(ख) वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकशील उपाय

वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड किसी वित्तीय संस्था की आस्तियां अनर्जक आस्ति के रूप में मान ली जायेंगी जब उस पर ब्याज और/या मूल धन वर्तमान के 365 दिन के बजाय 180 दिन के लिए अतिदेय हो जाये। यह व्यवस्था 31 मार्च 2002 को समाप्त होनेवाले वर्ष से प्रभावी होगी।

(ग) निजी बैंकों के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के लिए मानदंड

वर्ष 2001-02 से, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनके यहां सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में जिन लेखा-परीक्षा फर्मों की सिफारिश की जाती है, उन्हें इस संबंध में निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा जैसे उनका न्यूनतम स्थायित्व (स्टैंडिंग), पूर्णकालिक भागीदारों की न्यूनतम संख्या, फर्म के साथ फर्म के लिए ही जुड़े रहे सनदी लेखाकारों की न्यूनतम संख्या, आदि।

(घ) अनर्जक परिसंपत्तियों की वसूली हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत

एक-कालिक आशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जो 31 मार्च, 2001 तक लागू थे, उनकी अवधि जून 2001 तक बढ़ा दी गई थी। इन आवेदनों/मामलों की प्रोसेसिंग के लिए बैंकों को 30 सितंबर 2001 तक का समय दिया गया है।

(ङ) ऋण-राशि जोखिम की गणना की विधि

- समान रूप से राशि-सीमा निर्धारित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता मानकों के अंतर्गत यथापरिभाषित पूंजी-निधि के सिद्धांत को 31 मार्च 2002 से अपनाया जाए।
- गैर निधि-आधारित राशियों की गणना सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के अनुरूप पहली अप्रैल 2003 से 100 प्रतिशत पर की जाए और उसके अतिरिक्त बैंक विदेशी विनिमय में वायदा संविदा और अन्य व्युत्पन्न प्रोडक्ट शामिल कर लें।
- मार्च 2002 के अंत में एकल उधारकर्ता के लिए राशि-सीमा का समायोजन वर्तमान 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया जाए। इसी प्रकार से, समूह राशि-सीमा पूंजी-निधि के 40 प्रतिशत से समायोजित की जायेगी।

(च) ऋण वसूली अधिकरण

सरकार ने विद्यमान 22 ऋण वसूली अधिकरणों एवं 5 अपीलीय अधिकरणों के अतिरिक्त वर्ष 2001-02 के दौरान 7 और ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया है ताकि बैंक, उधारकर्ताओं से अपने बकायों की वसूली तेजी से कर सकें । इसके अलावा, सरकार ने एक कानून लाने का भी प्रस्ताव किया है ताकि चूक होने पर प्रतिभूतियों का मोचन-निषेध (फोर-क्लोजर) तथा प्रवर्तन हो सके और बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने बकायों की वसूली कर सकें।

(छ) चूककर्ता सूची-कवरेज को व्यापक बनाना

बैंकिंग विधि में संशोधन होने को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे ऋण-करार में एक शर्त जोड़ें जिसमें उधारकर्ता की यह सहमति प्राप्त की जाएगी कि वे चूककर्ता होने पर अपने नाम बता देंगे। वे बैंक, जिन्होंने उधारकर्ताओं की सहमति प्राप्त करने की शर्त नहीं जोड़ी है उन्हें सूचित किया जा रहा है कि वे इस कार्य को 30 सितंबर 2001 तक पूरा कर लें।

(ज) शेयर बाज़ार में बैंकों की राशियों का एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति की रिपोर्ट जो 12 अप्रैल 2001 को भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी, जारी कर दी गयी है। यह रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

तकनीकी समिति की सिफारिशों से यह अपेक्षा की जाती है कि आपस में सांठ गांठ वाली कुछ स्टॉक ब्रोकिंग संस्थाओं और कुछ निजी क्षेत्र के और सहकारी बैंकों के प्रवर्तकों/प्रबंधकों के बीच ऐसे अवांछित और अनैतिक `संबंध' उभरने की संभावना कम हो जाएगी। तकनीकी समिति की सिफारिशों के आलोक में, भारतीय रिज़र्व बैंक यह प्रस्ताव रखता है कि शेयरों में बैंकों के निवेशों तथा शेयरों के बदले अग्रिमों और अन्य संबंधित निवेशों के संबंध में पूर्व में नवंबर 2000 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया जाए। यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को भविष्य में प्राप्त होनेवाले अभिमतों/सुझावों को विचार में लेते हुए अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत मई 2001 के शुरू में जारी किये जायें।

(झ) माँग मुद्रा बाज़ार पर निर्भरता

हाल ही के एक मूल्यांकन से यह संकेत प्राप्त हुआ है कि कुछ बैंकों ने मांग मुद्रा बाज़ार पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए स्थायी जमा आधार बनाने, प्रतिबद्ध ऋण-व्यवस्था आदि करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। तथापि, यदि कोई बैंक अपने बैंकिंग परिचालनों के लिए मांग मुद्रा बाज़ार पर अत्यधिक रूप से निर्भर रहना जारी रखता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसके साथ विचार-विमर्श के बाद मांग मुद्रा पर उसकी दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने के लिए विशेष सीमा निर्धारित करेगा।

(ट) वाणिज्यिक पेपर

(I) अमूर्तीकृत (डीमैट) धारिता के लिए वरीयता

यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून 2001 से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और गौण व्यापारियों को नये निवेश करने के लिए और वाणिज्यिक पेपर को केवल

अमूर्तीकृत (डिमैट) रूप में रखने के लिए ही अनुमति दी जाए तथा प्रतिभूति-पत्र के रूप में बकाया निवेशों को भी अक्तूबर 2001 तक अमूर्तीकृत रूप में परिवर्तित किया जाए। साथ ही, यह भी समयोचित समझा गया कि बांडों, डिबेंचरों और इक्विटियों जैसे अन्य निवेशों को भी अमूर्तीकृत रूप में रखने के लिए सूचित किया जाए। तदनुसार, 31 अक्तूबर 2001 से वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और गौण व्यापारियों को नये निवेश करने के लिए और निजी रूप से अथवा अन्यथा रखे गये बांडों और डिबेंचरों को केवल अमूर्तीकृत फार्म में रखने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिभूति-पत्र के रूप में बकाया निवेश जून 2002 के अंत तक अमूर्तीकृत रूप में परिवर्तित किये जायें।

(II) प्रलेखीकरण और क्रियाविधि

वाणिज्यिक पेपर के निर्गम के संबंध में अक्तूबर 2000 में जारी नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के एक भाग के रूप में, फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्ज़ एसोसिएशन `फिम्मडा' को यह कार्य सौंपा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सहभागियों द्वारा पालन किये जाने के लिए मानक क्रियाविधि और प्रलेखीकरण निर्धारित करे। इन्हें अंतिम रूप देने से पहले `फिम्मडा' अपने सदस्यों और बाज़ार के अन्य सहभागियों के बीच इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारूप परिचालित करेगा।

(ठ) ऋण सूचना ब्यूरो

विद्यमान ढांचे में जहां ऋण सूचना ब्यूरो काम कर सकता है, वहीं ब्यूरो की कार्य-प्रणाली को और कारगर बनाने के लिए वैधानिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु ब्यूरो के दायित्वों, सदस्य ऋण संस्थाओं के अधिकारों और कर्तव्यों तथा गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा को शामिल करते हुए एक प्रारूप व्यापक विधान (ड्राफ्ट लेजिस्लेशन) भारत सरकार को भेजा गया है।

शहरी सहकारी बैंक

(I) विवेकपूर्ण मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों के लिए, उनके सदस्यों तथा जमाकर्ताओं के हित में विवेकपूर्ण उपाय मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है :

- तत्काल प्रभाव से, शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जा रहा है कि वे किसी व्यक्ति अथवा अन्य कंपनियों को शेयर की जमानत पर प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ऋण देने के नये प्रस्ताव प्राप्त न करें। उन्हें यह भी सूचित किया जा रहा है कि शेयर दलालों को दिये गये विद्यमान ऋण या शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश जल्द से जल्द वापस ले लिये जायें।
- मांग /नोटिस मुद्रा बाज़ार में दैनिक आधार पर उनकी कुल उधारियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी सकल जमाराशियों के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- रक्षोपाय के रूप में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि वे अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास अपनी मीयादी जमाराशियाँ न बढ़ायें।
- शहरी सहकारी बैंकों की सभी श्रेणियों के लिए एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाने के लिए अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अनुपात बढ़ाया जा रहा है। पहली अप्रैल 2003 से शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 25.0 प्रतिशत समस्त सांविधिक चलनिधि आस्तियाँ केवल सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियों में बनाये रखनी होंगी।
- समस्त अनुसूचित तथा बड़े शहरी सहकारी बैंकों को अपने निवेश केवल रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खाते में अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के पास रखे ग्राहक एसजीएल खाते में सरकारी प्रतिभूतियों में ही रखने होंगे।

ये सभी उपाय स्वभावतः `संभावनापूर्ण' हैं अथवा शहरी सहकारी बैंकों को अपने सदस्यों के हित में उन्हें कार्यान्वित करने के लिए काफी समय दिया गया है।

(II) शहरी सहकारी बैंकों के लिए नयी पर्यवेक्षी संरचना

हाल ही के अनुभव के आलोक में कई विकल्पों में से एक विकल्प, जिसे गंभीरता से स्वीकार किया जाना चाहिए, वह है नयी शीर्ष पर्यवेक्षी संस्था जो अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में संपूर्ण निरीक्षण/पर्यवेक्षी कार्य करेगी। यह शीर्ष संस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक और साथ ही विशेषज्ञों वाले एक अलग उच्च-स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड के नियंत्रण के अधीन हो सकती है। इसे शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत विवेकपूर्ण, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंध मानदंडों वाले उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के अप्रैल 2001 अंक से साभार)

गुजरात भूकंप के संबंध में राहत उपाय

26 जनवरी 2001 को आये भयंकर भूकम्प को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रभावित व्यक्तियों/व्यवसायों को राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को कई दिशानिर्देश जारी किये हैं। गुजरात के भूकंप-पीड़ितों को राहत/रियायतें देने के संबंध में दिनांक 9 फरवरी 2001 को अहमदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठक में की गयी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि भूकंप प्रभावित व्यक्तियों/ व्यवसायों को निम्नानुसार विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए। नीचे दर्शाये गये राहत उपाय जिलों और ब्लॉकों में प्रभावित उन व्यक्तियों के लिए लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित के रूप में अधिसूचित किया गया हो। इस संबंध में कोई आशंका होने पर शाखा प्रबंधक राज्य एजेंसियों से प्रमाणन की मांग कर सकते हैं।

क) देना बैंक, अहमदाबाद कार्यालय में निदेश देने और राहत उपायों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसमें इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नामित सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी हर समय सहायता प्रदान करेंगे।

ख) प्रभावित क्षेत्रों में सतत आधार पर निगरानी और राहत उपायों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट देने के लिए बैंकों द्वारा नोडल कार्यालयों की स्थापना की गयी है।

ग) बैंकों को चाहिए कि उनकी जो शाखाएं क्षतिग्रस्त/ प्रभावित/अकार्यक्षम हो गयी हैं, उनके लिए सैटेलाइट कार्यालयों, विस्तारित काउंटरों, मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं अथवा शाखाओं का अस्थायी आधार पर उपयुक्त नजदीकी स्थानों पर स्थानांतरण कर, बैंकिंग सेवाएं तुरंत फिर से बहाल करवाने के लिए प्रयास करें। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय निदेशक, गुजरात राज्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

घ) भूकंप प्रभावित उधारकर्ताओं के मामले में ऋण वर्गीकरण स्थिति निम्नानुसार 31.3.2003 तक `जहां है, जैसा है' आधार पर निश्चित की जाए।

(i) मानक आस्तियों के संबंध में, दो वर्षों तक वसूली की मांग न की जाए।

(ii) जो ऋण, मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, अगले दो वर्षों के दौरान देय चुकौतियां प्राप्त न होने पर भी उन पर कोई दंड न लगाया जाए।

(iii) बैंक 31.3.2003 तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सामान्य ब्याज लगायेंगे और उसके बाद नार्मल ब्याज दर लगायी जायेगी।

ङ) छोटे कारोबारी, लघु व्यवसायी, स्वरोजगारी और सड़क लघु परिवहन वाहक आदि श्रेणी के प्रभावित उधारकर्ताओं को खाते की वर्तमान स्थिति को न देखते हुए, उनके व्यवसायों के प्रत्यावर्तन/पुनर्वास हेतु उन्हें मूल उधार दर से अनधिक ब्याज दरों पर एक लाख रुपये तक की विशेष ऋण सीमा स्वीकृत करनी चाहिए।

च) भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त मकानों/दुकानों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के लिए बैंकों को मूल ब्याज दर से अनधिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करने चाहिए।

छ) लघु उद्योग, व्यवसाय, कारोबार और उद्योगों को अग्रिम प्रदान करने के संबंध में बैंकों को चाहिए कि उधारकर्ता के पिछले कार्य निष्पादन, खाते के निर्वाह आदि को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधारित व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाओं/वर्तमान सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति प्रदान करें। इस पुनर्निर्धारित ऋण पर 31.3.2003 तक 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से और उसके बाद मूल उधार दर पर ब्याज लगाया जायेगा। अतिरिक्त राशियों पर ब्याज आगे दिये गये उप-पैराग्राफ (ज) के अनुसार लगाया जायेगा।

ज) 10 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज मूल उधार दर पर और 10 लाख रुपयों से अधिक राशि के ऋणों के लिए ब्याज बैंक अपने स्वविवेक पर लगायेगा।

झ) मूल उधार दर सभी बैंकों के लिए एकसमान रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर, जोकि फिलहाल 12 प्रतिशत है, सभी के लिए लागू होगी।

ट) बैंक, प्रभावित हिताधिकारियों से कोई संसाधन शुल्क नहीं लेंगे।

ठ) इस पैकेज के अंतर्गत मकानों/दुकानों की मरम्मत/

निर्माण तथा छोटे कारोबारियों, लघु व्यवसायियों, स्वरोजगारियों तथा सड़क लघु परिवहन वाहकों को दी गयी वित्तीय सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के हिस्से के रूप में गिनी जायेगी।

ङ) ऐसे जमाकर्ताओं, जिन्होंने भूकंप में अपनी जाने गँवा दी हैं, के नामिती द्वारा प्रस्तुत दावे 48 घंटों के भीतर और अन्य मामलों में दावे की वैधता के बारे में बैंक के संतुष्ट होने पर निपटारा किया जाए। उत्तराधिकारी के संबंध में `राज्य एजेंसियां' अधिसूचित करेंगी। दिवंगत के 50,000/- रुपये तक के दावों का भुगतान क्षतिपूर्ति तथा शपथपत्र बांडों की गारंटी पर किया जायेगा।

ढ) ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की जाएं।

ण) बैंकों को इस बात की आजादी है कि वे उधारकर्ताओं को अपने बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् आवास हेतु सीधे दिये गये ऋणों के मामलों में मार्जिन शर्तों, जमानत और चुकौती अनुसूची के संबंध में अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करें।

त) कृषि ऋणों के मामलों में प्रभावित किसानों से विशेष मामलों के रूप में दो वर्ष के लिए मूलधन अथवा ब्याज की वसूली न करें और इन दो वर्षों के दौरान वसूल न की गयी राशि को 7 वर्ष तक की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित करें। प्रारंभिक ऋण स्थगन अवधि को मिलाकर पुनर्चुकौती की कुल अवधि 9 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

थ) प्रत्येक पात्र हिताधिकारी को दिये जाने वाले उपभोग ऋण की विद्यमान सीमा 1000/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- रुपये कर दी जाए। कुछ और रियायत देने के उपाय के रूप में ऐसे उपभोग ऋण को गुजरात राज्य में भी दिया जाए भले ही उन्होंने इस संबंध में हमारे विद्यमान अनुदेशों के अनुसार जोखिम निधि का गठन न किया हो।

द) ऋण मंजूर करते समय परिसंपत्ति व्याप्ति अनुपात (एसेट कवरेज रेशियो) पर जोर नहीं दिया जायेगा।

बैंकों द्वारा किये जा रहे राहत उपायों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक मासिक आधार पर की जायेगी। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की निगरानी समिति हर पखवाड़े में बैठक करेगी और प्रगति की समीक्षा करेगी। इसमें देना बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड, सिडबी तथा राहत आयुक्त, कृषि सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर समिति मकानों के पंजीकरण तथा संपत्ति बंधक रखने तथा मकानों/दुकानों के निर्माण हेतु भूमि के स्वामित्व प्रमाणन हेतु लगने वाले स्टांप शुल्क से छूट दिलाने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करेगी।

बैंकों को चाहिए कि वे जिलों में उक्त राहत उपाय प्रदान करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई शुरू करें। इस संबंध में की गयी प्रगति की निगरानी उप-दल/राज्य स्तरीय बैंकर समिति आवधिक अंतराल पर करती रहे तथा इसकी सूचना रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग तथा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद को देती रहे। इसके अलावा, जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा भी आवधिक अंतरालों पर निगरानी की जाती रहे।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के फरवरी 2001 अंक से साभार)

पूंजी लेखों पर रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाएं

पूंजी लेखों को उदार बनाने के लिए केन्द्रीय बजट के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचनाओं को संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किया जा रहा है:

1) ऐसी भारतीय कंपनियाँ जो विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहती हैं या विदेशों में संयुक्त तत्वावधान/संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश करना चाहती हैं, अब तीन वर्ष की लाभप्रदता शर्त के अंतर्गत आये बिना स्वचालित रूट के जरिए वार्षिक आधार पर 50 मिलियन अमेरिकी डालर तक निवेश कर सकती हैं। इस तरह, इससे पहले तीन वर्ष की एकमुश्त अवधि के लिए उपलब्ध 50 मिलियन अमेरिकी डालर तक के निवेश की सीमा, किसी लाभप्रदता की शर्त के बिना वार्षिक आधार पर उपलब्ध होगी।

2) कंपनियाँ अपने एडीआर/जीडीआर निर्गमों की आय के 100 प्रतिशत तक विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए निवेश कर सकती हैं और संयुक्त तत्वावधान एवं संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश कर सकती हैं। इससे पहले एडीआर/जीडीआर निर्गमों से होनेवाली आय के 50 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा की शर्त होती थी।

बजट और बैंकिंग क्षेत्र

- वर्ष 2001-02 के दौरान 7 और डी.आर.टी. स्थापित किये जायेंगे।
- एक ऐसा समुचित कानून जो चूक के मामलों में प्रतिभूतियों के पुरोबन्ध एवं प्रवर्तन में सहायक होगा ताकि संस्थाएँ अपनी बकाया धनराशियों की वसूली कर सकें।
- बैंक प्रबंधनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड 31 जुलाई 2001 या उससे पूर्व समाप्त किये जायेंगे। भविष्य में सभी भर्तियां बैंकों द्वारा स्वयं की जायेंगी।

3) रिज़र्व बैंक ने सिद्ध ट्रैक रिकार्डवाली ऐसी कंपनियों को विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त एकमुश्त आबंटन की सुविधा भी शुरू की है जिन्होंने स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशों में निवेश/अधिग्रहण के लिए उपलब्ध 50 मिलियन अमेरिकी डालर की सीमा को पहले ही खत्म कर लिया है। इस तरह के आवेदन पत्र पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा : (क) भारतीय कंपनी की वित्तीय स्थिति और कारोबार का ट्रैक रिकार्ड (ख) प्रथम दृष्ट्या निवेशों की व्यावहारिकता तथा विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त मांग के लिए औचित्य (ग) निवेश में से देश को बाह्य कारोबार तथा अन्य संभावित लाभों की दिशा में आवेदक कंपनी का योगदान। इस तरह के एकमुश्त आबंटन की मंजूरी रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिम रूप से दी जायेगी। अतएव, भारतीय कंपनियों को यह सुविधा रहेगी कि वे रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त किये बिना अपने अधिग्रहण/प्रत्यक्ष निवेशों के बारे में बातचीत कर सकें और उन्हें अंतिम रूप दे सकें। यह आबंटन रिज़र्व बैंक की कार्योत्तर रिपोर्टिंग के अधीन होगा। इस तरह के एकमुश्त आबंटन की सुविधा देते समय रिज़र्व बैंक यह भी विनिर्देश करेगा कि इस तरह की अनुमति के लिए वित्तपोषण के उपाय क्या रहेंगे तथा अनुमति की वैधता की अवधि क्या रहेगी।

4) कोई भारतीय कंपनी जिसने एडीआर/जीडीआर जारी किये हैं मुख्य गतिविधि के इसी तरह के क्षेत्र में लगी विदेशी कंपनियों के शेयर प्राप्त कर सकती है, जिसकी सीमा 100 मिलियन अमेरिकी डालर अथवा उनके प्रत्येक वर्ष के निर्यातों के 10 गुना के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, होगी। इससे पहले यह सुविधा कुछेक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को ही उपलब्ध थी।

5) भारतीय कंपनियों के एडीआर/जीडीआर निर्गमों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान की शुरुआत की गयी है। यह, जहां कहीं लागू हो, क्षेत्रीय अधिकतम सीमाओं के अधीन होगी। भारत में स्टॉक दलाल अब उस सीमा तक विदेशी खज़ानों के एडीआर/जीडीआर के निर्गम के लिए शेयर खरीद कर भारतीय कस्टोडीयन के पास जमा कर सकते हैं जिस सीमा तक एडीआर/जीडीआर अंडरलायिंग शेयरों में परिवर्तित कर दिये गये हैं।

6) भारतीय कंपनियाँ अब अपने पास रखे शेयरों पर, विदेशी खज़ानों पर, जो इस विकल्प का लाभ लेना चाहते हैं, के साथ एडीआर/जीडीआर प्रायोजित कर सकती हैं। निर्गम मूल्य, निर्गमों के लीड मैनेजर द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और निर्गमों से होनेवाली आय एक माह के भीतर वापस लायी जानी होगी। प्रायोजित कंपनी को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के निर्गम के लिए योजना तथा सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट प्रणाली के माध्यम से) योजना 1993 तथा इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

7) पंजीकृत भागीदारी फर्मों द्वारा विदेशी निवेशों पर लगे प्रतिबंध हटा दिये गये हैं। कतिपय विशेष व्यावसायिक सेवाएं जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंसी, विधि सेवाएं, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा मनोरंजन सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाएं देनेवाली भागीदारी फर्में अब विदेश में इसी तरह की गतिविधि में लगी विदेशी कंपनियों द्वारा स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एक मिलियन डालर तक निवेश कर सकेंगी। इस तरह के निवेशों में एक मिलियन डालर से अधिक के निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

8) भारतीय कर्मचारी जिन्हें विदेशी स्वामित्व की कंपनियों में ईएसओपी योजनाओं का लाभ मिलता है, अब 20,000 अमेरिकी डालर प्रति वर्ष तक निवेश कर सकते हैं। इससे पहले यह सुविधा 5 वर्ष की अवधि के एक ब्लॉक के लिए 10,000 अमेरिकी डालर की सीमा तक ही उपलब्ध थी।

9) विदेशी संस्थागत निवेशक अब पोर्टफोलिओ निवेश मार्ग के अंतर्गत कंपनी की चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत तक कंपनी में निवेश कर सकते हैं। इसे विशेष संकल्प द्वारा शेयर धारकों की साधारण सभा के अनुमोदन द्वारा 40 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं । अब यह सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत कर दी गयी है।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के मार्च 2001 अंक से साभार)

महत्वपूर्ण परिपत्र

शहरी बैंक विभाग

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथा संशोधित 25 जून 1987 के निदेश शबैंवि.सं.डीसी. 102/वी.1/86-87 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश के मौजूदा पैराग्राफ 21 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए :-

``21. निषेध

कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक-

(क) देशी मीयादी जमाराशियों पर अदा किये गये ब्याज की दर के संबंध में एक ही तारीख को स्वीकार की गयी तथा एक ही अवधिपूर्णता वाली किन्हीं दो जमाराशियों के बीच भेद-भाव नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गयी हों या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों। परंतु 15 लाख रुपये और अधिक की एकल मीयादी जमाराशियां अपवाद होंगी, जिन पर जमाराशि की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर ब्याज की अलग-अलग दरों की अनुमति दी जायेगी :

(i) उसी अवधिपूर्णता की जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश की अनुमति 15 लाख रुपये और अधिक की देशी मीयादी जमाराशियों पर लागू होगी। अतः बैंक 15 लाख रुपये और अधिक की ऐसी मीयादी जमाराशियों के लिए ऐसी ब्याज दर की या अलग ब्याज दरों की पेशकश कर सकते हैं। उसी अवधिपूर्णता की 15 लाख रुपये से कम की जमाराशियों के लिए वही दर लागू होगी।

(ii) बैंकों को उन जमाराशियों सहित, जिन पर अलग ब्याज दर देय होगी, विभिन्न जमाराशियों पर देय ब्याज दरें/दरों की **अनुसूची** पहले से दर्शानी चाहिए। बैंक द्वारा दी गयी ब्याज अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) निम्नलिखित के सिवाय किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशियों पर **दलाली** अदा नहीं करेगा-

(i) किसी विशेष योजना के अंतर्गत द्वार-द्वार जाकर जमाराशियां एकत्र करने के लिए एजेंटों को अदा किया जानेवाला कमीशन;

(ii) स्टाफ सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रोत्साहन।

(ग) किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशियां जुटाने अथवा जमाराशियों से संबद्ध उत्पादों को **पारिश्रमिक** की अदायगी या शुल्क या किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से कमीशन के भुगतान पर नियुक्त नहीं करेगा/नहीं लगायेगा, सिवाय उक्त के खंड (ख) के उप खंड (i) में अनुमत सीमा के।

2. समय-समय पर यथा संशोधित 25 जून 1987 के निदेश शबैंवि.सं.डीसी.102/वी-1/86-87 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(संदर्भ : शबैंवि. सं. डीएस. डीआइआर. 3/13.01.00/2000-2001 दिनांक, 03 जनवरी 2001)

मुद्रा प्रबंध विभाग

करेंसी चेस्ट लेखांकन

हम सूचित करते हैं कि कुछ बैंकों ने हमसे अनुरोध किया है कि उनकी **करेंसी अंतरण समायोजन** रिपोर्टों को स्वीकार करने की समयावधि को बढ़ाया जाए, ताकि आगामी कार्यदिवस पर अधिकाधिक करेंसी चेस्ट लेनदेनों के समायोजन में सुविधा रहे। अभी इस समय हमारे कार्यालय इस प्रयोजन से अलग-अलग समयावधि का पालन करते हैं। इस मामले की जाँच केंद्रीय कार्यालय में की गई। करेंसी चेस्ट लेखांकन के लिए संशोधित साफ्टवेयर पैकेज की शुरुआत को देखते हुए आप कृपया बैंकिंग घण्टे पूरे होने के दो घण्टे पहले तक या इसके थोड़ा बाद में भी करेंसी चेस्ट विवरणियाँ स्वीकार कीजिए, बशर्ते इससे जमा लेखा विभाग में खाता बहियों की क्लोजिंग में देरी न हो। सभी लिंक कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाए।

इसके अलावा यह भी पाया गया है कि हमारे कुछ कार्यालयों द्वारा संबंधित लिंक कार्यालयों/करेंसी चेस्टों को विलंबित गलत रिपोर्टिंग की **विसंगतियां** दो माह की अवधि के भीतर सूचित नहीं की जाती हैं, जबकि निर्गम विभाग नियमपुस्तिका के अध्याय X के पैराग्राफ 19 और 20 में ऐसी अपेक्षा नहीं की गई है। कई मामलों में तो बैंकों द्वारा स्वयं ही विसंगतियों को दूर कर लेने के बाद लेखा अनुभाग को सूचित कर दिया गया, लेकिन कार्यालयों द्वारा **सुधारात्मक उपाय** नहीं किए गए। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में कुछ बैंकों से तो एकाध वर्ष के विलंब के बाद दण्डात्मक ब्याज की भारी राशि

भी वसूल की गई। इस पर इन बैंकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके **शीर्षस्थ कार्यपालकों** के समक्ष स्थिति का स्पष्टीकरण देने में केंद्रीय कार्यालय को अत्यधिक असमंजस का सामना करना पड़ा। अतएव, यह निर्णय किया गया है कि यदि हमारा कोई कार्यालय किसी करेंसी चेस्ट द्वारा भेजे गए अंतरण विवरणों/ करेंसी चेस्ट स्लिपों में गलत/विलंबित रिपोर्टिंग की विसंगतियों का उल्लेख करने और सम्बध्द करेंसी चेस्ट के खातों का मिलान तीन माह के भीतर करने में असफल रहता है, तो बैंकों को देर से डेबिट/क्रेडिट देने के कारण रिज़र्व बैंक को होनेवाली हानि के लिए उत्तरदायी सम्बध्द स्टाफ के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए आप कृपया प्रत्येक करेंसी चेस्ट के करेंसी चेस्ट लेनदेनों के **मिलान** की स्थिति की जानकारी सम्बध्द लिंक कार्यालयों को तिमाही आधार पर देते रहें और एक माह के भीतर उनसे इसकी पुष्टि कराते रहें।

जहाँ तक दण्डात्मक ब्याज की वसूली का सम्बन्ध है तो हम सूचित करते हैं कि यदि करेंसी अंतरण लेनदेन की वजह से प्रत्येक चूक के लिए दण्ड की राशि 100 रुपये से कम बनती हो तो इसकी वसूली न की जाए। तथापि, यदि किसी अनियमितता के कारण चेस्ट के बैलेंस में कोई कमी आई है तो दण्डात्मक ब्याज वास्तविक आधार पर लिया जाए, बशर्ते कम पड़ रही राशि 1000/- रुपये या अधिक हो। इसके अलावा, हम 10 अक्तूबर 1998 के परिपत्र मुप्रवि.सं.जी.8/ 03.35.01/98-99 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और सूचित करते हैं कि बैंक - अनुसार और करेंसी चेस्ट तथा एसटीओ-अनुसार एक छमाही विवरण भी केंद्रीय कार्यालय को भिजवाया जाए जिसमें कमी/गलत या विलंबित रिपोर्टिंग में निहित राशि, और इस पर वसूले गए दण्डात्मक ब्याज का उल्लेख हो; यह विवरण प्रत्येक छमाही अर्थात जून और दिसंबर के बाद के माह की 20 तारीख तक भिजवा दिया जाए। कृपया ध्यान दीजिए कि दण्डात्मक ब्याज के बारे में केंद्रीय कार्यालय को कोई और विवरण नहीं भिजवाया जाए।

(संदर्भ:डीसीएम.सं.जी-44/03.22.01/2000-01 दिनांक, 8 मार्च 2001)

निर्गम विभाग–खज़ाने का प्रेषण–सड़क आवागमन जिसमें रात्रिकालीन यात्रा शामिल है

जैसा कि आप जानते ही हैं, संसाधनों के परिचालन की वर्तमान गहन देखरेख के सम्बन्ध में धनराशियों का सहज और तेज आवागमन भी अत्यधिक जरूरी है, अत: सड़क मार्ग से धन का विप्रेषण न केवल अपरिहार्य हो गया है बल्कि इसे सकारात्मक प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। अलबत्ता सुरक्षा कारणों से कतिपय मापदंडों को भी अपनाया जाए। इसी कारणवश क्षेत्रीय कार्यालयों को सड़क मार्ग से धनराशियाँ भेजने की अनुमति दी गयी थी बशर्ते **गंतव्य** चेस्ट/डिपो बहुत दूर न हों, रात में यात्रा नहीं करनी पड़ती हो और 21 फरवरी 1986 के हमारे परिपत्र मुप्रवि.सं.परि.सं. 157/आरटी (1)/85-86 के पैराग्राफ 2(i) में निर्धारित दिशानिदेशों का अनुपालन किया गया हो। प्रारंभ में इस व्यवस्था की अनुमति एक वर्ष के लिए दी गयी थी। इसके बाद, स्थिति की समीक्षा करने के बाद 5 अक्तूबर 1988 के हमारे परिपत्र मुप्रवि.सं. 22/आरटी (i)88-89 के माध्यम से इसे स्थायी आधार पर लागू किया गया।

2. रेलवे वैगन की अनुपलब्धता/ लगातार कमी के कारण कई बार क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे काफी दूर स्थित स्थानों पर रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों/ बाहरी चेस्टों/ डिपो को सड़क मार्ग से धन का विप्रेषण करें, जिसमें खज़ाना भेजने वाले कार्यालय और गंतव्य स्थानों के बीच काफी दूरी होने के कारण रात्रिकालीन यात्रा भी करनी पड़ती है। केंद्रीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालयों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं कि उन्हें उस स्थिति में भी सड़क मार्ग से धन प्रेषण की अनुमति दी जाए, जब रात्रिकालीन यात्रा भी निहित हो, क्योंकि खज़ाने के तीव्र और सहज आवागमन के लिए यह जरूरी हो गया है।

3. सभी परिस्थितियों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों को रात्रिकालीन यात्राओं की स्थिति में भी सड़क मार्ग से धन विप्रेषण की अनुमति दी जाए बशर्ते जिन क्षेत्रों से विप्रेषण जाएगा, वे पूर्णतया जोखिम रहित हों, सड़क की हालत अच्छी हो और प्रेषण के दौरान पुलिस रक्षकों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सुरक्षा के सभी उपाय/**पूर्वसावधानियाँ** जरूरी हैं और धन विप्रेषण करने से पूर्व इन्हें उसी प्रकार सुनिश्चित किया जाए जैसे अब तक किया जाता था।

4. हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने हमें सूचित किया है, कि रात्रिकालीन यात्रा की स्थिति में सड़क मार्ग से धन विप्रेषण पर स्थानीय कर्मचारी संघटनों ने विरोध प्रकट किया है। अत: प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग के परामर्श से इस मामले की जाँच की गई। यह देखते हुए कि यह मामला निर्गम विभाग के परिचालनगत क्षेत्रों से संबंधित है, यदि इस विषय में वे कोई विरोध प्रकट करते हैं तो आप संगठनों की स्थानीय इकाइयों को मौखिक रूप से स्पष्ट कर दें कि इन विप्रेषणों की व्यवस्था करने की जरूरत है।

5. उपर्युक्त अनुदेश तत्काल लागू होंगे।

(संदर्भ : डीसीएम. आर एम एम टी सं. परि. जी. 46/ 11.65.01/2000-01 दिनांक, 9 मार्च 2001)

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
शैक्षणिक ऋण योजना

वित्तमंत्री महोदय ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ 13 जून 2000 को आयोजित बैठक में निर्धन परंतु प्रतिभाशाली छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुविधा प्रदान करने में वाणिज्य बैंकों की भूमिका पर रोशनी डाली। इसके अनुसरण में भारतीय बैंक संघ ने केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आर. जे. कामथ की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया ताकि मामले की विस्तृत रूप से जांच की जा सके। अध्ययन दल की सिफारिश के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने एक माडल व्यापक शैक्षणिक ऋण योजना तैयार की है जिसे सभी बैंकों में कार्यान्वित करना है। योजना का उद्देश्य भारत अथवा विदेश में उच्चतर शिक्षा पाने के काबिल/प्रतिभाशाली छात्रों को बैंकिंग तंत्र द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2001-2002 के केंद्रीय बजट में की गयी थी और वित्त मंत्री महोदय ने बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ आयोजित दिनांक 7 अप्रैल 2001 की बैठक में चर्चा की थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गयी मॉडल योजना पर विचार किया है और उसे निम्नलिखित संशोधनों के साथ कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है।

i) अंतिम परीक्षा में न्यूनतम **अर्हक अंकों** की शर्त समाप्त कर दी जाए।

ii) 4 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए मार्जिन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तथापि, उससे ज्यादा राशि के मामलों में स्वदेश में अध्ययन के लिए 5% और विदेश में अध्ययन के लिए 15% की मार्जिन अपेक्षा रहेगी।

iii) 4 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसी भी प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तथापि, अधिक राशि के ऋणों के लिए यथोचित कीमत की **संपार्श्विक प्रतिभूति** अथवा किस्तों के भुगतान हेतु छात्र की भावी आय के निर्धारण के साथ माता-पिता/अभिभावक/तृतीय पक्ष की सह-बाध्यता इकरारनामा प्राप्त किया जाना चाहिए।

iv) 4 लाख रुपये तक के ऋण बैंक के मूल उधार दर से अनधिक ब्याज दर पर प्रदान किये जायें। 4 लाख रुपयों से अधिक राशि के ऋण पर मूल उधार दर + 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर प्रभारित किया जा सकता है।

3. तदनुसार, भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गयी मॉडल योजना की प्रतिलिपि हम इसके साथ भेज रहे हैं। बैंकों से अनुरोध है कि वे उक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट (i) से (iv) तक के संशोधनों के साथ योजना यथाशीघ्र कार्यान्वित करें ताकि इसके फायदे छात्रों को इस शैक्षिक सत्र से ही मिलना शुरू हो जाए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रेषित दिनांक 31 जुलाई 1999 के परिपत्र ग्राआऋवि. एसपी. बीसी. 10/09.07.01/99-2000 के अंतर्गत परिचालित योजना को हटाते हुए नहीं बल्कि उस योजना से अलग और उसके अतिरिक्त तैयार की गयी है।

(संदर्भ:ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.83/06.12.05 / 2000-01 दिनांक, 26 अप्रैल 2001)

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

कृपया गवर्नर के दिनांक 19 अप्रैल 2001 के पत्र मौनीवि/बीसी/206/07.01.279/2000-2001 के साथ संलग्न, वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक और ऋण नीति से संबंधित वक्तव्य के पैरा 67 से 69 तक के अंशों का अवलोकन करें।

2. तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर पर उच्चतम सीमा निर्दिष्ट कर दी जाए जो अलग-अलग बैंकों की मूल उधार दरों से जुड़ी होंगी जिन पर वे अपने अन्य देशी उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं तथा बैंकों को यह स्वतंत्रता दे दी जाये कि वे उच्चतम ब्याज दर सीमा के अंतर्गत उधारकर्ताओं से ली जानेवाली वास्तविक ब्याज दर स्वयं निश्चित करें। 4 मई 2001 तक लागू रहनेवाली वर्तमान ब्याज दरों के साथ, 5 मई 2001 से लागू होनेवाली **संशोधित** ब्याज दरों का विवरण इस परिपत्र के साथ संलग्न दिनांक 19 अप्रैल 2001 के निदेश डीबीओडी सं.बीसी/101/13.07.01/2001 के अनुबंध में दिया गया है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यात ऋण की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न टाइम बकेट्स के लिए उच्चतम ब्याज दरें निश्चित करते समय बैंकों को उस श्रेणी के अंतर्गत दिए गए निर्यात ऋण के सम्पूर्ण अंश के लिए लागू मूल उधार दर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा चूँकि ये उच्चतम ब्याज दरें हैं, अत: बैंक उच्चतम ब्याज दर से नीचे कोई भी ब्याज दर लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. ब्याज दरों में संशोधन केवल नये ऋणों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान ऋणों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा।

5. इसलिए आप उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए निर्यात ऋणों के लिए 5 मई 2001 से लागू की जानेवाली उच्चतम ब्याज दर निश्चित करें तथा अपनी शाखाओं को आवश्यक

दिशानिर्देश जारी करें। आप अपनी शाखाओं को जो परिपत्र जारी करें, उसकी प्रतिलिपि हमारी सूचना और रिकार्ड के लिए हमें भी अवश्य भेजें।

(संदर्भ : औनिऋवि. सं. 13/04.02.01/2000-2001 दिनांक, 19 अप्रैल 2001)

विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

गवर्नर के दिनांक 19 अप्रैल 2001 के पत्र मौनीवि./बीसी/206/07.01.279/2000-01 के साथ संलग्न वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक और ऋण नीति विषयक वक्तव्य का पैरा 70 देखें जो विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋणों के संबंध में है।

2. चूँकि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाराशियों पर उच्चतम दर लिबॉर / स्वैप दर + 50 **आधार बिन्दुओं** से घटाकर लिबॉर / स्वैप दर पर लायी जा रही है इसलिए यह निश्चय किया गया है कि निर्यातों के लिए बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले ऋणों पर उच्चतम दर संशोधित करके लिबॉर + 1.0 प्रतिशत बिन्दु कर दी जाए। तदनुसार बैंक निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋणों पर लिबॉर से एक प्रतिशत से अनधिक ब्याज दर पर ऋण दें तथा इसे तत्काल लागू किया जाए। 19 अप्रैल 2001 से लागू ब्याज दरों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

3. जिन मामलों में यूरो लिबॉर/यूरीबॉर को आधार के रूप में प्रयोग में लाया गया है, उनमें भी ब्याज दरों में उक्त प्रकार के परिवर्तन कर लिए जाएँ।

4. ब्याज दरों में किया गया संशोधन केवल नये अग्रिमों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा।

5. इस संबंध में आप अपनी शाखाओं को जो भी आंतरिक अनुदेश जारी करें उसकी एक प्रतिलिपि हमारी सूचना और रिकार्ड के लिए हमें भी भेजें।

(संदर्भ : औनिऋवि. सं. 14/04.02.01/2000-2001 दिनांक, 19 अप्रैल 2001)

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

पूंजी संबंधी नया बासले समझौता परामर्शदायी दस्तावेजों का दूसरा सेट

आपको विदित ही है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासले समिति ने `पूंजी पर्याप्तता के नये ढांचे' के संबंध में जून 1999 में एक परामर्शदायी पेपर जारी किया है। यह पूंजीगत उपायों और पूंजीगत मानकों को अंतर्राष्ट्रीय **समाभिरूपता** के बारे में 1988 के समझौते के स्थान पर लाने के उद्देश्य से था। उक्त समिति ने रुचि रखने वाली सभी पार्टियों से नये ढांचे पर मार्च 2000 तक विचार मांगे थे। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने अपने **अभिमत** मार्च 2000 में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासले समिति को भेज दिये थे। ये अभिमत एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने के अलावा 27 अप्रैल 2000 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी रखे गये थे।

2. बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासले समिति ने अब परामर्शदायी दस्तावेजों का नया सेट जारी करके परामर्श का दूसरा दौर शुरू किया है। इन दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बी आइ एस) की साइट www.bis.org से डाउनलोड किया जा सकता है। समिति ने इन दस्तावेजों पर अभिमत अधिक से अधिक 31 मई 2001 तक मांगे हैं। समिति वर्ष 2001 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दे देना चाहती है और यह अभिकल्पना की गयी है कि नया समझौता सदस्यों के कार्यक्षेत्र में 2004 में कार्यान्वित हो जायेगा।

3. नया बासले पूंजी समझौता प्रस्तावित रूप में वर्तमान समझौते की तुलना में काफी जटिल है। इसके कार्यान्वयन से बैंकों के सामने बहुत अधिक चुनौतियां आयेंगी। नये समझौते को अपनाने के लिए बैंकों को अपनी प्रबंध सूचना प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और स्टाफ की प्रौद्योगिकीय निपुणता (टेक्निकल स्किल) को काफी उन्नत बनाना होगा। इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे परादर्शदायी दस्तावेजों का अध्ययन करें और इस संबंध में अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। बैंकों से यह भी अनुरोध है कि परामर्शदायी दस्तावेजों में दिये गये विभिन्न प्रस्तावों के बारे में यदि कोई अभिमत हो तो वे रिज़र्व बैंक को अधिक से अधिक 01 मार्च 2001 तक प्रस्तुत कर दिये जायें। प्रस्तावित ढांचे के बारे में रिज़र्व बैंक के अभिमतों को अंतिम रूप देने से पहले बैंकों के विचारों पर विचार किया जायेगा।

(संदर्भ : बीपी.एससी.बीसी. 75/21.04.118/2000-01 दिनांक, 02 फरवरी 2001)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय

बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के विनियमित से गैर-विनियमित प्रणाली में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच अधिक प्रभावशाली समन्वय का मुद्दा, विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित उच्च मूल्य की परियोजनाओं के संदर्भ में देरी से बचने और सामान्य समस्याओं का बेहतर हल प्रदान करने के उद्देश्य से, पिछले कुछ समय से वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और रिज़र्व बैंक का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस संबंध में गवर्नर द्वारा भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष सहित चुने हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों की अनौपचारिक बैठकें आयोजित की गयीं ताकि बैंकों और वित्तीय

संस्थाओं के साझा हित के मुद्दों का पता लगाया जा सके और उन पर बातचीत की जा सके। इन बैठकों में निम्नलिखित सात मुद्दे उभर कर आये :

(क) सुविधाएं मंजूर करने के लिए समय-सीमा;
(ख) सहायता संघीय सदस्यों के बीच आस्ति वर्गीकरण;
(ग) ऋणकर्ताओं को अनुशासित करना - प्रबंधन में परिवर्तन;
(घ) समस्या वाले खातों पर प्रभार लगाना;
(ङ) ऋणकर्ताओं के प्रति **समूह दृष्टिकोण**;
(च) प्रतिभूतियों और नकदी प्रवाह की हिस्सेदारी; और
(छ) आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए पुनर्व्यवस्थित खातों का व्यवहार

पहले छह मुद्दों पर उपर्युक्त बैठकों में हुई **सर्वसम्मति** दर्शानेवाला एक अनौपचारिक नोट बैठक के सहभागियों के बीच परिचालन/चर्चा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस उद्देश्य से भेजा गया था कि वे ऐसी सर्वसम्मति बनायें जो उक्त छह मुद्दों पर **आधार नियमों** के रूप में हो। हम इसके साथ 24 जनवरी 2001 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आयोजित चुने हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बैठक के कार्यविवरण की प्रति भेज रहे हैं जिसमें उक्त छह मुद्दों पर सहभागियों द्वारा सहमत आधार नियम दर्शाये गये हैं। इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को हमारे द्वारा भेजे गये अनौपचारिक नोट की प्रति भी आपकी सूचना के लिए संलग्न है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सहमत आधार नियम दर्शानेवाला कार्यविवरण अपनाने के लिए अपने बैंक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखें और उसके बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। किन्तु उक्त (ख) पर दी गयी मद अर्थात् `सहायता संघीय सदस्यों के बीच आस्ति वर्गीकरण' (24 जनवरी 2001 को हुई बैठक के कार्यविवरण का पैरा 2) के संदर्भ में बैंक वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन जारी रखेंगे। चूंकि ये आधार नियम बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच व्यापक विचार-विमर्श और चर्चा के बाद तैयार किये गये हैं और सर्वसम्मति के द्योतक हैं जो सभी बैंकों / संस्थाओं और अर्थव्यवस्था के हित में है, अतः अनुरोध है कि प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर इन नियमों को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाये।

3. जहां तक `आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए पुनर्व्यवस्थित खातों के **विनियामक व्यवहार**' से संबंधित मुद्दे का संबंध है, इस मामले की हम जांच कर रहे हैं तथा शीघ्र ही अनुदेश दिये जायेंगे।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.82/21.04.48/2000-01 दिनांक, 26 फरवरी 2001)

मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति – बीमा कंपनियां

कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 फरवरी 2001 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/24.103.001/2000-01 देखें। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मांग / सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की मांग मुद्रा तथा 14 दिन सहित 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्प सूचना मुद्रा) एवं बिल पुनर्भुनाई योजना में केवल ऋणदाता के रूप में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त संस्था का नाम शामिल कर अनुदेश मैनुअल खंड I - भाग II के पैराग्राफ 22.6 के अनुबंध I के भाग `ख' और अनुबंध II में संशोधन किये जायें।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 85/24.103.001/2000-01 दिनांक, 1 मार्च 2001)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) संबंधी व्यय–लेखाकरण और विवेकपूर्ण विनियामक निरूपण

कृपया 30 जनवरी 2001 और 7 मार्च 2001 के परिपत्र क्रमशः बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73 और 87/21.04.018/2000-01 द्वारा जारी हमारे पहले के अनुदेश देखें। इस विषय में प्राप्त कुछ संदर्भों से यह देखा गया है कि बैंक कतिपय मामलों में, प्रशासनिक कारणों से, निर्दिष्ट समय के भीतर वी आर एस आवेदनपत्रों को स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में इस वर्ष के लेखों में प्रावधान करने की जरूरत नहीं है।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/21.04.018/2000-01 दिनांक, 22 मार्च 2001)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में की गयी कमी के स्थान पर सिडबी / नाबार्ड के पास रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार

जैसाकि आप जानते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे कृषि क्षेत्र के ऋण संबंधी **उप–लक्ष्य** में रह गयी कमी को शुध्द बैंक ऋण के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन कमी के बराबर राशि आरआइडीएफ, नाबार्ड में स्थापित, में जमा करके पूरा करें। इसी तरह, विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण के लक्ष्य में रह गयी कमी को कमी के बराबर राशि सिडबी में जमा करके पूरा करें।

2. 31 अक्तूबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.002/98-99 के पैराग्राफ 2(घ)

(क्रम सं. 8) के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, सिडबी / नाबार्ड सहित, पर दावों को 20% का जोखिम भार दिया जाना था। अब यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में रह गयी कमी के बदले नाबार्ड / सिडबी के पास रखी जानेवाली सभी जमाराशियों पर 100% जोखिम भार लगाया जायेगा क्योंकि ये जमाराशियां उन आस्तियों में रह गयी कमी के स्थान पर रखी गयी हैं जिनमें 100% जोखिम भार लगाया जाता है।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/21.01.002/2000-01 दिनांक, 22 मार्च 2001)

विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत में एसोसिएशनों / संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान प्राप्त करना

कृपया आप 01 फरवरी 2001 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 74/21.01.023/2000-01 देखें, जिसमें सुनिश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में लगे सभी संगठनों को (राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर) भूकंप के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना विदेशी अभिदान प्राप्त करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(1-ए) के उपबंधों से तत्काल प्रभाव से और 31 मार्च 2001 तक भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्रदान करने की सूचना बैंकों को दी गयी है।

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्थिति का मूल्यांकन करने और गुजरात के विभिन्न भागों में भूकंप के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विदेशी अभिदान की प्राप्ति और उसके उपयोग पर विशेष नजर रखने की दृष्टि से सरकार ने यह अपेक्षा की है कि सभी वाणिज्य बैंक अपनी शाखाओं को अनुदेश दें कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्राप्ति निधियों के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया करें।

3. यह मासिक रिपोर्ट अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग, नयी दिल्ली को सीधे भेजी जाया करे।

(संदर्भ : सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 92/21.01.023/2000-01 दिनांक, 22 मार्च 2001)

मूल बैंक के तुलन-पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के संबंध में तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट संलग्न करना

कृपया 10 अक्तूबर 2000 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 31/21.04.048/00-01 का पैराग्राफ 3 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्च 2001 में समाप्त वर्ष से प्रारंभ करके अपने स्वयं के तुलन-पत्रों के साथ अपनी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी का तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट भी संलग्न करनी चाहिए।

2. सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने हमसे संपर्क कर अनुषंगी कंपनियों के तुलन-पत्र आदि संलग्न किये जाने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण मांगे हैं। हमने इस विषय की जांच की है और निम्नप्रकार निर्णय किया गया है :

i) मूल बैंक अपने तुलन-पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के केवल वार्षिक लेखे तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न करे।

ii) अनुषंगी कंपनियों के संदर्भ में निदेशकों की रिपोर्ट मूल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा जो लोग उसे प्राप्त करना चाहें, उन्हें उनके अनुरोध पर वह मूल बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाये।

iii) उपर्युक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जानी चाहिए जब तक कि बैंक **समेकित** तुलन-पत्र प्रणाली अपना नहीं लेता।

iv) जो संस्थाएं बैंकिंग अनुषंगी कंपनियां हैं उनका लेखा वर्ष सामान्यत: मूल बैंक के लेखा-वर्ष के साथ ही समाप्त होने वाला होना चाहिए और इसलिए मूल बैंक के तुलन-पत्र के साथ संलग्न ऐसी अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखों की तारीख मूल बैंक के वार्षिक लेखों की तारीखों के साथ मेल खानी चाहिए। मूल बैंक के लेखा-वर्ष से भिन्न लेखा-वर्ष वाली अनुषंगी कंपनियों के संदर्भ में संलग्न किये गये वार्षिक लेखे मूल बैंक के वार्षिक लेखों की तारीख से छ: महीने पूर्व की तारीख से पहले के नहीं होने चाहिए।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.04.018/2000-01 दिनांक, 28 मार्च 2001)

भारत स्थित संघों / संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करना

कृपया आप 01 फरवरी 2001 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 74/21.01.023/2000 देखें, जिसमें गुजरात के भूकम्प पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाले सभी संघों (राजनीतिक दल को छोड़कर) को विदेशी अभिदान स्वीकार करने हेतु तत्काल प्रभाव से तथा 31 मार्च 2001 तक उक्त अधिनियम की धारा 6(1-ए) के उपबंधों से छूट केन्द्र सरकार से औपचारिक

अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रदान करने की सूचना बैंकों को दी गयी है।

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अपनी 28 मार्च 2001 की अधिसूचना सं. II/21022/11(4)/2000-एफसीआरए I द्वारा उक्त छूट, मौजूदा शर्तों पर, 31 मार्च 2001 से और दो महीने अर्थात् 31 मई 2001 तक के लिए बढ़ा दी है।

3. आपसे अनुरोध है कि इस मामले में अपनी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश तत्काल जारी करें।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 97/21.01.023/2000-01 दिनांक, 29 मार्च 2001)

पुनर्व्यवस्थित खातों का व्यवहार

कृपया आप 26 फरवरी 2001 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 82/21.04.048/2000-01 का पैराग्राफ 3 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि पुनर्व्यवस्थित खातों के विनियामक व्यवहार के संबंध में अनुदेश शीघ्र ही दिये जायेंगे। इस बीच इस मामले की जांच कर ली गयी है तथा हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं।

2. हमारे 24 अप्रैल 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.01.002/99 के साथ पठित 27 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04.043-92 के अनुसार बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि जहां ब्याज और **मूलधन** के संबंध में ऋण करार की शर्तें उत्पादन शुरू होने के बाद बातचीत से पुन: तय की गयी हैं या पुन: निर्धारित की गयी हैं वहां मानक आस्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उसे बातचीत से पुन: तय या पुन: निर्धारित शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन के कम से कम एक वर्ष के लिए ऐसी श्रेणी में बने रहना चाहिए। **अवमानक** और **संदिग्ध आस्तियों** के मामले में भी पुन: निर्धारण किसी बैंक को अग्रिम की गुणवत्ता का दर्जा स्वत: बढ़ाने के लिए तब तक पात्रता प्रदान नहीं करता जब तक कि पुन: निर्धारित / बातचीत से पुन: तय शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन न हो। साथ ही, 10 मई 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/99 के अनुसार, उन मामलों में जहां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू तो हो गया है परंतु वह स्थिर नहीं हुआ है, इस बात का निर्णय बैंकों के निदेशक बोर्ड पर छोड़ दिया गया था कि ऋण के पुन: निर्धारण की जरूरत है या नहीं और उसमें दी गयी कतिपय शर्तों पर ऋण को मानक आस्ति के रूप में मानें या नहीं। तथापि, हमें इस बात का अभ्यावेदन किया गया है कि भले ही शर्तों का संशोधन ऋणकर्ता से प्राप्य राशियों की चुकौती के आश्वासन को खतरे में नहीं डालता हो, फिर भी ऊपर बतायी गयी शर्तें मानक और अवमानक ऋण आस्तियों को पुनर्व्यवस्थित करने से बैंकों को रोकती हैं। अत: इस विषय में वर्तमान मानदंडों की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बी आइ एस) के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि मानक और अवमानक ऋण आस्तियों की शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करने / पुनर्निर्धारित करने / बातचीत से पुन: तय करने से संबंधित मानदंडों में नीचे के पैराग्राफों में दिये गये ब्यौरों के अनुसार कतिपय परिवर्तन किये जायें।

3. खातों की पुनर्व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित अवस्थाओं की पहचान की जा सकती है, जिनमें ऋण करार की शर्तों को पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / बातचीत से पुन: तय किया जा सकता है :

(क) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पूर्व,

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, परंतु आस्ति के अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पहले,

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद तथा जब आस्ति को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

ऊपर बतायी गयी तीनों अवस्थाओं में से प्रत्येक में, तैयार किये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के भाग के रूप में, **परित्याग** सहित या परित्याग के बिना, मूलधन और / या ब्याज का पुनर्निर्धारण आदि किया जा सकता है।

4. खातों का विवेकपूर्ण व्यवहार, शर्तों की पुनर्व्यवस्था / पुनर्निर्धारण / बातचीत द्वारा पुन: तय किये जाने के अधीन, निम्नलिखित मानदण्डों द्वारा शासित होगा :

4.1 पुनर्व्यवस्थित मानक खातों का व्यवहार

(क) पहली दोनों अवस्थाओं में से किसी अवस्था में सिर्फ मूल धन की किस्तों को पुनर्व्यवस्थित किये जाने से एक मानक आस्ति को अवमानक आस्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा, बशर्ते उधार / ऋण की सुविधा पूर्णत: जमानतयुक्त हो।

(ख) ऊपर बतायी गयी पहली दो अवस्थाओं में से किसी अवस्था में ब्याज को पुनर्व्यवस्थित किये जाने से किसी आस्ति का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में नहीं लाया जायेगा, बशर्ते ब्याज के मामले में वर्तमान मूल्य के रूप में मापी गयी परित्याग की राशि को, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाल दिया गया हो या उसके परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए किसी खाते के मामले में मूल ऋण करार के अनुसार भविष्य में देय ब्याज

को ऋणकर्ता की जोखिम श्रेणी के लिए उपयुक्त दर पर वर्तमान मूल्य (अर्थात् चालू मूल ऋण दर (पी एल आर) + ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए उपयुक्त ऋण जोखिम प्रीमियम) पर भुनाया जाना चाहिए तथा उसकी तुलना उसी आधार पर भुनाये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के अंतर्गत प्राप्त किये जाने के लिए प्रत्याशित देयराशियों के वर्तमान मूल्य से की जानी चाहिए।

(ग) यदि वर्तमान मूल्य के रूप में ब्याज की राशि में कोई परित्याग शामिल हो, जैसा कि उक्त `ख' में उल्लेख किया गया है, तो परित्याग की राशि को या तो **बट्टे खाते डाला** जाना चाहिए या त्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

4.2 पुनर्व्यवस्थित अवमानक खातों का व्यवहार

(क) मूलधन की किस्तों का ही पुनर्निर्धारण किये जाने मात्र से अवमानक आस्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहने के लिए पात्र होगी, बशर्ते उधार / ऋण की सुविधा पूर्णतः जमानतयुक्त हो।

(ख) ब्याज का पुनर्निर्धारण किये जाने से अवमानक आस्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र बनी रहेगी, बशर्ते ब्याज के मामले में वर्तमान मूल्य के रूप में मापी गयी त्याग की राशि, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाल दी गयी हो या उसके परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए किसी खाते के मामले में मूल ऋण करार के अनुसार भविष्य में देय ब्याज को ऋणकर्ता की जोखिम श्रेणी के लिए उपयुक्त दर पर वर्तमान मूल्य (अर्थात् चालू मूल ऋण दर + ऋणकर्ता की श्रेणी के लिए उपयुक्त ऋण जोखिम प्रीमियम) पर भुनाया जाना चाहिए तथा उसकी तुलना उसी आधार पर भुनाये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के अंतर्गत प्राप्त किये जाने के लिए प्रत्याशित देयराशियों के वर्तमान मूल्य से की जानी चाहिए।

(ग) यदि वर्तमान मूल्य के रूप में ब्याज की राशि में कोई परित्याग शामिल हो, जैसा कि उक्त `ख' में उल्लेख किया गया है, तो परित्याग की राशि को या तो बट्टे खाते डाला जाना चाहिए या त्याग की मात्रा तक के लिए **प्रावधान** किया जाना चाहिए। जिन मामलों में पिछले देय ब्याज को बट्टे खाते डालकर परित्याग किया गया हो उन मामलों में भी आस्ति को अवमानक आस्ति के रूप में माना जाना जारी रखा जाये।

उपर्युक्त 4.2 (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित जिन अवमानक खातों को मूल किस्त अथवा ब्याज की राशि के संबंध में से किसी भी रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् ब्याज अथवा मूलधन में से जो भी पहले देय हो, उसके भुगतान की तारीख से एक वर्ष के बाद ही उक्त अवधि के दौरान संतोषजनक निष्पादन होने पर मानक श्रेणी में उन्नत किये जाने के पात्र होंगे। पहले किये गये प्रावधान की राशि में से उपर्युक्त के अनुसार वर्तमान मूल्य के रूप में ब्याज की राशि के परित्याग के लिए प्रावधान की गयी राशि को घटाने के बाद बची राशि को भी एक वर्ष की अवधि के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

यदि इस एक वर्ष की अवधि के दौरान उक्त खाते का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहता है तो इस अवधि में उक्त अवमानक आस्ति का स्तर अपने वर्गीकरण में कम नहीं होगा। तथापि यदि उक्त एक वर्ष के दौरान संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रकट नहीं होता है तो उक्त पुनर्व्यवस्थित खाते का आस्ति वर्गीकरण पूर्व पुनर्व्यवस्थित अनुसूची के संदर्भ में यथा लागू विवेकसम्मत मानदंडों के द्वारा शासित होगा।

किन पर लागू होंगे

5. पुनर्व्यवस्थित करने आदि के पूर्ववर्ती मानदंड ऐसी आस्तियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के **अधिक्रमण** में जहां तक वे ऋण करार की शर्तों की पुनर्व्यवस्था/पुनर्निर्धारण/बातचीत से पुनः तय करने से संबंधित हैं, केवल मानक और अवमानक आस्तियों पर लागू होंगे। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित अन्य विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

6. मानदंडों में पूर्ववर्ती परिवर्तन केवल उस मानक और अवमानक खातों पर ही लागू होंगे, जिनकी शर्तों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और उसके बाद पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्निर्धारित/बातचीत से पुनः तय किया जाना है।

प्रकटीकरण

7. बैंकों को `खातों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत अपने प्रकाशित वार्षिक लेखों में भी वर्ष के दौरान की गयी पुनर्व्यवस्था आदि के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकट करनी चाहिए :

- पुनर्व्यवस्थित आदि की जाने वाली ऋण आस्तियों की कुल राशि;
- पुनर्व्यवस्थित आदि की जाने वाली मानक आस्तियों की राशि; और
- पुनर्व्यवस्थित आदि की जाने वाली अवमानक आस्तियों की राशि।

सामान्य

8. पुनर्व्यवस्थित आदि किये जाने वाले और उक्त पैराग्राफ 4 के अंतर्गत आने वाले सभी मानक और अवमानक खाते ऋणदाताओं द्वारा उनके सामान्य नीतिगत मानदंडों

और पात्रता मानकों के अनुसार निधि की आवश्यकताओं के नये वित्तपोषण के लिए पात्र बने रहेंगे।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.04.048/2000-01 दिनांक, 30 मार्च 2001)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 4 नवंबर 2000 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/2000-01 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और **समीचीन** है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि :

(i) उपर्युक्त निदेश के अनुबंध I को संशोधित अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त निदेश के पैराग्राफ 22 के खंड (ग) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

``(ग) विशिष्ट तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनायी गयी सावधि जमा योजनाओं को छोड़कर जिन पर किसी भी मात्रा में सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर और नियत ब्याज दरें दी जा सकती हैं तथा 15 लाख रुपये और अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों को छोड़कर जिन पर जमाराशियों की मात्रा के आधार पर ब्याज की अलग-अलग दरों की अनुमति दी जा सकती है, अन्य जमाराशियों पर अदा किये जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में एक ही तारीख को स्वीकार की गयी तथा एक ही अवधिपूर्णता वाली किन्हीं दो जमाराशियों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गयी हों या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों। अलग-अलग ब्याज दरें देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :

(i) उसी अवधिपूर्णता की जमाराशियों पर अलग-अलग दरें देने की अनुमति 15 लाख रुपये और उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों पर लागू होगी। अतः बैंक 15 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए वही ब्याज दर या अलग ब्याज दरें दे सकते हैं। उसी अवधिपूर्णता की 15 लाख रुपये से कम की जमाराशियों के लिए वही दर लागू होगी।

(ii) बैंकों को उन जमाराशियों सहित, जिन पर अलग ब्याज दर देय होगी, विभिन्न जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची पहले से प्रकट करनी चाहिए। बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।''

(iii) उक्त निदेश के पैराग्राफ 9 के खंड (i) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

``(i) बैंक, जमाकर्ता के अनुरोध पर, जमाराशि रखते समय जितनी अवधि की सहमति हुई थी उतनी अवधि पूरी होने के पहले मीयादी जमाराशि आहरित करने की अनुमति देगा। मीयादी जमाराशि के अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण के लिए अपनी स्वयं की दंडात्मक ब्याज दर निश्चित करने की बैंक को स्वतंत्रता होगी। बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ लागू दंडात्मक दर से भी अवगत कराना सुनिश्चित करेगा। तथापि, बैंक अपने विवेक पर व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों से इतर संस्थाओं द्वारा रखी गयी बड़ी जमाराशियों के अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। परंतु बैंकों को पहले से, अर्थात् ऐसी जमाराशियां स्वीकार करने के समय से अवधिपूर्व आहरण की अनुमति नहीं देने की अपनी नीति की सूचना जमाकर्ताओं को देनी चाहिए।''

(iv) पैराग्राफ 11 का खंड (i) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

``(i) कोई बैंक अपने विवेक से अतिदेय जमाराशि या उसके किसी अंश का नवीकरण कर सकता है, बशर्ते अवधिपूर्णता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक (दोनों दिन मिलाकर) अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक नहीं हो तथा इस प्रकार नवीकृत जमाराशि की रकम पर देय ब्याज दर अवधिपूर्णता की तारीख को प्रचलित नवीकरण की अवधि के लिए ब्याज की उपयुक्त दर होगी। अतिदेय जमाराशियों के मामले में जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमाराशि की पूरी रकम या उसका कोई अंश नयी मीयादी जमाराशि के रूप में रखे, वहां बैंक इस प्रकार नयी जमाराशि के रूप में रखी गयी रकम पर अतिदेय अवधि के लिए अपनी स्वयं की ब्याज दरें निश्चित कर सकता है।''

4 नवंबर 2000 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/2000-01 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104/13.03.00/2000-01 दिनांक, 19 अप्रैल 2001)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह

निदेश देता है कि 4 नवंबर 2000 के रिज़र्व बैंक के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 48/13.03.00/2000-01 के अनुबंध I को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर लागू ब्याज दरें

(क) एक वर्ष और अधिक की जमाराशियों के संदर्भ में ब्याज संबंधित मुद्रा/अवधिपूर्णता के लिए लिबोर/अदला-बदली (स्वैप) दर की उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जाएगा। **अस्थिर दर** की जमाराशियों पर ब्याज संबंधित मुद्रा/अवधिपूर्णता के लिए अदला-बदली (स्वैप) दरों की उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जाएगा। अस्थिर दर की जमाराशियों के लिए ब्याज की पुनर्निर्धारण अवधि छः महीने होगी।

(ख) पिछले सप्ताह के अंतिम कामकाज के दिन विद्यमान लिबोर/अदला-बदली (स्वैप) दरें अगले सप्ताह में दी जानेवाली ब्याज दरों के लिए निश्चित की जानेवाली उच्चतम दरों का आधार बनेंगी।

(ग) बैंकों को यह विकल्प होगा कि वे विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां प्रदान करते समय किसी ऑन लाइन स्क्रीन आधारित सूचना प्रणाली में दी गयी चालू अदला-बदली (स्वैप) दरों को चुनें।

2. समय-समय पर यथा संशोधित 4 नवंबर 2000 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 48/13.03.00/2000-01 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 105/13.03.00/2000-01 दिनांक, 19 अप्रैल 2001)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, 29 अक्तूबर 1999 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/13.03.00/99 का अतिक्रमण करते हुए इसके द्वारा निदेश देता है कि 19 अप्रैल 2001 से कोई भी वाणिज्य बैंक अपने द्वारा प्रदत्त ऋणों/अग्रिमों/नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट अथवा दिये गये या उसके द्वारा नवीकृत किये जानेवाले वित्तीय निभाव अथवा मीयादी बिलों के बट्टे पर यहां अनुबंध में निर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज नहीं लगायेगा। अनुबंध में विनिर्दिष्ट ब्याज दरें तिमाही या इससे अधिक के अंतराल पर लगायी जायेंगी।

2. इस निदेश के प्रयोजन के लिए मीयादी ऋण से अभिप्राय ऐसे किसी भी ऋण से है, जिसकी चुकौती कम से कम तीन वर्ष की अवधि में की जायेगी।

3. इस निदेश में निहित कोई भी बात किसी वाणिज्य बैंक द्वारा निम्नलिखित को दिये गये या नवीकृत ऋणों या अग्रिमों या किये गये किसी अन्य **वित्तीय निभाव** पर लागू नहीं होगी :

(i) बैंक के पास रहनेवाली देशी/अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशि/जमाराशियों पर, बशर्ते जमाराशि/जमाराशियां उधारकर्ता के अपने नाम/उधारकर्ताओं के नामों पर हों अथवा उधारकर्ता के नाम अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो/हों,

(ii) किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्था को, तथा

(iii) अपने स्वयं के कर्मचारियों को।

4. चयनात्मक ऋण नियंत्रण की शर्त पर पण्यों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों से संबंधित अन्य सभी शर्तें समय-समय पर जारी किये गये निदेशों में निहित शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त बनी रहेंगी।

अनुबंध

वाणिज्य बैंकों के रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दरों का विन्यास

(ब्याज कर छोड़कर)

19 अप्रैल 2001 से लागू

ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)

सीमा की मात्रा	**वर्तमान** (मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम)	**संशोधित** (19 अप्रैल 2001 से लागू)
1. (क) 2 लाख रुपये सहित 2 लाख रुपये तक	मूल ऋण दर से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक	मुक्त	मुक्त #

2. (i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	मुक्त@	मुक्त@
(ii) शेयरों और डिबेंचरों/बांडों पर व्यक्तियों को ऋण	मुक्त@	मुक्त@
(iii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में न आनेवाले अन्य निजी ऋण	मुक्त@	मुक्त@
3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के लिए ऋण दर		
चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों पर दिये जानेवाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट	मुक्त	मुक्त
4. निर्यात-ऋण	4 मई 2001 तक विद्यमान	5 मई 2001 से संशोधित ($)
(1) पोतलदान पूर्व ऋण		
(क) (i) 180 दिन तक	10.0	मूल ऋण दर से अधिक नहीं घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	13.0	मूल ऋण दर से अधिक नहीं जोड़े 1.5 प्रतिशत अंक
(ख) भा. नि. ऋ. गा. निगम की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	10.0	मूल ऋण दर से अधिक नहीं घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(2) पोतलदान के बाद का ऋण	10.0 से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं
(क) मांग-बिल - **मार्गस्थ अवधि** के लिए (जैसाकि भा. वि. मु. व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है)		घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(ख) मीयादी बिल (निर्यात बिल की मीयादी अवधि, मार्गस्थ अवधि, जैसाकि भा. वि. मु. व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है और जहां लागू हो, वहां छूट अवधि को मिलाकर कुल अवधि)		
(i) 90 दिन तक	10.0 से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(ii) 90 दिन से अधिक और पोतलदान की तारीख से छः महीने तक	12.0	मूल ऋण दर से अधिक नहीं जोड़े 1.5 प्रतिशत अंक
(iii) भा. नि. ऋ. गा. निगम की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	10.0 से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(iv) अनाहरित शेष राशि पर (90 दिन तक)	10.0 से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय **प्रतिधारण धन** पर (केवल आपूरित भाग के लिए) (90 दिन तक)	10.0 से अधिक नहीं	मूल ऋण दर से अधिक नहीं घटाएं 1.5 प्रतिशत अंक
(3) आस्थगित ऋण 180 दिन से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त	मुक्त
(4) अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण		
(क) पोतलदानपूर्व ऋण	मुक्त	मुक्त
(ख) पोतलदान के बाद का ऋण	मुक्त	मुक्त
	वर्तमान (मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम)	संशोधित (19 अप्रैल 2001 से लागू)
5. विभेदक ब्याज दर अग्रिम	4.0	4.0
6. (क) बैंक के पास रहनेवाली देशी/अनिवासी विदेशी/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बशर्ते जमाराशि/जमाराशियां उधारकर्ता के नाम/उधारकर्ताओं के नामों पर	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र

	हों अथवा उधारकर्ता के नाम अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो/हों	
	(ख) **अंतिम हिताधिकारियों** और निविष्टि सहायता देनेवाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र
(ग)	अंतिम हिताधिकारियों को आगे ऋण देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र
7.	मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं में सहभागिता द्वारा कवर किये गये ऋण	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना पुनर्वित्त प्रदान करने वाली एजेंसियों की शर्तों के अनुसार ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली एजेंसियों की शर्तों के अनुसार ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र
8.	बिलों को भुनाना	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली एजेंसियों की शर्तों के अनुसार ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र	मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें लगाने के लिए स्वतंत्र

टिप्पणी :

1. मुक्त @ : बैंक मूल ऋण दर के संदर्भ के बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, ऐसे ऋणों के मामले में किसी रियायत की अनुमति देने का इरादा नहीं है, अत: बैंकों को मूल ऋण दर से कम ब्याज दर नहीं लगानी चाहिए, भले ही ऋण की राशि कुछ भी हो।
2. मुक्त : मूल ऋण दर और ब्याज अंतराल संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।
3. मुक्त # : बैंक निर्यातकों अथवा ऋण पात्रतावाले अन्य ऋणकर्ताओं, सरकारी उद्यमों सहित, को अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर मूल ऋण दर पर ऋण प्रदान कर सकते हैं।
4. मध्यवर्ती एजेंसियां परिशिष्ट में सूचित की गयी हैं।
5. $ चूंकि ये उच्चतम दरें हैं, अत: बैंक इन उच्चतम दरों के नीचे कोई भी दर लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

परिशिष्ट

मध्यवर्ती एजेंसियों की एक निदर्शनात्मक सूची

1. कमजोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन। `कमजोर वर्गों' में निम्नलिखित शामिल हैं :
   - (i) 5 एकड़ और कम की जोतवाले छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार और बंटाईदार।
   - (ii) कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, जहां व्यक्तिगत ऋण संबंधी अपेक्षाएं रु. 25,000/- से अधिक न हों।
   - (iii) लघु और सीमांत किसान, बंटाईदार, कृषि और कृषीतर श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार हिताधिकारी हैं। पारिवारिक आय रु. 11,000/- वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   - (iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
   - (v) हिताधिकारी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी अथवा अर्धशहरी क्षेत्रों में रु. 7200/- वार्षिक अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 6400/- वार्षिक से अधिक न हो। उनके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिए अथवा उनकी भूधारिता का आकार असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक न हो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर जोत का मानदण्ड लागू नहीं होता)।

(vi) मेहतरों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना के अंतर्गत आनेवाले हिताधिकारी।

(vii) ग्रामीण गरीबों तक पहुंच के लिए स्व-सहायता समूहों को प्रदत्त अग्रिम।

2. कृषि निविष्टियों/उपकरणों के वितरक।
3. राज्य वित्त निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम; जिस सीमा तक वे कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं।
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम।
5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
6. विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली एजेंसियां।
7. कमजोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन।
8. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको)।
9. पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां।
10. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन (इस संगठनों के हिताधिकारियों की निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/अथवा उनके उत्पादों के विपणन के लिए)।
11. स्वसहायता समूहों को आगे ऋण देनेवाली व्यष्टि वित्त संस्थाएं/गैर सरकारी संगठन।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/13.03.00/2000-01 दिनांक, 19 अप्रैल 2001)

वर्ष 2001–2002 की मौद्रिक और ऋण नीति – ब्याज दर नीति

कृपया गवर्नर महोदय का 19 अप्रैल 2001 का पत्र सं. एमपीडी. बीसी. 206/07.01.279/2000-01 देखें, जिसके साथ `वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक और ऋण नीति' पर वक्तव्य की प्रति संलग्न की गयी है। जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरों पर से क्रमिक रूप से विनियमन हटाने और बैंकों को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने तथा कठोरता दूर करने की दिशा में एक कदम के रूप में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(i) मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम पूर्णता अवधि कम करना

सभी मीयादी जमाराशियों की ब्याज दरें इस समय मुक्त हैं और बैंक 15 दिन (और अधिक) की अवधिपूर्णताओं, जो देशी मीयादी जमाराशियों के लिए न्यूनतम अवधिपूर्णता है, के लिए अभी अनेक दरें प्रदान कर रहे हैं। जब बैंकों से इतर संस्थाएं मांग मुद्रा बाजार से चरणबध्द रूप से अलग होती हैं तो उनकी अल्पावधि के लिए अधिशेष राशियों का अधिक लचीले रूप में निवेश करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए विनियमन हटाने की दिशा में और आगे बढ़ने के उद्देश्य से तथा बैंकों को उनके आस्ति-देयता प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि देशी/सामान्य अनिवासी/अनिवासी विशेष रुपया मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधिपूर्णता को बैंकों के विवेकानुसार वर्तमान 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया जाये। परन्तु यह सुविधा केवल 15 लाख रुपये और अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों के संदर्भ में वहां उपलब्ध होगी जहां बैंकों को जमाराशियों की मात्रा के अनुसार विभेदक ब्याज दरें देने की स्वतंत्रता है। तथापि, जमा प्रमाणपत्र तथा वाणिज्यिक पत्र के लिए 15 दिन की न्यूनतम अवधिपूर्णता की शर्त जारी रहेगी।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा योजना

वर्तमान विनियमों [देखें 4 नवंबर 2000 के मास्टर निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/2000-2001 का पैराग्राफ 22(ग)] के अनुसार 15 लाख रुपये से अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों को छोड़कर, जमाराशियों पर अदा की जानेवाली ब्याज दरों में भेदभाव करने के बारे में बैंकों पर प्रतिबंध है। कई वरिष्ठ नागरिकों और उनके संगठनों के अनुरोध पर यह निर्णय किया गया है कि वे अपने निदेशक बोर्डों के अनुमोदन से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से ऐसी सावधि जमा योजनाएं बनायें जिनमें किसी भी मात्रा की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्च और निश्चित दरें दी जायें। इन योजनाओं में ऐसे जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर नामित व्यक्तियों को जमाराशियों के स्वत: अंतरण के लिए सरल क्रियाविधियां भी शामिल होनी चाहिए। एकरूपता के लिए, भारतीय बैंक संघ वरिष्ठ नागरिकों के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में बैंकों को सूचित करेगा।

(iii) मीयादी जमाराशियां – लचीलापन

(क) देशी/अनिवासी मीयादी जमाराशियों के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार (देखें 4 नवंबर 2000 के मास्टर निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/2000-2001 का पैरा 9) बैंकों के लिए यह अधिदेशात्मक है कि वे जमाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किये जाने पर अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण की अनुमति दें। तथापि, उसी बैंक के पास मीयादी जमाराशियों में पुनर्निवेश संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण की अनुमति देने के लिए बैंक दण्डात्मक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बड़ी राशियों के अवधिपूर्ण आहरण से बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन का कार्य

प्रभावित हो सकता है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि व्यक्तियों एवं हिन्दू अविभक्त परिवारों से इतर संस्थाओं द्वारा रखी गयी बड़ी जमाराशियों के अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण की अनुमति नहीं देने के विवेकाधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता बैंकों को दी जाये। तथापि, बैंकों को पहले से अर्थात् ऐसी जमाराशियां स्वीकार करते समय अवधि पूर्ण होने से पहले आहरणों की अनुमति नहीं देने संबंधी अपनी नीति की सूचना ऐसे जमाकर्ताओं को देनी होगी। वर्तमान जमाकर्ताओं के संबंध में, अलग-अलग जमाराशियों के नवीकरण के समय तक वर्तमान उपबंध जारी रहेंगे।

(ख) वर्तमान में, 4 नवंबर 2000 के मास्टर निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.03.00/2000-2001 के पैराग्राफ 1(i) के अनुसार बैंक अवधिपूर्णता की तारीख को लागू ब्याज दर पर अतिदेय देशी मीयादी जमाराशियों का नवीकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। बेहतर आस्ति-देयता प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अवधिपूर्णता की तारीख को प्रचलित ब्याज दर पर अतिदेय मीयादी जमाराशियों के नवीकरण की अनुमति 14 दिन की अतिदेय अवधि के लिए ही दी जाये। यदि अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक की हो और यदि जमाकर्ता संपूर्ण अतिदेय जमाराशियां या उसका एक अंश नयी मीयादी जमाराशि के रूप में रख रहा हो, तो बैंक नयी जमाराशि के रूप में इस प्रकार रखी गयी राशि पर अतिदेय अवधि के लिए अपनी ब्याज दर निर्धारित कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण संबंधी अपनी नीति जमाकर्ताओं को पहले से सूचित करनी होगी।

(iv) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दरें

वर्तमान में, बैंक 1-3 वर्ष की अवधिपूर्णता के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां स्वीकार करने के लिए तथा स्थिर अथवा अस्थिर दरें देने के लिए स्वतंत्र हैं; अस्थिर दरें छ: महीनों की ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि के लिए होंगी, जो लिबोर/स्वैप दर पर 50 आधार अंक जोड़कर उच्चतम सीमा की शर्त पर होंगी। अब यह निर्णय लिया गया है कि तदनुरूप अवधिपूर्णता के लिए उक्त उच्चतम सीमा को संशोधित कर नीचे लिबोर/स्वैप दरों के स्तर तक लाया जाये।

(उक्त दिशा-निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू नहीं होंगे)।

(v) मूल ऋण दर संबंधी मानदंडों की समीक्षा

वर्तमान में 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर मूल ऋण दर से अनधिक की सीमा निर्धारित की गयी है तथा 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर बैंक मूल ऋण दर और विस्तार (स्प्रेड) संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को देखते हुए तथा ऋण दरें निर्धारित करने में वाणिज्य बैंकों को और अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए मूल ऋण दर को न्यूनतम दर बनाने की अपेक्षा में ढील दी जाये। अब बैंक निर्यातकों अथवा ऋणपात्रता वाले अन्य ऋणकर्ताओं, सरकारी उद्यमों सहित, को संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर मूल ऋण दर से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर सकते हैं।

बैंक मूल ऋण दर से ऊपर ब्याज दरों का अधिकतम विस्तार घोषित करना जारी रखेंगे। तथापि, भारत में प्रचलित ऋण बाजार को तथा छोटे ऋणकर्ताओं को रियायत जारी रखने की आवश्यकता को देखते हुए 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए मूल ऋण दर को उच्चतम सीमा मानने की प्रथा जारी रहेगी।

(उक्त दिशा-निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू नहीं होंगे)।

(19 अप्रैल 2001 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104, 105 और 106/13.03.00/2000-2001 संलग्न है)।

(vi) अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने के लिए अधिमान्यता

9 दिसंबर 1998 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 115/13.07.05/98-99 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों में किये गये लेनदेनों का निपटान निक्षेपागारों (डिपोजिटरीज) के माध्यम से ही करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अभौतिक रूप में अधिदेशात्मक तौर पर लेनदेन (ट्रेडिंग) होने के बाद वे सूचीबध्द कंपनियों के भौतिक रूप में रखे गये शेयर नहीं बेच सकेंगे।

अन्य लिखतों, जैसे बांडों, डिबेंचरों और इक्विटियों को अधिकाधिक मात्रा में अभौतिक रूप में रखा जा सके, इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि 31 अक्तूबर 2001 से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और अनुषंगी व्यापारियों को केवल अभौतिकीकृत रूप में नये निवेश करने तथा बांड और डिबेंचर निजी तौर पर या अन्यथा रखने की अनुमति दी जायेगी। स्क्रिप के रूप में रखे गये बकाया निवेशों को भी 30 जून 2002 तक अभौतिक रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। जहां तक ईक्विटी लिखतों का संबंध है, उन्हें उक्त संस्थाओं द्वारा केवल अभौतिक रूप में रखने की

अनुमति दी जायेगी, इसके लिए प्रारंभिक तारीख सेबी के परामर्श से अधिसूचित की जायेगी।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.03.00/2000-01, दिनांक, 19 अप्रैल 2001)

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में रह गयी कमी के बदले सिडबी/नाबार्ड के पास रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार

कृपया 22 मार्च 2001 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/21.01.002/2000-01 देखें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में रह गयी कमी के बदले नाबार्ड/सिडबी के पास रखी जानेवाली सभी जमाराशियों पर 100% जोखिम भार लगाया जायेगा, क्योंकि ये जमाराशियां उन आस्तियों में रह गयी कमी के बदले रखी गयी हैं जिन पर 100% जोखिम भार लगाया जाता है।

2. हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ बैंक 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त अनुदेशों को लागू करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उक्त परिपत्र 22 मार्च 2001 को जारी किया गया था तथा बैंकों को अपनी पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। बैंकों के सामने आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह सूचित किया जाता है कि जो बैंक इस संबंध में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं वे हमें लिखें और उनके अभिवेदन पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग विचार किया जायेगा।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 110/21.01.002/2000-01 दिनांक, 20 अप्रैल 2001)

प्रयुक्त शब्दावली

प्रतिस्थापित	Substituted
निषेध	Prohibitions
अनुसूची	Schedule
दलाली	Brokerage
पारिश्रमिक	Remuneration
लेखांकन	Accounting
करेंसी अंतरण समायोजन	Currency transfer settlement
विसंगतियां	Discrepancies
सुधारात्मक उपाय	Corrective measures
शीर्षस्थ कार्यपालक	Top executives
मिलान	Reconciliation
गंतव्य	Destination
पूर्वसावधानियां	Precautions
शैक्षणिक ऋण	Educational loan
अर्हक अंक	Qualifying marks
संपार्श्विक प्रतिभूति	Collateral security
संशोधित	Revised
आधार बिन्दु	Basis point
परामर्शदायी	Consultative
समझौता	Accord
समाभिरूपता	Convergence
अभिमत	Comments
समन्वय	Co-ordination
समूह दृष्टिकोण	Group approach
सर्वसम्मति	Consensus
आधार नियम	Ground rule
विनियामक व्यवहार	Regulatory treatment
के स्थान पर	In lieu of
उप-लक्ष्य	Sub-target
मूल बैंक	Parent bank
अनुषंगी कंपनियां	Subsidiaries
समेकित	Consolidated
मूलधन	Principal
अवमानक	Sub-standard
संदिग्ध आस्ति	Doubtful asset
परित्याग	Sacrifice
बट्टे खाते डालना	To write off
प्रावधान	Provision
अधिक्रमण	Supercession
समीचीन	Expedient
अस्थिर दर	Floating rate
वित्तीय निभाव	Financial accommodation
मार्गस्थ अवधि	Transit period
प्रतिधारण धन	Retention money
अंतिम हिताधिकारी	Ultimate beneficiary
अभौतिक	Dematerialised
अधिमान्यता	Preference